खण्ड-230, अंक-5
बुधवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1884
(9 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय					पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	..	३३३–३३७
प्रश्नोत्तर	..	..	..	..	३३७–३४८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (अनुज्ञा नहीं दी गई)	..	..	..	..	३४८–३४९
विधायक निवास में सदस्यों की असुविधा को दूर करने की प्रार्थना				..	३४९
विभिन्न समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना			..	..	३४९–३५०
सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव के संबंध में जानकारी			..	..	३५०
सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना	..		..	..	३५०–३५२
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	..	..	..		३५२
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या १८—शिक्षा (जारी)			..	..	३५३–४०८
नत्थी	..	..	..	..	४०९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ९ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५८

अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरी लाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूरप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बर्नासिह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवार्नासिह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मावोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेहीवन, श्री
रामसिंह, श्री (बैलपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री

विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायणसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री

सालिगराम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हौसीलाल अग्रवाल, श्री
हौरीलाल यादव, श्री

LEGISLATURE SEP

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ९ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सोना तथा सोने के आभूषणों पर बिक्री कर कम करने की मांग

**१—श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सोना तथा सोने से बने आभूषणों पर सेल्स टैक्स का रेट क्या है तथा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—सोना तथा सोने से बने आभूषणों पर उत्तर प्रदेश बिक्री कर की दरें क्रमशः ८ आना प्रति सैकड़ा तथा ३ रु० प्रति सैकड़ा हैं। दिल्ली, पंजाब, तथा राजस्थान में इन वस्तुओं पर बिक्री कर की दरें इस समय क्या हैं, इसकी सूचना इन राज्यों से उपलब्ध करनी पड़ेगी।

**२—श्री नरसिंहनारायण तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई प्रतिनिधि मन्डल उत्तर प्रदेश सर्राफा मन्डल की ओर से सन् १९६१ के दिसम्बर तथा सन् १९६२ के जनवरी-फरवरी महीने में वित्त मंत्री से टैक्सों आदि को कम करने के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री जयराम वर्मा—उत्तर प्रदेश सर्राफा समिति का प्रतिनिधि मंडल भूतपूर्व वित्त मंत्री जी से कई अवसरों पर मिला था और कई बातों के संबंध में अपने आवेदन प्रस्तुत किये थे जिन पर सरकार द्वारा यथोचित विचार किया गया। इस संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों से समिति को मौखिक तथा बिक्री-कर आयुक्त द्वारा लिखित रूप से अवगत करा दिया गया।

**३—श्री नरसिंहनारायण तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या वित्त मंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश से सोने तथा सोने से बने आभूषणों को बेचने वाले व्यापारी (सर्राफ) अपनी दूकानें उत्तर प्रदेश से उठाकर दूसरे प्रदेशों में जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई आदि ले जा रहे हैं जिससे, प्रदेश के सोने के व्यापार पर धक्का लगने की स्थिति पैदा हो गई है ? यदि हां, तो सरकार इस संकट को दूर करने के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि इस राज्य का व्यापार वास्तव में यहां से हट कर दूसरे राज्यों को जा रहा है या नहीं, यह तभी निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जबकि यह ज्ञात हो जाय कि दूसरे राज्यों के व्यापार में इस राज्य के व्यापार को क्षति पहुंचा कर यथेष्ट रूप से वृद्धि हुई है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय वित्त मंत्री बतलायेंगे कि जो सर्राफा मंडल का प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिला था उसकी खास खास क्या मांगें थीं ?

श्री जयराम वर्मा—उसकी मांगें यह थीं कि सोने और चांदी पर जो बिक्री कर अभी फीसदी लगता है उसे १/४ फीसदी कर दिया जाय और आभूषणों पर जो ३ प्रतिशत लगता है वह १ प्रतिशत कर दिया जाय । दूसरे यह कि बहुपदीय के स्थान पर एकपदीय कर लिया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय वित्त मंत्री को इस बात की सूचना है कि उत्तर प्रदेश में डबुल प्वाइंट बिक्री-कर लगता है और राजस्थान, दिल्ली तथा पंजाब में सिंगिल प्वाइंट लगता है ?

श्री जयराम वर्मा—दिल्ली में एकपदीय जरूर है लेकिन राजस्थान और पंजाब में बहुपदीय है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि बिक्री-कर आयुक्त द्वारा १८ अप्रैल को पत्र द्वारा लिख कर व्यापारियों को सूचित किया गया कि बिक्री-कर कम क्यों हो रहा है यानी उसकी बिक्री कम क्यों हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—बिक्री कर के सम्बन्ध में जो उनका डेपुटेशन मिला था, उसके सिलसिले में उनको लिखा गया था और इसके बारे में कोई लिखा-पढ़ी हुई, इसकी जानकारी मुझको नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—सोने चांदी का व्यापार मंडल १६ अप्रैल को वित्त मंत्री महोदय से मिला था और उसने १० मांगें लिखित माननीय मंत्री जी को दी थीं । उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न दिसम्बर, ६१ तथा जनवरी-फरवरी, ६२ के बारे में थे । डेपुटेशन मिला जरूर था । लेकिन तारीख की मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—जो मंडल की मांगें थीं उनमें से कौन-कौन सी मांगें सरकार ने स्वीकार कीं ?

श्री जयराम वर्मा—कोई मांग स्वीकर नहीं की गयी ।

श्री नरसिंहनारायण—मंत्री महोदय इस बात को सूचना मान कर बतलायेंगे कि इस सूबे में बने हुये आभूषणों पर ४ आने और न बने हुये सोने पर ८ आने मल्टिपिल सेल्स टैक्स लगता है, तो क्या वे इस बात को व्यवस्था करने जा रहे हैं कि यहां पर और सूबों की भांति टैक्स लगाया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—दिल्ली में एकपदीय टैक्स है । वहां पर सोने, चांदी और उसके आभूषणों पर ४ प्रतिशत टैक्स लगता है । यह नवम्बर, १९६१ की दर थी । आज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । इसी तरह से पंजाब में सोना, चांदी पर १/२ फीसदी टैक्स है जैसा कि हमारे प्रदेश में है । लेकिन वहां आभूषणों पर १ फीसदी बहुपदीय है । राजस्थान में भी सोना, चांदी पर १/२ फीसदी और आभूषणों पर १ फीसदी बहुपदीय नवम्बर, १९६१ में था। इस वक्त क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मंत्री जी ने बतलाया कि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, तो क्या स्वीकार न करने का कारण बतायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—उनकी मांगें उचित नहीं समझी गयीं ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—गोल्ड बुलियन एक्सचेन्ज के बाजार को देखते हुये और योजनाओं के लिये प्रदेश के अन्दर धनाभाव को देखते हुये क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न है कि आभूषणों का बनना उत्तर प्रदेश में कम किया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—आभूषणों का बनना कम हो, ऐसा कोई सवाल नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी इसको सूचना मान कर कि और प्रदेशों में बिक्री-कर एकपदीय लगता है इस प्रदेश में भी एकपदीय लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो दे चुके हैं कि सिवाय दिल्ली के अन्य प्रदेशों में बहु-पदीय है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

गाजीपुर जिले में हरिजन कूपों तथा हरिजन बस्तियों का निर्माण

*१—**श्री झिलमिट झिल्लू** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९५७ से लगायत १९६१ ई० तक हरिजनों के पानी पीने के लिये कितने कूपों का निर्माण कराया गया है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—८९ बन चुके हैं तथा ५४ कुओं का निर्माण-कार्य चल रहा है ।

*२—**श्री झिलमिट झिल्लू**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला गाजीपुर में उन हरिजन बस्तियों को सर्वे करायेगी कि कितनी हरिजन बस्तियों में अब तक पानी पीने के लिये कूप निर्माण नहीं हुआ है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सन् १९५८ में सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें ६६ कुओं की मांग की गई थी । उसको पुनः जांच कराई जा सकती है ।

*३—**श्री झिलमिट झिल्लू**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में अनुदान द्वारा कितनी हरिजन बस्तियां बनाई गई हैं ? यदि नहीं बनाई गई हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सात हरिजन बस्तियां बनवाई गई हैं तथा ४ और बनाई जा रही हैं ?

[९ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*१—**श्री झिलमिट झिल्लू**—[५ वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया ।]

बिक्री-कर जमा करने में असुविधायें

*२—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बिक्रीकर जमा करने वालों को जो असुविधायें होती हैं उसे दूर करने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है जैसे :—

(क) बिक्री कर रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण का वार्षिक शुल्क जिसे कोषागार में जमा करने में काफी समय लगता है उसे देय बिक्री-कर की भांति चेक द्वारा बिक्री-कर कार्यालय में जमा कराने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

(ख) बिक्री-कर केन्द्रीय सी० फार्म का मूल्य भी चेक द्वारा स्वीकार किया जावे ?

(ग) केन्द्रीय सी० फार्म की कुछ प्रतियां न देकर पूर्व की भांति पूरी कापी (बुक) एक बार में देने का प्रबन्ध हो ?

(घ) कोषोगार (ट्रेजरी चालान) फार्म कार्यालय में उपलब्ध न होने पर बिना फार्म के चेक स्वीकार कर कार्यालय स्वयं फार्म लगाने की व्यवस्था करे ?

(ङ) ट्रेजरी चालान जो बिक्री-कर के लिये छपाये जाते हैं उन्हें हिन्दी में भी छपवाया जावे ?

श्री जयराम वर्मा—बिक्री-कर जमा करने के सम्बन्ध में व्यापारी-वर्ग को यदि किन्हीं असुविधाओं का सामना करना पड़ता हो और उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, तो जैसी कि सरकार की नीति रही है, ऐसी असुविधाओं का, बिक्री-कर कानून को ध्यान में रखते हुये, यथाशक्ति निराकरण करने में सरकार सदैव प्रयत्नशील रहेगी।

(क) बिक्री-कर रजिस्ट्रेशन या उसके नवीनीकरण का वार्षिक शुल्क चेक द्वारा स्वीकार करने की सुविधा बिक्री-कर विभाग में प्रचलित है।

(ख), (ग), (घ) व (ङ) में दिये गये सुझावों पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बिक्री-कर रजिस्ट्रेशन या उसके नवीनीकरण का वार्षिक शुल्क जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि चेक द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन दफ्तर से वह चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, इसकी जानकारी है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसी गलती होती है तो उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाय, उसको जरूर ठीक कराया जायगा।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सुझावों पर आखिरी निर्णय कब तक लिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान जी, बहुत डिटेल का सवाल है कि कौन-सा फार्म दिया जाय, पूरी बुक दी जाय और चेक द्वारा फार्म का मूल्य स्वीकार किया जाय आदि बातों पर विचार किया जायगा और जो सुविधा देना जरूरी है, जरूर दी जायंगी।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सुझाव दिये गये थे उनके लिये कहा गया है कि विचार किया जायगा, तो जब प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है तो इसमें विचार करने का क्या प्रश्न है ? क्यों नहीं फार्म हिन्दी में छपाते ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो सबके लिये कहा गया है कि विचार हो रहा है केवल हिन्दी के लिये ही नहीं कहा गया है बल्कि जो 'सी' फार्म है उसकी थोड़ी प्रतियां न देकर पूरी कापी दी जाय, रुपया चेक द्वारा लिया जाय, इन सबके लिये कहा गया है। जहां तक हिन्दी का सवाल है उसके लिये कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी निश्चित जवाब देंगे यह कि फार्म निश्चित रूप से हिन्दी में ही छापा जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—'हिन्दी में ही छापा जायगा' ऐसा नहीं कहा जा सकता है बल्कि 'हिन्दी में भी छापा जायगा' ऐसा कहा जा सकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या मंत्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि जो सी० फार्म के लेने मे भी काफी परेशानी होती है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी कोई शिकायतें नहीं पहुंची हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—जैसा कि (घ) में है कि फार्म उपलब्ध न हो तो चेक द्वारा रुपया स्वीकार कर लिया जाय, इस सुविधा के देने पर विचार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—आपने शायद पढ़ा नहीं । इसमें लिखा है कि दफ्तरवाले खुद फार्म भर दें, यह सोचना है कि यह सम्भव है या नहीं । इतना ही नहीं है कि चेक द्वारा पैसा लिया जाय, फार्म दफ्तर वाले खुद भर लिया करें, इस पर विचार करना है ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दूसरे प्रश्न का (ङ) जो है कि ट्रेजरी चालान जो बिक्री-कर के लिये छपाये जाते हैं उन्हें हिन्दी में भी छपवाया जावे, तो अभी तक वह किस भाषा में छपाये जाते थे, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—यह केन्द्रीय सरकार के फार्म हैं और केन्द्रीय सरकार में अभी अंग्रेजी भाषा प्रचलित है, उसको खत्म करके हिन्दी नहीं रखी गई है । इसलिये यह अंग्रेजी में नहीं छपेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता और ऐसी मांग भी नहीं है । हिन्दी में भी छपाये जायं, यह मांग है ।

कुंवर श्रीपाल—इस वक्त किस भाषा में छपाये जाते हैं यह मैंने पूछा था ।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी, प्रश्न यह है कि अभी तक किस भाषा में छपाये जाते थे ?

श्री जयराम वर्मा—यह अंग्रेजी में छपते हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार के फार्म हैं ।

*३—**श्री ऊदल**—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान वेतन देने की सिफारिश

*४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा बतायेगी कि प्रदेश के सरकार कर्मचारियों के वेतनक्रम और केन्द्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम में भिन्नता रखने के क्या कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन क्रम में भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन क्रम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन क्रम के बराबर ला सके ।

*५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई को बढ़ाने की घोषणा अप्रैल, १९६२ में की है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अन्तर होने के कारण जो प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है उसको देखते हुए यह सरकार उनके वेतन क्रम को बढाने पर कुछ विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मोहिले जी, इस सम्बन्ध में दो हाफ ऐन आवर डिबेट भी हो चुकी है। अब वही प्रश्न आप पूछ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि हम उसको ठीक कर सकें।

श्री रामायण—मान्यवर, संविधान में ऐसा दिया हुआ है कि समान कार्यों के लिये समान पुरस्कार मिलेगा। फिर ऐसी स्थिति में समान कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान वेतन न देने का क्या कारण है और सरकार इसे कहां तक उचित समझती है ?

श्री जयराम वर्मा—केन्द्रीय सरकार के पास अपने राजस्व के बहुत से साधन हैं। उन साधनों के अनुसार वह अपने कर्मचारियों का वेतनक्रम नियत करती है। राज्य सरकार अपने साधनों को देखकर ही अपने कर्मचारियों का वेतनक्रम नियत कर सकती है और उसी के अनुसार किया जा रहा है। इस मामले में यह सरकार बिलकुल सजग रही है और सन् ४७ से जबसे कि पिछला पे कमीशन बैठा था बराबर उनके वेतन में और महंगाई भत्ते में उनकी आवश्यकता को देखते हुए तथा अपने साधनों और जिम्मेदारियों को देखते हुए बराबर वृद्धि की है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतनक्रम सेंटर के समान कर दिया जाय तो राज्य सरकार को कितना अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा, इसका कोई तखमीना सरकार ने लगवाया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री जयराम वर्मा—इस वक्त तो ऐसा कोई तखमीना नहीं है लेकिन यह तखमीना लगाया गया था कि पे कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करने के पहले जो मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलता था उसके समान करने में ९ करोड़ ६० लाख से कुछ अधिक रुपये की जरूरत थी।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय मंत्री जी ने मुख्य कारण बताया तो क्या अन्य सामान्य कारण भी वह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—सारा मामला निर्भर उसी पर करता है फाइनेंशियल कंडीशन पर और उसी के ही कारण हम अपने कर्मचारियों के वेतनक्रम को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनक्रम के समकक्ष नहीं कर सकते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह सुझाव मान लेंगे कि दूसरे पे कमीशन ने जो यह फार्मूला बनाया था कि मंहगाई का आंकड़ा यदि बढ़ेगा तो उसी के प्रतिशत से कुछ महंगाई वेतन में वृद्धि कर दी जायगी ३०० से ४०० तक पानेवाले कर्मचारियों के, तो क्या यह फार्मूला प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भी लागू वह करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न यहां पर किया जा चुका है और इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ९ करोड़ ६० लाख में केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ हिस्सा देने को कहा था ? यदि हां, तो कितना ?

श्री जयराम वर्मा—केन्द्रीय सरकार नहीं देना चाहती है। इसके पहले १०० रुपये की उपलब्धि तक जो हमारे कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह तक मंहगाई भत्ते की वृद्धि में कुछ हिस्सा देती थी लेकिन इस साल से वह भी बन्द हो गया है।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बढती हुई मंहगाई को देखते हुये कम से कम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की वह कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न यहां पर हो चुका है और उत्तर भी हो चुका है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रशिक्षण केन्द्र जो केन्द्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिये हैं उनका वेतन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कम स्टेट गवर्नमेन्ट देती है उनके अधिकारियों को तो, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री महोदय को नहीं बुलाया गया।)

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कोई एक डेपुटेशन इस सम्बन्ध में कि हमारा वेतन-क्रम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के समकक्ष नहीं है और इस बारे में उनको असन्तोष है, उनसे मिला था और एक पत्र भी उनको दिया था :

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न आप कर रहे हैं उस विषय में उन्होंने कहा था कि हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको देखते हुये उनका वेतन बढ़ा सकें।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तनख्वाह की कमी बेशी की वजह से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी कुछ कमी बेशी है ?

श्री जयराम वर्मा—कहीं कमी बेशी हो सकती है लेकिन इसी कारण से कोई कार्यक्षमता में कमी आ गयी हो, ऐसी बात नहीं।

बिक्री-कर तथा उत्पादन-कर

*६—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पहले से ही बिक्र-कर का कोटा तय कर दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं। सरकार द्वारा कोई ऐसा कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में बिक्री-कर आयुक्त से की गई पूछताछ से यह अवश्य विदित हुआ है कि सहायक बिक्री-कर आयुक्त अपने-अपने रेन्ज से बिक्री-कर से होने वाली आय का तखमीना लगाते हैं।

*७—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कपड़ा, चीनी तम्बाकू पर बिक्री-कर हटा कर उत्पादन-कर लगा देने से सरकार को अधिक लाभ हुआ है ? यदि हां, तो कितना लाभ हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—चूंकि यह वस्तुएं अब बिक्री-कर से मुक्त हैं, इसलिये यह निश्चय रूप से बताना सम्भव नहीं है कि अगर इन वस्तुओं पर से बिक्री-कर हटाकर अतिरिक्त उत्पादन कर न लगा होता तो इन मदों से बिक्री-कर के रूप में कितनी आय होती। इनके अलावा और वस्तुओं से जिन पर बिक्री कर लगा है सरकार की आय में सामान्य रूप से प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुये यह निश्चय है कि कपड़े, तम्बाकू और चीनी से भी बिक्री-कर की आय में प्रति वर्ष काफी बढोत्तरी होती और जो कुछ अतिरिक्त उत्पादन कर के रूप में इन मदों से इस समय सरकार को आमदनी होती है उससे कहीं अधिक बिक्री-कर से होती।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला बिक्री कर अधिकारियों के पास कोई आदेश इस आशय के भेजे गये हैं कि पहले वह जिले में बिक्री कर की आय का तखमीना लगा लें और बाद में बिक्री कर लगावें ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसे कोई आदेश नहीं भेजे गये हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रश्न कोटे के बारे में हुआ था और उत्तर में उन्होंने बतलाया कि तखमीना लगाया जाता है, तो कोटे और तखमीने में क्या अंतर है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन् यह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है कि बजट बनाते समय खर्च और आमदनी का तखमीना लगाया जाता है वही तखमीना यहां भी लगाया जाता है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कपड़े पर जो बिक्री कर लगाया गया है उससे बचने के लिये हमारे प्रदेश में हजारों गांठ कपड़ा कटपीस बना दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, कपडे पर तो बिक्री कर नहीं है, उस पर तो उत्पादन शुल्क है ।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सहायक बिक्रीकर आयुक्त जो तखमीना लगाते हैं उसी के आधार पर जिलों से बिक्री कर की आय मांगी जाती है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा नहीं है । तखमीना जरूर उनके सामने रहता है कि पिछले साल हमारी कितनी आमदनी थी, कर के रेट में क्या फर्क पड़ गया है, कितना बकाया है और कितनी आमदनी इस साल होनी चाहिये, यह सब उनके ध्यान में रहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है उन के लिये कि उस आमदनी को पूरा करने के लिये विक्रय को ध्यान में रखे बिना गलत ढंग से वह कर लगा दें ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सहायक बिक्री कर आयुक्त द्वारा जो तखमीना लगाया जाता है उसका विवरण राज्य सरकार को भी भेजा जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—बजट के लिये विवरण तो आवश्यक है ही । इस साल के बजट में भी जहां खर्च का तखमीना है वहां आमदनी का भी तखमीना है ।

श्री दयाराम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिक्री कर की बजाय उत्पादन-कर जब लगाया गया तो क्या दोनों की आय में कोई अंतर था ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो प्रश्न ही ऐसा है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है । एक साल टैक्स लगा और दूसरे साल उत्पादन कर, तो मुकाबला कैसे किया जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सेल्स टैक्स अफसरों को जो रिमार्क्स दिये जाते हैं वह उस आमदनी के आधार पर होते हैं और उनकी तरक्की और तनख्वाह उसी पर निर्भर करती है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा बिलकुल नहीं है । उनके सारे कामों को देखकर उनकी करेक्टर रोल में इन्ट्री होती है ।

श्री दयाराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन कारणों से बिक्री-कर हटा कर उत्पादन-कर लगाया गया, तो उन दोनों की आय में क्या अन्तर हुआ ?

श्री जयराम वर्मा--यह १४ दिसम्बर, १९५७ से अतिरिक्त उत्पादन कर लगा है । उस साल की ८-९ महीने की आमदनी करीब ३ करोड़ ८७ लाख ५२ हजार १२८ रुपये थी । और दूसरे साल १९५८-५९ में पूरे साल का अतिरिक्त उत्पादन कर ६ करोड़, ७७ लाख से कुछ ऊपर था । लेकिन इससे यह कहना कि इससे कोई बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हो गयी, ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे सामान पर जो बिक्री-कर लगाते हैं उसमें काफी वृद्धि हुई है और किसी-किसी सामान पर तो दो सौ तथा तीन सौ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । तो उसी हिसाब से हमारा खयाल है कि कपड़े, तम्बाकू और शक्कर पर भी बिक्री कर होता तो उसकी आमदनी जितनी हमको केन्द्रीय सरकार से मिल रही है उससे कहीं अधिक होती ।

रजिस्ट्रेशन कार्यालय, जिला अलीगढ़ में क्लर्कों की नियुक्ति

*८--**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (जिला इलाहाबाद) --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय, जिला अलीगढ़ में सन् १९५८ में रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई थी ? यदि हां, तो उस लिस्ट के कितने उम्मीदवार अब तक नौकरी में ले लिये गये और कितने नहीं लिये गये और नहीं लिये गये, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गयी थी उस लिस्ट के सब उम्मीदवारों को जगह मिल गयी ।

*९--**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री रक्षपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय, जिला अलीगढ़ के विभाजन पर क्या एप्रूव्ड उम्मीदवारों की लिस्ट का भी विभाजन किया गया ? यदि हां, तो उसमें सीनियारिटी का क्या आधार रखा गया ?

श्री जयराम वर्मा--एटा जिला का अलीगढ़ से विभाजन होने पर उम्मीदवारों की लिस्ट का कोई विभाजन नहीं हुआ--एटा में नई लिस्ट बनाई गई इसलिये सीनियारिटी का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता ।

*१०--**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री रक्षपालसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय, अलीगढ़ के विभाजन से एटा रजिस्ट्रेशन जिला बन जाने पर उक्त लिस्ट (जो अलीगढ़ से आई थी) के कितने उम्मीदवार नौकरी में लगा लिये गये हैं और कितने शेष हैं और उसका कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा--अलीगढ़ से कोई लिस्ट एटा नहीं भेजी गई, अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब अलीगढ़ और एटा के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का विभाजन हुआ तो वहां के जो सन् १९५८ के उम्मीदवार थे उनमें से कुछ एटा भेजे गये ?

श्री जयराम वर्मा--किसी उम्मीदवार को भेजा नहीं गया । यह ऐसा है कि अलीगढ़ में सिर्फ दो जगहें थीं, लेकन जिला रजिस्ट्रार ने प्रावीजनली ७ आदमियों को चुना था । उसके बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया और जो दूसरे जिला रजिस्ट्रार आये उन्होंने दो को ही चुना और ५ को अस्वीकृत कर दिया । जो अस्वीकृत हो गये थे उसमें से २ ने एटा में दरख्वास्त दी और दोनों को ले लिया गया । यहां से कोई लिस्ट नहीं भेजी गयी थी ।

श्री हिम्मतसिंह--जो नयी लिस्ट एटा में बनायी गयी थी उसमें कोई सीनियारिटी रखी गयी थी और यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री जयराम वर्मा--कोई पुरानी लिस्ट एटा भेजी नहीं गयी, इसलिये उसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सूची तैयार की गयी थी उसके आधार पर भर्ती की गयी थी या प्रत्यक्ष भर्ती की थी ?

श्री जयराम वर्मा---डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार प्रत्यक्ष नियुक्ति करते थे ।

श्री रामायण---क्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उससे एग्जेम्पटेड हैं या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा---एग्जेम्पटेड नहीं हैं । लेकिन, श्रीमान् जी, सन् ५८ की बात है, प्रश्न को देखा नहीं आपने ।

श्री रघुवीर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने उम्मीदवार लिये गये हैं इनमें से अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के कितने हैं ?

श्री जयराम वर्मा---केवल दो ही उम्मीदवार तो चुने गये थे । उनके बारे में जानकारी नहीं है कि कोई अनुसूचित या पिछड़ी हुई जाति के थे या नहीं ।

गाजीपुर जिले में मलेरिया योजना तथा फाइलरिया यूनिट पर व्यय

*११---श्री कमलासिंह यादव---क्या सरकार को मालूम है कि मलेरिया ड्राइव के होने के बावजूद भी गाजीपुर शहर में मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है और जनता को रात्रि में सोना दुश्वार हो गया है ?

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)---जी हां। यह समस्या और भी शहरों में है । परन्तु यह मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते ।

*१२---श्री कमलासिंह यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मलेरिया योजना में गाजीपुर जिले में मदवार कितना तीन साल के अन्दर खर्च किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---खर्चे के आंकड़े संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

*१३---श्री कमलासिंह यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फाइलेरिया यूनिट, गाजीपुर में १९५९-१९६०, १९६१ में सन्वार किस-किस मद में, कितना खर्च किया गया है और उसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह---खर्चे के आंकड़े संलग्न हैं । गाजीपुर की यूनिट केवल सर्वे का कार्य करने के लिये ही स्थापित की गई थी और इसके अन्तर्गत चार जिलों में आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी और गाजीपुर में सर्वे का कार्य समाप्त हो चुका है और इस यूनिट को जुलाई, १९६१ से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

श्री कमलासिंह यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्यूलेक्स, ऐनाफिलीज और एडिस मच्छर पाये जाते हैं ?

श्री धर्मसिंह---हां, यह सही बात है कि कई प्रकार के मच्छर पाये जाते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव---ये जो नाम मैंने लिये इनमें से पाये जाते हैं या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश में कितने ही मच्छर पाये जाते हैं । जिन मच्छरों का आपने जिक्र किया, वह पाये जाते हैं या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

कुंवर श्रीपाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मच्छरों की बढ़ती हुई जन-संख्या का आधार क्या था ?

श्री अध्यक्ष—मच्छरों की जन-संख्या नहीं होती, "संख्या" कहिये ।

कुंवर श्रीपाल—एक मच्छर भी एक "जन" ही हुआ । खैर, वह जो मंत्री जी ने अभी बताया कि संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या उसकी उन्होंने गिनती करवायी थी, उस सूचना का आधार क्या था ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उग्रसेन—जो मलेरिया उन्मूलन की योजनाएं चल रही हैं उनमें सरकार ने कितने जिलों में सफलता प्राप्त की है जहां मच्छर समाप्त हो गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू है । कितने जिलों में पूरे तरीके से समाप्त हो गये हैं, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री रामायण—क्यूलेक्स मच्छर से फील पांव की बीमारी होती है और एडिस नाम के मच्छर से डेंगू नाम की डिजीज होती है जिसको हड्डी-तोड़ बुखार कहते हैं, तो इतनी भयानक बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों के उन्मूलन की व्यवस्था क्यों नहीं चल रही है ?

श्री धर्मसिंह—व्यवस्था तो चल रही है ।

श्री रामायण—तीसरे प्रकार के मच्छर ऐनाफिलीस के मारने की व्यवस्था की है और दूसरे दोनों प्रकार के बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने का यत्न क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—माननीय सदस्य ने क्यूलेक्स मच्छर का जो जिक्र किया जो कि फाइलेरिया से संबंधित है उसी की रोक-थाम के लिये यूनिट्स चल रही हैं और उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसी मच्छर की जानकारी है । दूसरे मच्छरों की जानकारी नहीं है ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रदेश में कितने प्रकार के मच्छर अब तक पाये गये हैं और उनमें विशेष कितने हैं जो कि बढ़ रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया, कितने ही प्रकार के मच्छर हैं लेकिन विशेष रूप से दो प्रकार के हैं, एक मलेरिया वाले और एक फाइलेरिया वाले ।

श्री झारखंडेराय—मंत्री जी ने जिक्र किया है कि गाजीपुर के अलावा अन्य शहरों में भी मच्छर बढ़ रहे हैं तो क्या ऐसी बात तो नहीं है कि मलेरिया डिपार्टमेंट अपना कार्य-कलाप बढ़ा रहा है उससे एक प्रकार के मच्छर मर रहे हैं लेकिन अन्य प्रकार के मच्छर बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—प्रदेश में मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी को सुझाव देंगे कि मंत्रियों की भी संख्या बढ़ाई जाय ?

श्री अध्यक्ष—इस तरह के एबसर्ड क्वेश्चन्स नहीं होने चाहिये ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि विरोधी दल में कितने मच्छर एक्सपर्ट ह ?

श्री अध्यक्ष---इस सदन में इस प्रकार के प्रश्न किये जाते हैं जिनसे मालूम होता है कि यहां खिलवाड़ हो रहा है । अगर इस किस्म के प्रश्न होंगे तो मुझे मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी । यह सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है । इस किस्म के प्रश्न इधर से भी होते हैं और उधर से भी होते हैं, यह नहीं होना चाहिये ।

श्री राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मलेरिया और फाइलेरिया इरैडिकेशन की जो स्कीमें चल रही हैं उनसे संबंधित कोई फीगर्स हैं कि कितनी कमी मलेरिया और फाइलेरिया में हुई है ?

श्री धर्मसिंह---परसेन्टेज तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन काफी कमी हुई है ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मंत्री जी, प्रदेश के विभिन्न जिलों में मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये हवाई जहाज के द्वारा दवाई का छिड़काव करने के प्रबन्ध करेंगे ताकि जो मच्छर जंगल अथवा दूसरी जगहों पर बचे हैं वह भी मारे जा सकें ?

श्री धर्मसिंह---इस बात की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री रामायण---क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि डी० डी० टी० में बैनेक्सीन मिक्स कर दी जाय जिससे सौ रुपये की जगह पर ११० रुपये खर्च होंगे परन्तु इससे तीनों प्रकार के मच्छर मर जायेंगे और प्रदेश का भला हो सकेगा ?

श्री धर्मसिंह---आपका सुझाव डायरेक्टोरेट को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया जायगा ।

राज्य कर्मचारियों को हाउस एलाउन्स तथा सिटी एलाउन्स देने की सिफारिश

*१४---**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार डी० ए० के अतिरिक्त जो हाउस एलाउन्स एवं सिटी एलाउन्स देती है, प्रादेशिक सरकार भी देने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जी नहीं ।

*१५---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६---**श्री छेदालाल चौधरी**---[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---मेरे पास माननीय कल्याणचन्द मोहिले, माननीय नेकराम शर्मा तथा एक और साहब हैं जिनके कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । इसमें माननीय कल्याणचन्द मोहिले जी की सूचना इस प्रकार से है :

"मैं आज अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक इस अर्थात् लखनऊ नगर स्थित मोहल्ला मुल्तानगंज गोमती नदी के तीर, भूमि नम्बर

४६, क्षेत्रफल १२५९ वर्ग फीट, भगवान रामचन्द्र जी के मन्दिर को सरकार द्वारा गिराये जाने पर विचार करने के लिये सदन का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव को उपस्थित करना चाहता हूं ।"

इसमें 'सरकार द्वारा' से आपका मतलब किस अथारिटी से है ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—यह पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा गिराया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—आप इसको ठीक कर दीजिये । 'सरकार द्वारा' यानी पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा । उसके बाद में इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो नहीं, नियम ५२ के अन्तर्गत ले लूंगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन् इसकी सूचना आज ही दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—मैं उनके पास भेज तो रहा हूं ।

अब चूंकि नियम ५२ में एक प्रश्न लिया जा चुका है इसलिये दूसरी सूचनाओं का प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निवास में सदस्यों की असुविधा को दूर करने की प्रार्थना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों को विधायक निवास में रहने की बड़ी तकलीफ है । हमारी पार्टी के श्री काशीनाथ जी एक कमरे में रह रहे थे । सुबह अलीगढ़ के माननीय सभा सचिव ने दो, तीन कमरों का ताला खोला और झगड़ा करने पर आमादा हो गये । श्रीमन्, इन मंत्री लोगों के पास बड़े-बड़े मकान हैं और पूरी साज-सज्जा है लेकिन फिर भी हम विधायकों को रहने नहीं देते और झगड़ा करते हैं । मैंने उस विभाग के मंत्री महोदय से भी बातचीत की और श्रीमन् से भी निवेदन किया कि आप हमारी रक्षा करें । काशीनाथ जी यहां मौजूद हैं कल उनका भाई मर गया था । ऐसी अवस्था में माननीय मंत्री जी द्वारा खड़े होकर यह काम कराया गया । स्टेट डिपार्टमेंट का इसमें पूरा-पूरा हाथ था । श्रीमन्, उनको नीचे एक कमरा मिला था फिर भी केवल शौकीनी को लेकर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया ।

श्री अध्यक्ष—विधायक निवास में कमरों के आबंटन का प्रश्न मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन जब कोई माननीय सदस्य मेरे सामने अपनी कठिनाई को रखता है तो मैं समझता हूं मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करूं । इस दृष्टि से मैंने माननीय उग्रसेन जी से कहा था कि मैं माननीय राममूर्ति जी से बातचीत करूंगा । उनके घर पर और आफिस में दोनों जगह फोन किया गया लेकिन उस समय वे दोनों स्थानों पर मौजूद नहीं थे । यह बात करीब ११ बजे की है । इस प्रकार से मैं उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सका हूं । मैं उनसे जानकारी प्राप्त करके माननीय उग्रसेन जी से बातचीत कर लूंगा ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—मेरे साथ माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने जो व्यवहार किया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो .....

श्री अध्यक्ष—मैंने उसके बारे में जो कुछ कहना था वह कह दिया ।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, २५ स्थायी समितियों, लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति, स्टेट हेल्थ बोर्ड एवं महिला

[श्री अध्यक्ष]

तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा फल (८-५-६२) को २ बजे सचिव के कमरे में की गयी। नीचे लिखी समितियों में जिन सदस्यों के नाम निर्देशन-पत्र अवैध पाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :--

१--शरणार्थी स्थायी समिति--श्री जुगलकिशोर (बदायूं) अनुमोदक का नाम नहीं है।

२--आबकारी स्थायी समिति--श्री जुगलकिशोर (बदायूं) अनुमोदक का नाम नहीं है।

३--जेल स्थायी समिति--श्री जुगलकिशोर (बदायूं) प्रस्तावक का नाम नहीं है।

४--सूचना स्थायी समिति--श्री जुगलकिशोर (बदायूं) प्रस्तावक का नाम नहीं है।

५--यातायात स्थायी समिति--श्री रामकिशोर (फतेहपुर) प्रस्तावक का नाम नहीं है।

समस्त समितियों में जितने नाम-निर्देशन पत्र सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये हैं उनकी सूची यह है (पताकान), हर समिति में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नाम प्राप्त हुए हैं। अतः नाम वापसी की अन्तिम तिथि यानी १७-५-६२ को सायंकाल ५ बजे तक। यदि अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन दिनांक २९-५-६२ को विधान वाचनालय में पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

अब जो सूची है जिसमें इसका उल्लेख है, वह छप कर वितरित हो जायगी।

सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव के संबंध में जानकारी

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी, उसके बारे में आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष--पहले आप उसको पढ़ लें। आपने स्वयं उसमें लिखा है कि विशेषाधिकार व अवमान का प्रश्न न उठाते हुए भी मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाय। आपने विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया है। सदन के समक्ष गलत ध्यान था आपका।

श्री उग्रसेन--अभी दो, तीन दिन पहले राज्य सभा में इसी तरह का प्रश्न श्री भूपेश गुप्त ने उठाया था तो उस पर पूरी चर्चा हुई। वह कल, परसों के अखबारों में भी निकला था जिसे आपने पढ़ा होगा। श्री भूपेश गुप्त ने भी लिखा था कि विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाते हुए भी मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाय। तो आप भी यहां यह तो कर ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--जो नियम है उसके अनुरूप मैं करूंगा।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब एक सूचना इस माननीय सदन के समक्ष पार्लियामेंटरी एफेयर्स के मंत्री रखेंगे।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में सदन के सामने जो कार्यक्रम वितरित किया गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब १६ मई को सदन की बैठक नहीं होगी। इसके आधार पर

जो परिवर्तन किया गया है वह इस प्रकार है—१७ मई को अभियंत्रण (इंजीनियरिंग संस्थायें), विद्युत योजनायें (अधिष्ठान छोड़ कर), विद्युत योजनायें—अधिष्ठान, विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत और १८ मई को चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य। फिर १९, २०, २१ और २२ को सदन की छुट्टी रहेगी। उसके बाद २३, २४, २५ और २६ का कार्यक्रम इस प्रकार है—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां, समाज कल्याण, २३ मई को, और फिर अनुदान संख्या ४—मोटर गाड़ी अधिनियम, परिवहन, राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते, सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत, यह रखा गया है, २४ मई के लिये। फिर २५ और २६ के लिये अनुदान संख्या २५—उद्योग, अनुदान संख्या ४४—लेखन-सामग्री और मुद्रण (इस पर विवाद नहीं होगा), अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत, इसके अलावा २६ तारीख को आधा दिन सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान व प्रकीर्ण व्यय पर विवाद होगा। यह परिवर्तन २६ तारीख तक किया गया है। २७ तारीख को सदन की छुट्टी रहेगी। और बाकी कार्यक्रम २८ से आगे का ३–४ तक वही रहेगा जो पहले निश्चित था, वह पूर्ववत् होगा कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, एक दिन की १६ तारीख की छुट्टी हुई है तो उस दिन का प्रोग्राम २६ को रखा जा सकता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पूरे कार्यक्रम को मंत्रिमंडल और सरकार की सहूलियत के लिये परिवर्तित करना कहां तक न्याय-संगत है?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं कहूंगा कि इस कार्यक्रम का निश्चय सरकार और विरोधी पक्ष के विभिन्न नेताओं के बीच में किया गया था और जो ग्रान्ट्स थीं उनको हमने आपस में बांट लिया था और एक आपसी सुविधा से उसको हम लोगों ने बांटा था और सुविधा के अनुसार वह व्यवस्था सब की राय से हुई थी। लेकिन १६ की छुट्टी होने की वजह से पूरे प्रोग्राम को उलट-पुलट करना उचित न होगा और उससे बहुत से मेम्बरान को असुविधा होगी। अतः मैं आग्रह करूंगा कि केवल १६ के ही प्रोग्राम को २६ के लिये या और किसी दिन के लिये स्थगित किया जाय और बाकी पूरे प्रोग्राम को यथास्थिति रखा जाय।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—जहां तक मैं नियम १८९ को समझे हुये हूं, उसका मतलब मैं यह समझा हूं कि नेता सदन और नेता विरोधी दल इस कार्यक्रम को निश्चित करेंगे और जो मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार.....

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं श्रीमन्, कुछ निवेदन कर दूं.....

श्री अध्यक्ष—यह सूचना जो आई है यह माननीय नेता विरोधी दल और माननीय सूचना मंत्री के परामर्श के बाद आई है।

श्री उग्रसेन—इसको नोट कर लिया जाय कि इस सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी से कोई राय नहीं ली गई।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह बात सही है कि यह जो परिवर्तन हुआ है उसके लिये मुझसे भी कनसल्ट किया गया था। माननीय फूलसिंह जी के यहां शादी है उन्होंने मुझसे स्वयं भी कहा था और मैंने उनसे कह दिया था कि ठीक है इसको कर लिया जाय, मुझे तो कोई एतराज न होगा और इसी दृष्टि से माननीय बनारसीदास जी ने भी जब पूछा तो मैंने कह दिया था कि ठीक है विवाह का प्रश्न है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाय तो ठीक ही होगा। राय साहब की जो शिकायत है वह उचित ही है और यह इस कारण हुई मालूम होती है कि कल ही मैंने अपने यहां दफ्तर में कह दिया था कि यह जो परिवर्तन हो रहा है इसकी सूचना सभी दलों के नेताओं को दे दी जाय, वह किसी कारण नहीं पहुंची, मालूम होता है, मेरे कार्यालय से। चूंकि मंत्री जी ने निवेदन किया था और शादी का मामला था इसलिये मैंने उचित समझा कि बदल जाय।

श्री झारखंडेराय—मेरा सुझाव यह है कि...

श्री अध्यक्ष—इस विषय में नियम १८९ (२) इस प्रकार है कि "अनुदानों के लिये मांगें ऐसे क्रम से उपस्थित की जायेंगी तथा वाद-विवाद उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत काल के भीतर उतने समय तक जारी रहेगा जैसा कि नेता सदन विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें।" तो इसके अनुसार नेता सदन और नेता विरोधी दल के परामर्श से प्रोग्राम निश्चित होता है। जहां तक वैधानिकता का प्रश्न है वह बिल्कुल ठीक है। इसलिये बजाय इसके कि अब यहां खड़े होकर आपत्ति की जाय वह नियम के विरुद्ध है और उचित यह है कि अगर कोई परिवर्तन इसमें करना है तो माननीय नेता सदन व नेता विरोधी दल इस पर पुनः विचार कर सकते हैं और आप वही तरीका अख्तियार करें उनसे मिल कर उसमें परिवर्तन अगर हो सके तो कराइये।

श्री उग्रसेन—कहने का मतलब यह है इस सदन की परम्परा रही है कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो नेता सदन या उनके प्रतिनिधि और नेता विरोधी दल, विरोधी पक्ष में बैठे हुए अन्यान्य नेताओं से राय ले लेते हैं। इस बारे में किसी अन्य पार्टी के नेता से बात नहीं हुई, हमारी पार्टी से बिल्कुल बात नहीं हुई है। आप वियमावली का जिक्र किये हैं वह अपने स्थान पर ठीक ही है, मगर परम्परा ऐसी नहीं रही है। इस पर हमको सख्त एतराज है, मंत्री लोगों के बेटा-बेटी के विवाह के लिये सदन का निश्चित कार्यक्रम नहीं हटाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये।

श्री झारखंडेराय—हममें से किसी की सुविधा या असुविधा का ख्याल रखना चाहिये। मंत्रियों को अगर कोई कार्य हो तो उसको एकोमोडेट करने के लिये हमें तैयार होना चाहिये। लेकिन आज इस सूचना को आप मुल्तवी कर दें और आज शाम को हम सब मिल कर एडजस्टमेंट कर लें जिसमें हम लोगों को जो असुविधा हो रही है प्रोग्राम के बदलने से वह दूर हो जाय। आप कल इस सूचना का एलान करें।

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी निवेदन किया है आप लोग परामर्श कर लें उसके बाद अगर बदलना होगा तो कार्यक्रम बदल दिया जायगा, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध जो विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने उठाया है उस पर आपने अपनी सम्मति नहीं दी। आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना उपलब्ध आप कर रहे हैं। उसमें एक कठिनाई यह है कि आप किस दिन वह सूचना देंगे यह हमको मालूम नहीं है जिसके कारण हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप यह क्यों समझते हैं मैं आपके साथ अन्याय करूंगा। जिस रोज मुझे उस पर विचार करना होगा मैं पहले से सूचना दे दूंगा। कल या परसों इस पर विचार होगा।

श्री चन्द्रजीत—दो दिन बाद सदन उठ रहा है और विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत दिन तक नहीं टाला जा सकता। उस पर आपको जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप किस दिन चाहते हैं?

श्री चन्द्रजीत—कल इस पर आप निर्णय दें। इस पर विचार हो जाय।

श्री अध्यक्ष—चलिए, कल हो जायगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १८---शिक्षा

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक पर मतदान होगा ।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८---शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,५९,४८,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय ।

माननीय सदस्यों का ध्यान विभाग के कार्यों के सम्बन्ध में दिलाऊं। यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उनको विभाग में जो कार्य होते हैं उनसे अवगत कराऊं। यह मांग जो इस वक्त आदरणीय सदन की स्वीकृति के लिये रखी गयी है, वह रकम जो उसमें दी है १९ करोड़ से कुछ ज्यादा, कुल मिला कर २५ करोड़ ९५ लाख की होती है। मैं इसलिये इस बात को कहना चाहता हूं कि यह रकम वैसे तो काफी बड़ी मालूम पड़ती है लेकिन जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है और उसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझते हुये भी हम यह खयाल करते हैं कि हमारी जो इस वक्त मौजूदा आर्थिक स्थिति है उसके अनुकूल हमें यह धन प्राप्त हो रहा है और यह २५ करोड़ ९५ लाख ३० हजार की रकम है जिसकी स्वीकृति के लिये हम मांग रख रहे हैं। यह हमारे बजट का १३.६ प्रतिशत होता है।

मैं यह भी कहना जरूरी समझता हूं कि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के द्वारा भी कुछ शिक्षा दी जाती है विभिन्न विषयों पर, टेक्निकल, मेडिकल और ऐग्रीकल्चर के बहुत से शिक्षालय हैं जिनका नियंत्रण अन्य विभाग करते हैं लेकिन शिक्षा में ही उसको मानना चाहिये। उस रकम को अगर इसमें जोड़ा जाय तो करीब ३२ करोड़ रुपया होता है और उसके अनुसार १६.८ प्रतिशत हमारे बजट का बैठता है। हमारी यह कोशिश है कि हम अपनी माली हालत को सुधारें, अपनी आमदनी को बढ़ायें। हमारी यह भी कोशिश है कि विभाग द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमें कुछ ज्यादा सहायता प्राप्त हो सके ताकि बहुत से विषय जिनसे सम्बन्ध हमारे विभाग का है, जिनके ऊपर हम ज्यादा खर्च करना चाहते हैं वह हम नहीं कर पा रहे हैं, वह कर सकें। यह न होते हुये भी, मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा यह आश्वासन देना चाहता हूं और आगे चलकर मैं आदरणीय सदन के सामने कुछ आंकड़े रखूंगा कि जो कुछ भी धन हमें प्राप्त हुआ है पिछले वर्ष उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमने शिक्षा के प्रसार करने में उठाया और इस स्वीकृति को मांगते समय में फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि उसी तरीके से जिस धन की स्वीकृति हमें प्राप्त होगी उसको हम जनहित में और शिक्षा प्रसार में उपयोग करेंगे।

शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, महत्वपूर्ण है और हमारे देश के निर्माण का प्रश्न है। जब तक कि हम अपने देश में शिक्षा का प्रसार इस हद तक नहीं कर सकते जिसमें कि हमारे सभी बालक बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त कर सकें तब तक हम अपने हाईयर एजूकेशन के स्तर को ऊंचा नहीं कर पायेंगे। देश के निर्माण के लिये जिन व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है वैसे व्यक्ति हमें उपलब्ध नहीं होते। इस कार्य के लिये हम सबको कोशिश करना चाहिये और गवर्नमेंट की

[आचार्य जुगलकिशोर]

पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि जहां तक हो सके शिक्षा के स्तर को हम ऊंचा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा अपने देश के निवासी बालक तथा बालिकाओं को हम शिक्षा की सुविधायें दे सकें। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम एक व्यक्ति को कम से कम जैसा कि हमने अपने संविधान में भी स्वीकार किया है कि गणतंत्र को कामयाब बनाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हमारे बालक तथा बालिकायें जो हैं उनको कम से कम ८ वीं कक्षा तक शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, उनके लिये हम संस्थायें खोलें। इस बात की हमारी पूरी कोशिश हो रही है जिसको कि आगे मैं बतलाऊंगा कि हमने इस दिशा की तरफ क्या कदम उठाये हैं। इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे बालक तथा बालिकायें इतनी योग्य बनें कि वे देश के निर्माण के कार्य में, उसको खुशहाल बनाने में अपने आप को लगा सकें। उनका व्यक्तित्व इस तरह से विकसित हो कि वे जिन्दगी की समस्याओं को आसानी से हल कर सकें। मैं समझता हूं कि देश में अगर शिक्षा के प्रति वह आदर न हो और उसके जरिये हम वह फायदा न पहुंचा सकें तो हमारा काम अधूरा रह जाता है। इसलिये हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा करें, उसका प्रसार करें और जहां तक हो सके जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको विभिन्न तरीके से सहायता दे कर शिक्षा का फायदा उनको भी पहुंचा सकें।

मुझे यह कहने में भी खुशी होती है कि पिछले वर्ष जो हमने अपने सामने लक्ष्य रखा था प्राइमरी स्कूल खोलने के बारे में, बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने में, उससे हम आगे बढ़ गये। पिछले साल जब इस अनुदान की स्वीकृति के लिये हम सदन में आये थे तो हमने उनके सामने कुछ योजनायें रखी थीं। माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि उन योजनाओं को किस हद तक हमने कार्यान्वित किया, क्या कमी उनमें रह गयी और उन कमियों को पूरा करने के लिये आखिर हम क्या करने जा रहे हैं ?

जहां तक कि प्राइमरी एजूकेशन का सम्बन्ध है हमने जो लक्ष्य रखा था उससे हम आगे बढ़ गये हैं। हमने जो लक्ष्य रखा था पिछली दफा २५०० स्कूल बालकों के लिये मिक्स्ड, १,००० लड़कियों की पाठशालायें, १८० जूनियर बेसिक स्कूल शहरों में, और एडवांस्ड लड़कियों के लिये बेसिक स्कूल अर्बन एरियाज में २९०। लेकिन हमने २५०० स्कूल की जगह ५,००० स्कूल खोलने की व्यवस्था की। हमारी समस्यायें बढ़ीं लेकिन फिर भी कोशिश करके उन स्कूलों को खोल दिया गया है। और हमारी कोशिश जारी है कि इन स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अध्यापकगण पहुंच जायं। इस वित्तीय वर्ष के लिये भी हमने १,५०० मिक्स्ड स्कूलों का लक्ष्य रखा है वैसे हम उम्मीद तो यह करते हैं कि दो हजार खुल जायंगे।

अक्सर यह कहा जाता है और कभी कभी यह सुन कर मुझे शर्म भी आती है और संकोच के साथ मुझे मानना भी पड़ता है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, जहां तक ६ से ११ वर्ष के बालक और बालिकाओं के स्कूल जाने का सम्बन्ध है, पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां इस उम्र के ४६ फीसदी लड़के, लड़कियां स्कूल जाती हैं जब कि अन्य प्रदशों में यह संख्या ६० फीसदी तक पहुंच गयी है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल खुलें और उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में बालक और बालिकायें जायं।

प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में जो दिक्कतें आती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत धनाभाव के कारण यह है कि दूसरे प्रदशों के मुकाबले में हम उतने स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं। इसके अलावा भवनों और अध्यापकों की भी कमी है। हम इस कमी को पूरा करने के लिये इस बात का इन्तजाम कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में अध्यापकों को ट्रेनिंग दें। पढ़ाई के स्तर को ऊंचा करने के लिये जितनी संख्या में हम स्कूल खोलते हैं उनका निरीक्षण हो सके इसके लिये हमने पिछले साल काफी संख्या में सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां की हैं ताकि वे उन स्कूलों का निरीक्षण कर सकें और जो खराबियां इनमें पायी जायं उनको दूर करने की कोशिश करें। हमने यह भी कोशिश की है कि ऐसे स्कूलों के साथ गांव

वासियों का भी सम्बन्ध कमेटियों के द्वारा रहे ताकि जो स्थानीय समस्यायें इन स्कूलों के सामने आती हैं वे उनको हल कर सकें। लड़कियों के स्कूल बढ़ाने के लिये हमने इस बात की कोशिश की है कि अनट्रेन्ड अध्यापिकाओं को भी हम भर्ती कर रहे हैं। ट्रेंड अध्यापिकाओं को १५ रुपये और अनट्रेन्ड अध्यापिकाओं को १० रुपये माहवार का अलाउन्स देकर गांवों में भेजने की कोशिश करते हैं और उनके रहने के लिये भवनों की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इसलिये इस बात को कह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि हमारे प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा दिनों दिन बढ़े। हमारे यहां लड़कियां शिक्षा में बहुत पिछड़ी हुई हैं इसलिये उनको प्रोत्साहन देना है। इसलिये हमें अपने प्रदेश की बालिकाओं को प्रोत्साहन देना है जिससे ज्यादा संख्या में हमारी कन्यायें स्कूलों में जा सकें।

हमने अपने प्रदेश में बेसिक एजूकेशन बोर्ड को भी कायम किया है जिसके द्वारा हम आशा करते हैं कि हमें उसके समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहेंगे कि कैसे बेसिक एजूकेशन के स्तर को ऊंचा उठाया जाय, जो हमारी शिक्षा में कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाय और बेसिक सिद्धांत के आधार पर शिक्षा का कार्य होना चाहिये, इसको हम कैसे अपना सकते हैं, इसके लिये समय-समय पर बेसिक बोर्ड के सुझाव मिलते रहेंगे। इसकी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं। हम आशा करते हैं कि हमें इस बोर्ड से बड़ी मदद मिलेगी और उसकी राय से हम फायदा उठा सकेंगे।

हमारे यहां सीनियर बेसिक स्कूलों का भी सवाल आता है जिसको हम मिडिल जूनियर हाई स्कूल कहते हैं। इसमें भी हमारे प्रदेश में काफी स्कूल जगह-जगह पर खुले हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जो प्राइवेट तरीके से स्कूल चलते हैं उनको हम मान्यता देते हैं और उन को धनराशि अनुदान के रूप में देकर सहायता कर रहे हैं। पिछले वर्ष १७३ स्कूलों को हमने अनुदान दिया और इस वर्ष हमारा खयाल है कि १८० स्कूलों को हम धनराशि दे सकेंगे। मिडिल क्लास के स्तर पर भी हमारे यहां लड़कों की भर्ती बहुत कम है। हमारे यहां कुल लड़कों की संख्या ८ लाख है जो मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं और लड़कियों की संख्या १.२ लाख है यानी कुल मिलाकर ९.२ संख्या बालक और बालिकाओं की है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम ९ लाख ८० हजार बालक और बालिकाओं को इन स्कूलों में भर्ती कर सकें जिसमें ८ लाख ४० हजार बालक और १ लाख ४० हजार बालिकायें हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को हमारी शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई होगी। उससे बहुत सी जानकारी विभाग के कार्य के सम्बन्ध में उनको हो जायगी। तब भी मैं कुछ आंकड़े इस आदरणीय सदन के सामने माननीय सदस्यों की सूचनार्थ रखना चाहता हूं ताकि उनको मालूम हो कि पिछले वर्ष हमने क्या काम किया और इस वर्ष हम क्या काम करने जा रहे हैं। मैंने प्राइमरी एजूकेशन और जूनियर हाई स्कूल का कुछ थोड़ा जिक्र कर दिया। अब थोड़ा-सा सकेंडरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज तथा कालेजेज का भी जिक्र कर देना मैं जरूरी समझता हूं। हमारी कोशिश यह है, पिछले - साल हमने यह कोशिश की थी कि १२० स्कूलों को हम सरकारी अनुदान दें, लेकिन उसकी जगह हमने १३१ स्कूल्स को प्रारम्भिक अनुदान दिया और इस वित्तीय वर्ष के लिये १६० की संख्या में उन संस्थाओं को हम अनुदान दे सकेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन संस्थाओं में जो गरीब विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उनको हम कुछ वजीफे दें, कुछ आर्थिक सहायता दें जिससे कि वह इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। गांवों में खास तौर से धन के अभाव में हमारे बालक और बालिकायें हायर एजूकेशन का फायदा नहीं उठा पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम जितना भी धन खर्च कर सकते हों वह खर्च करके हम उनकी शिक्षा के हेतु उनको

[आचार्य जुगुलकिशोर]

सहायता दें सकें। इसी तरह से हम उनको किताबों की सहायता देते हैं, स्कूलों को लाइब्रेरीज वगैरह के लिये अनुदान देते हैं, बिल्डिंग के लिये अनुदान देते हैं, एक्विपमेंट के लिये देते हैं और उनकी लायबिलिटीज के लिये उनको अनुदान देते हैं।

हमारी यह भी कोशिश है कि हमारा जो सेकेंडरी एजूकेशन है उसमें साइंस की तरफ अपने बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करें। ज्यादा संख्या में वह उस तरफ जायं क्योंकि उससे वह आगे जाकर जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे और देश के निर्माण कार्यों में ज्यादा सहायक हो सकेंगे। हमारे यहां १७३९ हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं। हमारा खयाल यह है कि सम्भव है कि अगले वर्ष तक शायद ही कोई ऐसा स्कूल रह जाय जिसको कि अनुदान प्राप्त न हो जाय। तो जहां तक उनकी आर्थिक दिक्कतें हैं हम उनको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद भी सेकेंडरी स्कूल के प्रबन्धकों की दिक्कतें हैं धन एकत्रित करने में और उस कारण जितना अधिक फायदा वह प्राप्त कर सकते हैं अनुदानों से उसको वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे मैनेजमेंट आदि सब इस तरफ और ज्यादा सचेष्ट हों और जो फायदा गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्राप्त हो सकता है उन संस्थाओं को ऊंचा रखने के लिये, वह उसकी तरफ कोशिश करते रहें।

अब कालेज और यूनिवर्सिटी एजूकेशन के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा सेकेंडरी एजूकेशन के सिलसिले में हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा संख्या में संस्थायें साइंस में मान्यता प्राप्त कर सकें और उनके जरिये से ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे बालक और बालिकायें साइंस के एजूकेशन का फायदा उठा सकें ताकि आगे जाकर कालेजेज में वह भरती हो सकें और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश के काम में लग सकें। इसलिये यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिये और कालेज एजूकेशन के लिये गवर्नमेंट की तरफ से काफी कोशिश है कि साइंस के सम्बन्ध में जो कमियां हैं लाइब्रेरीज वगैरह की उनको हम दूर करें।

गत वर्ष ८ कालेजेज को अनुदान दिया है लेकिन इस अगले वर्ष हम १२ ऐसे कालेजेज को लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि २, ४ साल में शायद ही कोई डिग्री कालेज ऐसा रह जाय जिसको अनुदान न प्राप्त हो। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता लेकिन पिछले वर्षों में बहुत डिग्री कालेज खोले गये हैं और उनको मान्यता प्रदान की गई है। हमारी यह भी कोशिश है, और हमने यूनिवर्सिटीज से भी कहा है कि जहां तक हो सके वह ऐसी संस्था को ही मान्यता दें कि जो इस योग्य हो कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और गवर्नमेंट उस की व्यवस्था कर सकती है। उसके लिये भी हम समझते हैं कि कम संख्या में यदि हमारे कालेज रहे तो उनका स्तर ऊंचा होगा। और वह ज्यादा फायदा जनता को पहुंचा सकेंगे।

यूनिवर्सिटीज के लिये हमारी तरफ से भी सहायता मिलती है। हमारे यहां ८ यूनिवर्सिटीज हैं। ६ तो हमारे प्रदेश की सरकार की हैं। २ सेंटर की हैं और एक रूरल यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज में हम उनके भवन इत्यादि के लिये, उनके कामों को बढ़ाने के लिये भी सहायता देते हैं और यह खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन भी इस कार्य में काफी सहायता देने के लिये तैयार है। दिक्कत हमारे लिये यह होती है कि जो वे शर्तें लगाते हैं उसमें स्टेट को भी हिस्सा अपना देना पड़ता है। अर्थ के अभाव में हम पूरा फायदा उसका नहीं उठा पा रहे हैं। हमें आशा है कि यदि वह शर्त न रखी जाय तो ज्यादा संख्या में हमारा प्रदेश उन यूनिवर्सिटीज से और उनके कालेजेज से फायदा उठा सकता है।

हमारे प्रदेश में विद्यार्थियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये भी अच्छा प्रबन्ध है। २२० इंस्टीट्यूशन हमारे प्रदेश में हैं जिनको हम ८४,९२,८०० रुपये के अनुदान देते

हैं। हमारी कोशिश यह है कि इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स की जो व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि वह ज्यादा फायदेमन्द साबित हो सकें उन शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिये जो शिक्षक बनना चाहते हैं।

इसके अलावा हमारे यहां ओरियेंटल शिक्षा – संस्कृत और अरबी के लिये भी उचित व्यवस्था है और काफी तादाद में उसकी संस्थायें हैं। काफी तादाद में पाठशालाओं को मदद पहुंचाई गई है और उनको मान्यता देकर उनके स्तर को ऊंचा करने की कोशिश की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पाठशालाओं को ज्यादा मदद हर वर्ष दी जाती है। करीब १२,२२, ४०० रुपये, पिछले साल दिया गया है और अगले साल १७,४२,४०० रुपया देने का हमारा विचार है।

शारीरिक शिक्षा के लिये भी हमने इस बात का प्रबन्ध किया है कि हमारे बालक और बालिकायें खासतौर से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, एन० सी० सी० में शामिल हो सकें और ए० सी० सी० जो हमारे यहां इण्टरमिडिएट कालेजेज में है, उसमें शामिल हो सकें। हमारे यहां प्रान्तीय सेवा दल भी है जिसमें विद्यार्थी शामिल होकर अपनी शारीरिक उन्नति कर सकते हैं। हमारे प्रदेश से बहुत कम व्यक्ति मिलिटरी में जाते हैं। इसलिये हमारी कोशिश इस बात की है कि खेल–कूद आदि में विद्यार्थियों को ज्यादा लगाया जाय और उसके लिये लोगों को तैयार किया जाय ताकि हमारे प्रदेश के नवयुवक दूसरे प्रदेश के मुकाबले में अपने को कमजोर न मालूम पड़ने दें, और प्रतियोगिताओं में कामयाबी हासिल कर सकें तथा मिलिटरी में भी काफी तादाद में भरती हो सकें।

हमारे यहां सेकेण्डरी एजूकेशन के सिलसिले में एक विभागीय कमेटी भी नियुक्त की गई है यद्यपि उसमें हमने शिक्षकों को भी शामिल किया है, यह कमेटी जो अन्य कमेटियां प्रदेश के स्तर पर या केन्द्र की नियुक्ति हुई हैं उनकी सिफारिशों पर विचार करके हमको बतलायेगी कि हम कौन–कौन सिफारिशें अपने यहां लागू कर सकते हैं। मुझे शीघ्र आशा है कि उसकी रिपोर्ट हमें जल्दी ही प्राप्त होगी और उसके अनुसार हम अपने यहां परिवर्तन ला सकेंगे।

इसी प्रकार हमारे प्रदेश में डेढ़ साल पहले यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमीशन एप्वाइंट किया गया था ताकि सारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के बारे में वह जानकारी हासिल कर के हमें राय दे कि उनमें क्या क्या और परिवर्तन हो सकते हैं और कैसे हम उनको मदद दे सकते हैं इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार हो रहा है।

मैं एक समस्या का और जिक्र करना चाहता हूं सेकेंडरी एजूकेशन के सिलसिले में। सेकेंडरी एजूकेशन का सम्बन्ध इन्टरमीडियेट से रहता है और उस ऐक्ट में कुछ साल पहले कुछ तब्दीलियां की गई थी जिसके अनुसार एक स्कीम आफ मनेजमेंट चालू की गई थी। अभी तक वह मामला अदालत में था, लेकिन अब उसे अदालत ने ठीक स्वीकार कर लिया है और हम उसे अब पूरे तौर से लागू करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहां कभी-कभी टीचर्स में और मनेजमेंट में झगड़े हो जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसी स्तर पर वे झगड़े समाप्त हो जायं। जहां तक हो सका है हमने टीचर्स को सर्विस की सेक्योरिटी देने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक मैनेजमेंट को कुछ अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक मैनेजमेंट भी ज्यादा दिन तक उन संस्थाओं को चला नहीं सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही टीचर्स की सेक्योरिटी में हम बाधक नहीं बनते। जब तक वे इस बात को नहीं महसूस करेंगे कि उनकी सर्विस सेक्योर है वे अपनी शक्ति को पूरे तौर से अपने काम में लगा नहीं सकेंगे। इसलिये हमारी कोशिश है कि जहां तक हो सके उनके आपस के सम्बन्ध इस प्रकार के हों कि वे एक दूसरे को पूरक समझें और विद्या की उन्नति करना ही उनका लक्ष्य रहे।

[आचार्य जुगलकिशोर]

हमारे सामने कई बार माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से मांगें आईं और उनके डीयरनेस एलाउन्स के बारे में हम बराबर विचार करते रहे, हमारी एजूकेशन कमेटी भी विचार करती रही, मगर हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी तक किसी अन्तिम निश्चय पर नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जल्दी से जल्दी किसी निश्चय पर पहुंच जायेंगे और कुछ न कुछ एलाउंस हम उनको दे सकेंगे। सम्भव है इस सेशन के समाप्त होने तक ही हम इस विषय में कुछ निर्णय ले लें.....

एक सदस्य---उससे कुछ सन्तोष भी होगा उनको ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं आशा करता हूं कि जो फैसला होगा उससे उनको अवश्य सन्तोष होगा।

साथ ही मैं अध्यापकों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं, इस आदरणीय सदन के जरिये से कि उनको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिये और कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे कि अनुशासनहीनता का वातावरण पैदा हो। उनकी जो दिक्कतें हैं मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनसे यह प्रार्थना अवश्य है कि वे अपने किसी कार्य द्वारा अनुशासनहीनता का प्रदर्शन न होने दें और कोई ऐसा कार्य न करें जिस से यह पता चले कि वे शिक्षा के प्रति इतने जागरुक नहीं हैं जितने कि अपने अधिकारों के प्रति हैं। आज जिस हद तक अपने देश को हम ऊंचा करना चाहते हैं और एक आदर का भाव उनके प्रति पैदा करना चाहते हैं वह तभी सम्भव होगा जब हमारे अध्यापकगण अपने कर्त्तव्यों को निभायेंगे और उनको पूरा करने में सदैव आगे बढ़ेंगे। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां शिक्षा का प्रसार हो और हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इस कार्य में हमारे शिक्षकगण ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं और यह कार्य उनके स्नेह एवं सहयोग से ही पूरा तथा सफल हो सकता है।

आज हमारे देश में शिक्षकों की कमी है, उसको भी पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस आदरणीय सदन का बहुत आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने मेरे भाषण को शांति-पूर्वक सुना। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके जो भी रचनात्मक सुझाव होंगे उन पर अवश्य गौर किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को स्वीकृति के लिये इस सदन के सामने रखता हूं।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद क, ग, तथा घ, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोग से अंग्रेजी हटाने की मांग करना तथा प्रदेश का समस्त कार्य हिन्दी में करने की मांग करना।

माननीय शिक्षा मन्त्री के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैंने यह देखा कि उनके भाषण में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे यह मालूम हो सके कि वे शिक्षा के सम्बन्ध में इस राज्य में क्या प्रगति करने जा रहे हैं। उन्होंने बालक, बालिकाओं के मदरसों का जिक्र किया, लेकिन शिक्षा की नीति में और दिशा में कोई ऐसी बात पेश नहीं की जिससे समझा जाय कि जो उत्तर प्रदेश सारे भारत में शिक्षा के सम्बन्ध में, उड़ीसा को छोड़ कर, सबसे पिछड़ा हुआ है उसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जा रहा है। एक समय यही उत्तर प्रदेश सारे देश, बल्कि विश्व को शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति की दिशा में रोशनी देता था वही आज इन मन्त्रियों के नेतृत्व और शासन काल में पिछड़ा जा रहा है। मुझे शिक्षा मन्त्री के भाषण को सुन कर निराशा हुई। मैं समझता था कि मन्त्री जी सरकारी और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वेतन-क्रम और भत्ते में जो असमानता है उसको अविलम्ब दूर करने की घोषणा करेंगे....

श्री अध्यक्ष---माननीय गया प्रसाद जी, आपने यह प्रस्ताव रखा कि "मद क, ग तथा घ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपये कर दी जाय---कमी करने का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोग से अंग्रेजी हटाने की मांग करना तथा प्रदेश का समस्त कार्य हिन्दी में करने की मांग करना .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---सब पर बोलने का अधिकार है जोकि विरोधी पक्ष की तरफ से पेश हैं।

श्री अध्यक्ष---आप बोल रहे हैं, समझते नहीं हैं। मैं ठीक तरह से बतलाना चाहता हूं कि क्या रखना चाहिये। अगर आप यह प्रस्ताव रखते हैं कि "सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर रुपया एक कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना" हो तो आपका भाषण विस्तृत हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता। तो आपने जो रखा है उस पर इस प्रकार बोलना मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप वह प्रस्ताव रखिये जो यादवेंद्रदत्त जी का है तब कायदे से होगा, तभी सम्पूर्ण बात आप रख सकते हैं।

श्री गयाप्रसाद---ठीक है। सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना---यह मैं प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, पुराने रूल्स को देखें कटौती के प्रस्ताव इसी तरीके से रखे जाते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। साधारण नियम यह है कि जो प्रस्ताव कोई प्रस्तुत करे उसी पर वह बोल सकता है। यह आपस में तय हो गया है इस सदन में कि विभिन्न अनुदानों पर विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रस्ताव लायेंगी और उनकी ओर से एक प्रस्ताव कटौती का प्रस्तुत होगा।

शिक्षा के अनुदान के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ था कि वह सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा प्रस्तुत होगा। सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा जो प्रस्ताव पेश हो वह इस प्रकार का होना चाहिये जिसमें सारी नीति के विषय में विचार-विनिमय हो सके। अगर सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, बजाय इसके कि वह उस प्रस्ताव को पेश करे जिसके द्वारा सारी नीति पर विचार हो सके। तो मैं पूरी नीति पर आलोचना करने की इजाजत नहीं दूंगा। अतः मेरा निर्णय है कि माननीय गयाप्रसाद अगर यह प्रस्ताव रखते हैं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, तो वह कुल नीति पर भाषण दे सकते हैं। यह मेरा निश्चय है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरा निवेदन भी सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष---नहीं, आप बैठिये।

श्री उग्रसेन---फिर कब सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये, मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री गयाप्रसाद---वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, बावजूद इस बात के कि उसका विरोध होता रहा है, १९२० से महात्मा गांधी तथा अन्य गणमान्य नेताओं ने इस प्रणाली का विरोध किया लेकिन वर्तमान कांग्रेसी शासन उसको अपनाये हुये हैं और उसमें अपना श्रेय समझती है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि और विभागों के लिये कोई न कोई योजना बनाई गई है किन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में कोई योजना

[श्री गयाप्रसाद]

नहीं बनाई गई है और न शिक्षा की वर्तमान पद्धति की कोई दिशा ही निर्दिष्ट करती है। शिक्षा के अलावा, शिक्षा से सम्बन्धित खेल-कूद भी अपनी जगह पर बहुत महत्व रखते हैं परन्तु वह खेल-कूद शिक्षण संस्थाओं में सभी छात्रों के लिये उपलब्ध नहीं हैं और सभी छात्र उसका उपयोग कर पा रहे हैं।

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा गांव सभाओं को दे देनी चाहिये और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा या हायर सेकेंडरी शिक्षा जिला परिषदों को दे देनी चाहिये और नगर पालिकाओं को दे देनी चाहिये। उसके आगे की यूनिवर्सिटी एजूकेशन प्रान्तीय सरकार के हाथ में रहनी चाहिये। इस तरह की कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं चलाई जा रही है जिसके कारण शिक्षा का स्तर बराबर गिरता जा रहा है। अनावश्यक ढंग से शिक्षा के मसलों पर सरकार की ओर से रोक-थाम या पक्षपात किये जाते हैं उनसे इस प्रदेश में शिक्षा पनप नहीं सकती और न स्तर ही उठ सकता है और न उसका विस्तार ही सम्भव है। शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि सेंट्रल बजट का दस परसेंट और प्रान्तीय बजट का २० परसेंट शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रदेश में १४ परसेन्ट शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है जबकि यह प्रदेश शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है और दूसरे प्रदेशों में जहां शिक्षा ज्यादा है, मद्रास जैसे प्रान्त में, वहां पर शिक्षा पर २० परसेन्ट खर्च किया जा रहा है। तो हमारी सरकार शिक्षा की प्रगति करने की ओर उदासीन है। मैं आगे चलकर दो, चार उदाहरण दूंगा जिससे स्पष्ट हो जायगा कि शिक्षा की नीति कितनी दोषपूर्ण है।

हमारे संविधान में यह बात आई है कि २६ जनवरी, १९६० तक ६ साल से लेकर १४ साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जायगी और इस उद्देश्य की हम पूर्ति करेंगे। लेकिन आजतक हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सके और न उस तरफ हमारा रुझान है। इस सम्बन्ध में मैं मांग करूंगा सरकार से कि एक हाई पावर कमीशन की स्थापना की जाय जो शुरू से लेकर आखिर तक शिक्षा के सभी मसलों पर विचार करे और एक नयी प्रगतिशील दिशा का निर्देशन करे। आज माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र यह समझने में बिलकुल असमर्थ हो जाता है कि आगे वह क्या करे। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी में भीड़ लगी रहती है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा उनको किसी मार्ग का निर्देशन नहीं करती है, अपूर्ण है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह कोई ऐसा प्रबंध करे कि जब विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके निकले तो वह अपने को पूर्ण समझे।

सन् १९५८-५९ में एक सर्वे कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने प्रान्त भर का दौरा किया और घूम घाम कर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का सर्वे किया। उसके ऊपर बहुत सा रुपया खर्च किया गया। लेकिन जब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो सरकार ने उसको छपवा कर सदन की मेज पर रखने की कोशिश भी नहीं की और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसका कारण यह था कि सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को छपवा देने से सरकार का भंडा फोड़ होता था। इस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। इस रिपोर्ट से हमारी मांग को बल मिलता है कि इन विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार का कोई अधिक रुपया व्यय नहीं होगा।

जितने भी हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं उनकी जो एजूकेशन है उस पर कुल १२ करोड़ रुपया खर्च होता है जिसमें से मैनेजरों का कन्ट्रीब्यूशन केवल १२ लाख रुपया है। यह बात भी केवल कागजों पर है वह रकम वास्तविक रकम नहीं है। मैं आपके सामने सर्वे रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों को रख देना चाहता हूं जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

इलाहाबाद में एक बी० पी० गर्ल्स कालेज है जिसको सरकार २९,८२० रुपया ग्रान्ट देती है। दूसरी ग्रान्ट ५ हजार देती है। फीस से इनकम होती है २७,६८० रुपया। इसमें मैनेजर्स कन्ट्रिब्यूशन सिर्फ ४०० रुपया है। अब देखा जाय कि ६०-६५ हजार के खर्चे में केवल ४०० रुपया मैनेजर्स कंट्रीब्यूशन है। वह भी मैनेजर साहब के टी० ए०, डी० ए० का होगा। अगर इस विद्यालय का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो सरकार का कुछ भी रुपया खर्च होने वाला नहीं है।

दूसरा विद्यालय भी इलाहाबाद में है जिसको गवर्नमेन्ट ग्रान्ट मिलती है १२,३०० रुपया और फीस आती है ८,९६८ रुपया, लेकिन मैनेजर्स कन्ट्रीब्यूशन जारी है। अगर इस विद्यालय को गवर्नमेन्ट अपने मैनेजमेंट में ले ले तो उसको क्या ज्यादा खर्च करना पड़ेगा? तीसरा स्कूल है जनता विद्यामंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, उरई, जालौन। इसको सरकारी ग्रान्ट मिलती है ६,१६८ रुपया, फीस से इनकम होती है २,१९४ रुपया और मैनेजर साहब का कन्ट्रियूब्शन है ६३० रुपया।

एक मैनेजर्स एसोसियेशन के प्रेसीडेन्ट हैं श्री हृदयनाथ कुंजरू। वे चलाते हैं विक्टोरिया हायर सेकेंडरी स्कूल। उसको सरकारी ग्रान्ट मिलती है २१,३३६ रुपया और फीस से इनकम होती है २७,३६० रुपया और मैनेजर्स कन्ट्रीब्यूशन है ३९० रुपया। एक और स्कूल गोरखपुर में है गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोरखपुर तथा दूसरा है घुनमनदास हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोरखपुर जिनको ग्रान्ट मिलती है २६,९०८ रुपया और ९ हजार रुपया और मैनेजर्स कन्ट्रीब्यूशन है १,४१३ रुपया और ७६८ रुपया। दोनों स्कूलों में सेविंग है, पहले में तीन हजार रुपया सालाना और दूसरे में ४ हजार रुपया सालाना। इसके बाद मैं स्कूलों की एक बहुत बड़ी कम्पनी का हवाला दूंगा। प्रतापगढ़ जिले में १८-२० स्कूलों की एक कम्पनी श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चला रहे हैं। उनमें सबसे अच्छे स्कूल तिलक इन्टर कालेज, प्रतापगढ़ है जिसको गवर्नमेन्ट ग्रांट के रूप में ३, ४९२ रुपया मिलता है और फीस से १२,०४२ रु० की इनकम है और उसमें मैनेजर का कंट्रीब्यूशन ४ रुपया ८७ नये पैसे हैं। तो आप इन आंकड़ों को देखें तो मालूम होगा कि एक तरफ से स्कूलों का सर्वे नहीं किया गया है। ऐसे कागज में तो दिखला दिया गया है लेकिन चुन कर ही उनको चुना गया है और उनको देखने से पता चलता है कि उन स्कूलों में मैनेजर्स कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है।

कागज पर ही इस प्रकार के स्कूल चलाये जाते हैं जो जमींदारी की तरह से हैं और अपने पोलिटिकल एंड को मीट करने के लिये ऐसी संस्थायें खोली जाती हैं जिससे समय समय पर जलूस निकलवाये जाते हैं, तरह तरह के काम निकाले जाते हैं, चुनावों के मौकों पर प्रचार किया जाता है। इसके अलावा इन स्कूलों का और कोई दूसरा महत्व नहीं है। इन स्कूलों में यह होता है कि अध्यापकों को १२० रुपये के स्केल में रखा जाता है और उन्हें ८० रुपये ही दिये जाते हैं इस तरह से अध्यापकों को परेशान किया जाता है। इन स्कूलों में कहीं कहीं डबल वाउचर सिस्टम चलता है, जैसे एक जगह कोई चीज ५ रुपये की लिखी जाती है तो उसे दूसरी जगह डेढ़ रुपये का ही लिखा दिखाया जाता है। इस तरह के कई डबल वाउचर पकड़े गये। लेकिन सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को छपवाने की तकलीफ भी गंवारा नहीं की। आज इस तरह की शरारतें की जाती हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार प्रोत्साहित हो रहा है और एक गलत ढंग की राजनीति चलायी जा रही है। जमींदारी तो टूट गयी लेकिन आज उसको एक दूसरे रूप में खड़ा किया गया है। ऐसी स्थिति में आपसे मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये राजनीतिक पैंतरे को रोकने के लिये शीघ्रातिशीघ्र इन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करें अन्यथा यह राज्य शिक्षा की दृष्टि से कितनी अधोगति को प्राप्त होगा, नहीं कहा जा सकता। अभी तो यह एक प्रान्त से आगे है, लेकिन मैं समझता हूं कि संसार के सभी क्षेत्रों से सभी देशों से, यह पीछे जाने वाला है।

[श्री गयाप्रसाद]

हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अध्यापकों के डी० ए० के बारे में कोई घोषणा नहीं की है और इस तरह से उसने अपने सर एक चुनौती मोल ली है कि इस प्रान्त के अध्यापक फैसला कर लें कि इस प्रान्त की सरकार की शिक्षा के मामले में चलने नहीं पायेगी जब तक अध्यापकों के डी० ए० के मसले को वह हल नहीं करती है। वह दिन दूर नहीं है जब कि अध्यापकों के डी० ए० के मामले को उसे तय करना पड़ेगा। हर साल बजट में ग्रांट रखी जाती है जो लैप्स हो जाती है फिर भी डी० ए० के प्रश्न पर पैसे की कमी का बहाना कर दिया जाता है। विभागीय मदों में जो ग्रांट मिलती है उसका पैसा खर्च नहीं हो पाता, लैप्स हो जाता है। केन्द्रीय सरकार से जो ग्रान्ट मिलती है वह लैप्स हो जाती है, फिर भी डी० ए० के प्रश्न पर पैसे की कमी का बहाना ले लिया जाता है। अध्यापकों के डी० ए० के मसले को हल न कर के सरकार ने उनको एक चुनौती का मौका दिया है।

यह सरकार हिन्दी के मामले में भी बहुत पीछे की ओर जा रही है और यहां के बच्चों पर अंग्रेजी लादना चाहती है। मैं तो दरख्वास्त करता हूं कि हिन्दी का प्रयोग प्रान्त भर में सार्वजनिक तौर पर हो। सरकार ने जो अभी आदेश निकाला है कि दर्जा तीन से अंग्रेजी पढ़ायी जाय उस आदेश को उसे अविलम्ब वापस लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में इसके पहले भी कई बार यहां कहा जा चुका है। सरकार को चाहिये कि इस पर विचार करे।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आज आप के विश्वविद्यालयों में परचे आउट किये जाते हैं वह बाजारों में दस दस रुपये में जाकर बिकते हैं फर्जी कापियां लिखी जाती हैं फर्जी डिग्रियां दी जाती हैं इस तरह की कार्यवाहियां आज विश्वविद्यालयों में हो रही हैं परन्तु अधिकारियों ने और मंत्री जी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। छात्रों ने कई बार आन्दोलन किया, दरख्वास्तें दीं और प्रदर्शन किया, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और इस तरह का भ्रष्टाचार विश्वविद्यालयों में फैल रहा है जो सरकार के लिये एक अशोभनीय कार्य है। इस मसले के विषय में हमारी सीधी-सादी मांग है कि इन भ्रष्टाचारों को फौरन रोका जाय। कानपुर का मसला २ दिन पहले यहां पेश था और आज भी मेरे पास पत्र आया है जिस को मौके पर आप के सामने रखा जायगा। जबतक कि छात्राएं विभागों के अध्यक्षों के पास न जायं, उनके घर हाजिरी न दें और उनकी किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति न करें तब तक उनको डिग्री नहीं मिल सकती। जहांपर इस तरह का भ्रष्टाचार चलता हो उस को यदि अधिकारी और मंत्री जी नहीं रोक सकते हैं तो यह आवश्यक है कि वह इस्तीफा दें। मेरी खुली मांग है कि ऐसी स्थिति में उन को इस्तीफा देना चाहिये।

एक और ऐयाशी यहां पर हो रही है और वह यह है कि यहां पर डायरेक्टर साहब का एक कैम्प आफिस है, इलाहाबाद में पूरा विभाग है लेकिन ऐयाशी के लिये यहां पर एक कैम्प आफिस खोल रखा है। सियाल साहब और जक साहब में झगड़ा होता है और अफसरों में गुटबन्दी होती है, उनके जिम्मे कोई काम नहीं है, न तो कोई शिक्षा की नीति है कि वह कोई निर्देशन देते हों।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या शब्द 'ऐयाशी' संसदीय है?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य बतायें कि ऐयाशी से उनका क्या मतलब है?

श्री गयाप्रसाद---अनावश्यक खर्च।

श्री अध्यक्ष---वह ठीक है।

श्री गयाप्रसाद---तो यहां पर वह दफ्तर चल रहा है जिसके जिम्मे कोई काम नहीं, सिवा इसके कि सरकार के पास जो खतोकिताबत आती है उस को वह दो तीन दिन रोकें। यहां वह बेकार पड़े रहते हैं और फिर इलाहाबाद चले जाते हैं, चपरासियों का एक काफिला

रोज डाक लेकर इधर से उधर इलाहाबाद से लखनऊ आया जाया करता है। सिवा इसके उस का कोई काम नहीं है। डायरेक्टर साहब इलाहाबाद में नहीं बैठ सकते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है सिवा इसके कि दावतें खायें और शायरी सुनें। मैं चाहता हूं कि इस कैम्प आफिस को जरूर हटाया जाय और चक साहब के कारनामों पर एक जांच कमेटी बिठाई जाय कि वह करते क्या हैं।

इसके अलावा इलाहाबाद में एक पेडागागिकल इन्स्टीट्यूट है....

श्री अध्यक्ष--आप कितना समय और लेंगे ?

श्री गयाप्रसाद--सिर्फ दो मिनट।

मैं यह कह रहा था कि वहां पर पेडागागिकल इंस्टीट्यूट के जो इंचार्ज हैं उनका होस्टल के सारे कमरों पर कब्जा है, विद्यार्थियों को जगह नहीं मिल पाती, वह सड़कों पर पड़े रहते हैं लेकिन सारे कमरों पर उनका कब्जा है और वे छात्रों के लिये उपलब्ध नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उन कमरों में छात्रों को जगह दी जाय। यह चीजें ऐसी हैं कि जिन की जांच होना जरूरी है और अगर मंत्री महोदय इन चीजों के होते हुये इस्तीफा नहीं देते हैं तो कम से कम मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीजों की जांच अवश्य करावें।

चक साहब की देखरेख में यह 'शिक्षा की प्रगति' पुस्तक छपी है। शिक्षा की प्रगति नामक पुस्तक से २, ४ लाइनें पढ़ देना चाहता हूं जिसकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे छापने और लिखने वाले जितने लोग हैं उन्होंने खयाल नहीं किया कि इसमें क्या छप रहा है। इसमें पृष्ठ ३२० पर लिखा है "विभिन्न केन्द्रों द्वारा कक्षा ९ के विद्यार्थियों को सामूहिक शैक्षिक निर्देशन तथा दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को सामूहिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जा रहा है....अभी तक २० विद्यार्थियों ने यह डिप्लोमा प्राप्त किया है"। इसमें कक्षा ९ की जगह ८ होना चाहिये और उसके बाद जो यह लिखा है कि २० विद्यार्थियों ने यह डिप्लोमा प्राप्त किया है, तो इसके पहले की रिपोर्ट देखी जाय, उसमें दिया हुआ है "९० विद्यार्थियों ने डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है" जब कि इस साल आप केवल २० के लिये कह रहे हैं। इन दोनों में कौन सी फिगर सही है, मंत्री जी बतावें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

[अनुदान संख्या १८--शिक्षा

(लेखा शीर्षक : २८--शिक्षा)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री केसरीप्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--संपूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--गढ़वाल में सरकारी (राजकीय) विद्यालयों की आवश्यकता के बारे में सुझाव देना।

[ ] कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
३	श्री राम भजन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--शिक्षा विभाग में शिक्षा का स्तर गिरने तथा गांवों और शहरों के बीच की विषमता तथा स्त्री शिक्षा के समुचित प्रबन्ध का न होना इत्यादि बातों के बारे में सुझाव देना ।
४	श्री झारखन्डेराय, श्री चन्द्रजीत तथा श्री भीखालाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--शिकायतें करना और सुझाव देना ।
५	श्रीमती विनय लक्ष्मी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का शीघ्रातिशीघ्र प्रदेशीयकरण होना चाहिये । पंचायतों को प्रारम्भिक शिक्षा को सौंपना एक गलत और खतरनाक कदम है ।
६	श्री राजनाथ	मद--शिक्षा--ख (माध्यमिक) तथा ग--(प्रारम्भिक) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--अध्यापकों के वेतन-क्रम तथा मंहगाई भत्ते की विषमता पर विचार एवं विवाद करना ।
७	श्री टम्बेश्वरी प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की ओर दुर्लक्ष तथा अन्य गलत नीतियां ।
८	श्री बिपिनबिहारी तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--- अध्यापकों के वेतन-क्रम की ओर दुर्लक्ष तथा शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ।
९	श्री जे० पी० मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--(१) अधिक धन की मांग करना तथा (२) विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।
१०	श्री रामसुन्दर	मद--क--विश्वविद्यालय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--मेरठ में विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर देना, जिससे कम व्यय में उस क्षेत्र के गरीब परिवार के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें ।
११	श्री मैनेजर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१२	श्री मेघनाथ सिंह शीशोदिया	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता की आलोचना करना व विभागीय कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा उचित सुझाव देना ।
१३	श्री कृष्ण चन्द्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया करदी जाय । कमी करने का उद्देश्य—शिक्षा की वर्तमान त्रुटिपूर्ण प्रणाली की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और सुझाव देना ।
१४	श्री छेदालाल चौधरी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्रजातांत्रिक प्रणाली के शासन यंत्र द्वारा संचालित देश के सामान्य नागरिकों में शिक्षा द्वारा उनमें मौलिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करने के लिये शिक्षा में सुझाव देना ।
१५	श्री रामसुन्दर	मद—ङ—सामान्य व्यय–(क) निदेशन के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—उप शिक्षा संचालक पदों को समाप्त किया जाय और जिला कार्यालयों के लिपिकों की संख्या हायर सेकेन्डरी स्कूलों की तादाद के मुताबिक बढ़ा दी जाय ।
१६	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—माध्यमिक शिक्षक संघ के महंगाई भत्ते के अन्तर को मिटाने की मांग करना तथा दर्जा तीन से अंग्रेजी हटाने की मांग करना।
१७	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
	श्री भानु प्रताप सिंह श्री प्रेमसिंह श्री मुन्नू सिंह श्री काशीनाथ बहादुर, श्री विजय सिंह श्री चैतन्य राज सिंह श्री राम अधार कन्नौजिया, श्री नवरंग सिंह तथा श्री बलवीर सिंह ।	कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१८	श्री टम्बेश्वरी प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--सरकार द्वारा स्कूलो को ग्रांट देने में पक्षपात करना।
१९	श्री रामसुन्दर	मद-ग-प्रारम्भिक की उपमद (ख) अशासकीय प्रारम्भिक विद्यालयों को प्रत्यक्ष अनुदान और प्रारम्भिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--सज्जा, भवन एवं अध्यापकों की आजमगढ़ में नितान्त कमी है, विशेष अनुदान प्रदान कर उक्त कमी की पूर्ति कर दी जाय। अध्यापकों के वेतन एवं मंहगाई में विशेष बढ़ोत्तरी की जाय।
२०	श्री रामसुन्दर	मद-ख-माध्यमिक (जिनमें इन्टरमीडियेट कक्षायें भी हैं) के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी तथा मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्कूल के व्यय के भाग में ३/४ की पूर्ति प्रादेशिक सरकार करे।
२१	श्री रामसुन्दर	मद (ग)--प्रारम्भिक की उपमद (ख) अशासकीय प्रारम्भिक बिद्यालयों को प्रत्यक्ष अनुदान और प्रारम्भिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान एवं मिडिल शिक्षा के अधीन मांग की राशि में सौ रुपयें की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--प्रान्त के समस्त मिडिल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले सातवें एवं आठवें दर्जे के समस्त छात्रों की फीस माफ करने का आदेश दिया जाय एवं निकायों तथा संस्थाओं की पूर्ति करने का वचन प्रदान कर दिया जाय।
२२	श्री मेघनाथसिंह शीशौदिया	मद-ङ-(सामान्य व्यय) की उपमद (क) निदेशक के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--निदेशन तथा निरीक्षण कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन में असमानता की आलोचना करना व सुझाव देना।
२३	श्री होरीलाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता देने में अनुदार नीति की आलोचना करना, कक्षा ६ के विद्यार्थियों की फीस माफ होने के कारण होने वाली क्षति पूर्ति में सरकार की लापरवाही, जिला परिषद् फर्रुखाबाद द्वारा चुनाव के समय अनियमित रूप से अध्यापकों के परिवर्तन, जिला फर्रुखाबाद के राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक को मिलता है।]

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । किसी देश में प्रजातंत्र प्रणाली को चलाने के लिये यह आवश्यक है कि जन-जागृति हो और जनता पूर्णरूप से शिक्षित हो, तभी चौमुखी विकास हो सकता है और विशेषकर मन और मस्तिष्क का । हमारे प्रदेश में जो कदम शिक्षा प्रसार के लिये उठाये गये हैं, जो आज मंत्री जी ने बताया, वे सराहनीय हैं । अब तक हमारे प्रदेश में ६४ प्रतिशत लड़के और लगभग १९ प्रतिशत लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं । अब यह प्रयत्न किया जायगा कि बालकों की शिक्षा ८१ प्रतिशत पहुंचे और बालिकाओं की शिक्षा ४२ प्रतिशत पहुंचे । इतनी कोशिश करना यह दिखाता है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहे । अगर इसी प्रकार की उन्नति करते रहे, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, तो हमारे प्रदेश में अवश्य कुछ समय बाद पूर्णरूप से सब लोग शिक्षित हो जायेंगे ।

शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का विकास और वह तब हो सकता है जब कि इस प्रकार की शिक्षा हो कि लोग डिसिप्लिन में रहना सीखें, तभी अच्छे और बुरे की पहचान हो सकती है । रोज हमारे सामने कहीं कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जिसमें इस प्रकार की भूल न होती हो जो कि डिसिप्लिन की कमी के कारण है । शिक्षा विशेषज्ञ इस सिलसिले में लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं कि किस प्रकार नवयुवक को डिसिप्लिन में रखा जाय । मैं २१ वर्ष से अध्यापक का कार्य कर रहा हूं और मेरा तजुर्बा है कि एक छोटी सी बात मंत्री जी अगर स्वीकार करें, तो इस ओर हम डिसिप्लिन के अदारे में कुछ परिवर्तन कर सकेंगे । जहां तक मुझे याद है, मैं जब पढ़ता था तो विद्यालय में बच्चों का खेलना अनिवार्य था साढ़े तीन बजे के बाद । आज यह तो जरूर है कि बहुत से विद्यालय खुले, १७ सौ के करीब हायर सेकेन्डरी कालेजेज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, लेकिन जहां तक खेल की बात है वह लुप्त सा हो गया है । कोई भी फील्ड नहीं हैं । अगर कहीं हैं तो उनके पास खेलकूद का कोई इंतजाम नहीं है । मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वह ऐसी रकम अवश्य रखें, चाहे वह एकदम न हो सके, ५ सालों में विद्यालयों की संख्या बांट लें, लेकिन वह होनी चाहिये । कम से कम जो शहरों में कालेजेज हैं उनमें ६ हजार और जो ग्रामीण विद्यालय हैं उनमें ४ हजार रुपया ऐसा दें जिससे प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में एक प्ले ग्राउन्ड अवश्य हो और खेल-कूद का इंतजाम अवश्य हो, फील्ड भी बढ़ते जायं ताकि सभी बच्चों को वहां पर खेलने कूदने दिया जाय । हम लोगों को यह शिकायत रहा करती है कि कुछ संस्थायें हैं जो बच्चों के मस्तिष्क पर कुप्रभाव डाल रही हैं और गलत दिशा की ओर उनको ले जा रही हैं । मैं सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे संस्थायें बच्चों को खेलकूद की ओर ले जाती हैं और वहां उनको एकत्र करके जब वे खेलकूद में लगते हैं तब उनमें विषैला प्रचार करती हैं । बच्चों की खेलकूद में निष्ठा होती है और उसमें उनका मन लगता है । अगर हम विद्यालयों के जरिये से खेलकूद को फिर चलावें तो बच्चों में डिसिप्लिन भी आयेगी और उनका मस्तिष्क भी विकसित होगा ।

दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि नगरपालिका के अध्यक्ष के नाते और अन्तरिम जिला परिषद् की शिक्षा समिति के अध्यक्ष के नाते शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आज जो दुर्दशा हमारे प्राइमरी स्कूलों की है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं, मैंने स्वयं मंत्री जी को दो सड़क पर स्थित स्कूल दिखाये थे । ठीक है कि हम बहुत से स्कूल खोल रहे हैं और टारगेट से हम ज्यादा बढ़ गये हैं और एक दफा के ड्राइव में ही हम यहां तक पहुंच गये हैं । हम चाहते हैं कि एक मील के रेडियाई में एक संस्था जरूर हो जिससे सारे प्रदेश में शिक्षा फैल जाय । बहुत उम्दा प्रयास है, लेकिन मुझे आपके द्वारा इतनी बात माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करनी है कि उन पाठशालाओं का जो इन्वायरन्मेंट हैं और जो मैटीरियल हैं उसकी ओर भी ध्यान हमारा विशेष रूप से होना चाहिये । जहां बच्चों के बैठने के लिये टाट न हो, तो आप समझते हैं कि उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा और किस तरह

[श्री जगदीशनारायण सिनहा]

की वे शिक्षा प्राप्त करेंगे ? जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी भी ऐसी दशा है जिनसे वह चिन्तित रहते हैं । तो ऐसे वातावरण में वह शिक्षा ठीक प्रकार से चल नहीं पाती । यह ठीक है कि हम एक तरफ प्रसार की बात भी करें और दूसरी तरफ स्टेबिलाइजेशन वाली बात भी हो यही उचित है । इन विद्यालयों में बेसिक शिक्षा जो है उनमें ठीक सामग्री हो, अच्छा वातावरण वहां हो यह अति आवश्यक है । आजकल जो कुछ यह वहां है भी वह दिखावा मात्र है । इस तरफ ध्यान हमारा जाना चाहिये ।

जो बेसिक बोर्ड बना हुआ है उसका पूरा ध्यान इस वक्त इस तरफ है कि वह सुधार की बात रख सकें और उस प्रणाली में अच्छा परिवर्तन लाया जा सके ।

अन्तिम बात जो मुझे कहनी है वह डी० ए० के बारे में है । अभी पहले जो पुलिस का बजट पेश हुआ है उसमें मैंने देखा कि पुलिस के लिये महसूस किया गया कि उनकी वेतन-वृद्धि जरूरी है । उनको शिकायत थी कि जब पैसा ठीक से काफी नहीं मिलता है तो हम कैसे अच्छा काम करें । इसलिये ८० लाख रुपया पुलिस पर खर्च किया गया । डी० एस० ओ० का भी upgrade इसी तरीके से हुआ है । इसी तरह से आठ District Inspectors हैं । ऐसा समझा गया कि १ इंसपेक्टर जहां काम कर रहे हैं उनसे काम नहीं चलता और वहां पर एक के स्थान पर २ डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर्स रहेंगे । इस सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि एक इंसपेक्टर महोदय कितना काम करते हैं, इसका तो अधिकारीगण को पता होगा । लेकिन जब हम यह सब महसूस करते हैं कि उनके काम को देखते हुये, उनकी दिक्कतों को देखते हुए उनकी तनख्वाहें बढ़ें तो अध्यापक, जिसे राष्ट्र के निर्माण का कार्य करना है उसको जिस परिस्थिति में आज रहना पड़ रहा है, वह कैसे अच्छी तरह से अपने फर्ज का अन्जाम दे सकता है ? इसलिये मैं समझता हूं, हालांकि पैसे की दिक्कत है, इस बात पर गौर करके मामूली सा कदम उठाया जाय ताकि अध्यापकों में संतोष हो कि कुछ होने जा रहा है । बड़ी रकम न दे सकें तो छोटी रकम ही आप मंजूर करें ताकि संतोष के साथ अपने फर्ज को अंजाम अध्यापक दे सकें और शिक्षा के कार्य को ठीक से चला सकें ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा जैसे विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । यह जो पुस्तिका हमको दी गयी है "६१-६२ की शिक्षा की प्रगति", इसके पहले वाक्य तक ही मैं अपने को सीमित रखना चाहता हूं । उसमें कहा गया है "शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की मानसिक, नैतिक और शारीरिक शक्तियों का विकास करना और अपने देश की मर्यादाओं के अनुकूल वैयक्तिक और जाति के जीवन की अभिवृद्धि करना है ।"

आज की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो पाठ्यक्रम है उसमें यह जो वाक्य है, इसका कितना समावेश किया गया है, इस पर विचार किया जाय तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे मंत्री महोदय की तरफ से एक बहुत सुन्दरतम विचार शिक्षा के संबंध में हमारे सामने रख दिया गया है । परन्तु अगर वास्तव में देखा जाय कि उनमें से कोई भी अंश का प्रतिपादन शिक्षा के द्वारा हो रहा है तो वैसा होते हुये देखने में नहीं आयेगा ।

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

हमारे समाज के बच्चों की आज मानसिक स्थिति क्या है, हमारे बच्चों का नैतिक स्तर कितना ऊंचा उठ रहा है और शारीरिक उन्नति कितनी हो रही है, इसको अगर हम देखें तो वास्तव में शिक्षा की जो योजनायें हैं वे इसको पूर्ण करने में असमर्थ हैं ।

जहां तक देश की मर्यादाओं के अनुकूल वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की अभिवृद्धि करने का प्रश्न है तो हमारी बुद्धि भी दूसरी, हमारा प्रकार भी दूसरा, हमारी भावनायें भी विदेशी प्रकार की शिक्षा के माध्यम के द्वारा देखने में आ रही हैं । मंत्री महोदय

ने आंकड़े रखे कि इतनी संख्या बढ़ी, इतने बच्चे बढ़े, इतना प्रतिशत खर्चा बढ़ा—तो इस प्रकार से हमारे शिक्षा विभाग के सामने यह प्रश्न है कि क्वांटिटी बढ़ती जाय, मैं चाहता हूं कि बच्चों में क्वालिटी भी बढ़े । इसकी ओर शिक्षा विभाग का जरा भी ध्यान नहीं है ।

आज हाई स्कूल, इंटरमीडियेट डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, परन्तु आप उनकी योग्यता पर ध्यान दें । उनको कितनी सामान्य जानकारी है इसके बारे में आप पता लगाइये तो आपको पता लगेगा कि आज का हाई स्कूल पास विद्यार्थी चौथी कक्षा के बराबर भी योग्यता नहीं रखता । इसके साथ ही साथ यह भी देखने में आयेगा कि जहां शिक्षा का व्यय बढ़ता जा रहा है वहां क्वालिटी गिरती जा रही है । फिर, श्रीमन्, यदि हमारे बच्चों के चारित्रिक जीवन तथा नैतिक जीवन में उन्नति होती रहती तो संतोष होता कि वास्तव में प्रगति हो रही है । आज हमारे बच्चों के सामने जो पाठ्यक्रम रखे जाते हैं उनमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है ।

पहली बात जो पाठ्यक्रमों में है वह यह है कि जो कोर्स है उसके अन्दर जितने विषय पढ़ाये जाते हैं वे प्रारम्भ से ही अधिक मात्रा में होते हैं । सभी विषय शुरू से ही हैं । बच्चे कैसे उनको लेकर चल पाते हैं, यह समझ में नहीं आता ।वास्तव में बच्चों के लिये प्रारम्भ में जो 'थ्री आर' की स्कीम है, रीडिंग राईटिंग ऐण्ड रिथमेटिक, उसके मुताबिक हमें देखने में आता है कि तीसरी कक्षा में ही समाज शास्त्र, विज्ञान और न जाने कितने प्रकार के विषय पढ़ाये जाते हैं जिसके कारण उनका विकास किसी दिशा में नहीं हो पाता ।

इसके अतिरिक्त मैंने सामान्य बाद-विवाद के समय भी कहा था कि हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में हमारी राष्ट्रीयता के ऊपर जोर देने वाले पाठों का बिलकुल अभाव रहता है जिसके कारण हमारे बच्चों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं हो पाता है । इसके अलावा नैतिकता की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चे जिस प्रकार का जीवन चाहते हैं उस ओर बहते चले जाते हैं । इसलिये, श्रीमान्, एक तो पाठ्यक्रम कम हो । वह इस प्रकार का हो जिसका भार हमारे बालक वहन कर सकें । इसके अलावा उनका नैतिक और मानसिक विकास भी हो सके इसका भी ध्यान रखा जाय । ऐसा न होने का कारण क्या है, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं ।

हमारे अध्यापकों के बारे में सरकार ने अनेक बातें कही हैं, परन्तु वे अपने स्थान पर सेल्फ-सफिशेन्ट हो । सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । प्राइमरी शिक्षक को ५५ और ६० रुपये वेतन दिया जाता है जिससे मजबूर हो कर उसे कभी खेती की ओर ध्यान देना पड़ता है और कभी अन्य साधन ढूंढ़ने पड़ते हैं । परिणाम यह होता है कि वह छोटे बच्चों को पढ़ाने की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाता और प्रारम्भ में ही जब बच्चे की सुदृढ़ नींव पड़नी चाहिये, वहीं से कमजोरी प्रारम्भ हो जाती है । अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही शिक्षा प्राप्त कर सकें तो हमें यह भी देखना होगा कि प्राइमरी शिक्षक पूरी तरह से संतुष्ट हों । आज ५५ और ६० रुपये में कोई भी तीन, चार आदमियों के परिवार का गुजारा नहीं कर सकता । इसी तरह से अन्य अध्यापकों की तनख्वाह का भी प्रश्न है । उन्हें भी ट्यूशन वगैरह ढूंढ़ कर अपना खर्च पूरा करना पड़ता है । इसलिये उनके वेतन में वृद्धि करना आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त जब से हमारा अध्यापक राजनीति में भाग लेने लग गया है तब से वह विद्यार्थियों को भी राजनीति में घसीटता है और राजनीति में पड़ने के कारण उसे पढ़ाने का समय नहीं मिलता । इसलिये अध्यापक को राजनीति से हटाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त जो हमारे बच्चों के चरित्र में गिरावट हो रही है उस ओर भी शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिये । आज वह सिनेमा देख कर कपड़े वगैरह पहनने की नकल

[श्री रक्षपालसिंह]
करते हैं । इस पर रोक होनी चाहिये, उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिये । मैं अपने जिले फतेहपुर का हाल बताता हूं । वहां एक प्रधानाचार्य महोदय ने 'धूल का फूल' जैसे चित्र को देखने के लिये भी विद्यार्थियों के लिये कन्सेशन दिलाने की कोशिश की ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो अनुदान की मांग की गयी है उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं । मुझे आश्चर्य है कि शिक्षा जैसे विषय पर भी हमारे विरोधी दल के लोगों ने यह कटौती का प्रस्ताव किया कि कुल अनुदान में से मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । यदि उन्हें नीति की ही आलोचना करनी थी तो वे कटौती के रूप में यह कहते कि १ रुपया कटौती की जाय न कि कुल अनुदान में से काट कर १ रुपया कर दिया जाय । एक ओर वह यह कहते हैं कि डी० ए० बढ़ाया जाय और शिक्षकों के वेतन-क्रम में पैरिटी लाई जाय और दूसरी ओर यह कहा जाय कि अनुदान की धनराशि को कम करके एक रुपया कर दी जाय, तो यह कहां तक तर्कसंगत है, यह बात मैं उनके ऊपर ही छोड़ती हूं कि वे इसको विचारें । मुझे अफसोस है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने प्रदेश की शिक्षा के लिये इतनी कम रकम मांगी है । इसके लिये अधिक रुपये की मांग की जानी चाहिये थी ।

हमारे प्रदेश में शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मांग कई वर्षों से चली आ रही है और जिसको पहले के शिक्षामंत्री जी ने स्वीकार भी किया था कि जो गैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं उनके वेतन-क्रम में और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतनक्रम में समानता लाई जाय, इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था । उसको मानते हुये चुनाव के बाद नये मंत्रिमंडल के बनने पर हमारे शिक्षा मंत्री जी को बड़े साहस के साथ इस मांग को स्वीकार करते हुये हमारे सामने यह घोषणा करनी चाहिये थी । १९ करोड़ की अपेक्षा वे २/३ करोड़ रुपया और बढ़ाकर ज्यादा रुपये की मांग सदन से करते तो सदन उसको स्वीकार करता और मैं समझती हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी ।

मैं समझती हूं कि अध्यापकों की ओर से यह एक बहुत ही उचित मांग है । माध्यमिक शिक्षक संघ जो प्रदेश के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है उसकी तरफ से यह मांग है, इसलिये इसकी ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये । आज शिक्षा की उन्नति के लिये आवश्यक है कि जो शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाय, क्योंकि ये ही हमारे बच्चों को गढ़ने वाले हैं, उनका चरित्र निर्माण करने वाले हैं । इसलिये इनकी आर्थिक दशा अच्छी होनी चाहिये । आज के भौतिक युग में अर्थ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और सामाजिक व्यवस्था में भी पैसे पर ही जोर दिया जाता है, वहां पर हम उनको कम तनख्वाह देकर समाज में सम्मान नहीं दिला सकते हैं और यह संभव नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगी कि समाज में सम्मान दिलाने के लिये इनके वेतनक्रम बढ़ने चाहिये और योग्य व्यक्ति इस क्षेत्र में होने चाहिये । अक्सर यह होता है कि जब कभी किसी योग्य व्यक्ति को दूसरी नौकरी मिल जाती है तो वह छोड़कर चला जाता है और इसलिये चला जाता है कि यहां पर तनख्वाह कम होती है । यदि योग्य व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं में नहीं रहते हैं तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है । दो विरोधी बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं । इसलिये इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है ।

हमारे मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक डी० ए० का प्रश्न है उसका जल्द से जल्द वे निर्णय करने वाले हैं । इसलिये मुझे साहस होता है कि मैं आपके द्वारा यह कह सकूं कि इस पर निर्णय लेते समय वह इस बात का खयाल रखें कि हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में डी०ए० बहुत कम है । जैसे आंध्र में ३५ रुपये से ४२ रुपये, आसाम में २५ रुपये, बिहार में ३० से ३५ रुपये, महाराष्ट्र में से ४५ से ५५ रुपये, बंगाल में ३५ रुपये पंजाब में ४० रुपये और राजस्थान में

३० से ४० रुपये है जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ५ रुपये है। जो एडेड प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक हैं उनको केवल ५ रुपये तक डी० ए० दिया जाता है। मैं तो यह चाहती हूं कि यदि हमारी सरकार की इस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह समान पैरिटी की बात कर सके तो कम से कम ऐसा कुछ तो करना ही चाहिये था जिससे उनको कुछ लाभ होता। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस तरह की घोषणा की है और इस तरह की आशा दिखलाई है कि सम्भव है कुछ किया जा सके। अब मैं अन्त में कुछ अपने सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं।

इन्टरमीडिएट अमेंडमेंट ऐक्ट के द्वारा एक ओर अध्यापकों को सक्योरिटी अवश्य मिली है लेकिन जो वहां का मैनेजमेंट है उसका साथ वे प्रिन्सिपल देते हैं। इसलिये अध्यापकों के साथ जो मैनेजमेंट करना चाहता है वह करा ही लेता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि कम से कम पूरे प्रदेश में चाहे वे एडेड स्कूल्स हों, या माध्यमिक स्कूल्स हों या कालेजेज हों उनके प्रिन्सिपल की नियुक्ति गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिये। जब यह होगा तो मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में सरकारी नियमों का पालन होगा और वह प्रिन्सिपल जो मैनेजमेंट के हाथ की कठपुतली होकर रह जाता है वह भी नहीं होगा। इस तरह से जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं और उनसे कराना चाहते हैं उसका सरकारी नियमों द्वारा पालन हो सकेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां तक लड़कियों की शिक्षा का प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा में जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, अधिक वृद्धि होनी चाहिये। एक प्रश्न यह भी है कि जो आर्ट टीचरों की तनख्वाह की समस्या है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिये। एडेड इन्स्टीटयूशन में जो मैटरनिटी लीव की आवश्यकता होती है उसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें अध्यापिकाओं को ३ महीने की छुट्टी दी जाती है और कालेजों में भी उनको तीन महीने की छुट्टी मिलती है, लेकिन जो एडेड संस्थायें हैं उनमें केवल एक महीने की छुट्टी दी जाती है। जहां तक उनकी अवस्था का प्रश्न है, प्रसव काल में प्रत्येक स्त्री की एक ही हालत होती है। इसलिये मानवता के नाते और देश के स्वास्थ्य को देखते हुये भी मैं यह चाहती हूं कि सरकार इस दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाये।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अनुदान पर की गई कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आजादी के बाद इस मुल्क के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं आईं और उन समस्याओं का मुकाबला करने के लिये इस मुल्क ने कमर कसी। श्रीमन्, जहां पर हमने मुल्क के भाइयों के लिये, रहने वालों के लिये मकान, भोजन और दवा-दारू का प्रबन्ध किया और करने की कोशिश हम आज तक करते आ रहे हैं, भले ही पूरी सफलता न मिली हो, वहां पर शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी जनतन्त्र के लिये शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। माननीय गोखले ने आज से ५० वर्ष पहले कहा था कि हमें अपने मालिकों को शिक्षित बनाना चाहिये "वी मस्ट एजुकेट आवर मास्टर्स"। यह प्रश्न हमारे कानों में गूंजा करता है, लेकिन परेशानी यह है कि इन १४ वर्षों में हम इस आइडियल पर नहीं पहुंच सके हैं। हमने बालिग मताधिकार तो दे दिया लेकिन बालिग मताधिकार से पैदा होने वाले कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति ज्ञान और चिन्तन जन-साधारण में पैदा हो जाय, ऐसी स्थिति हमने पैदा नहीं की। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया लेकिन उसके साथ-साथ यूनिवर्सल इग्नोरेंस को भी स्थान दिया। यह दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल इग्नोरेंस दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। यही कारण है कि आज आये दिन हमारी कठिनाइयां जनतंत्र के सही ढंग से चलने में बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में हम और आप सब मिल कर सोचें और हिम्मत के साथ सोचें। खुले दिमाग के साथ सोचें और इस तरीके से सोचें कि हम रूढ़िगत परम्पराओं से मुठभेड़ ले सकें और हो सके तो शिक्षा के सारे ढांचे को बदल दें। आज जो शिक्षा की पद्धति

[श्री केसरीप्रसाद]

है वह हमारे काम की उतनी नहीं है जितनी कि किसी भी जनतांत्रिक प्रगतिशील देश से अपेक्षा की जाती है। आज प्री बेसिक, बेसिक, प्राइमरी, जूनियर सेकेंडरी, इन्टरमीडिएट कालेजेज, डिग्री कालेजेज इस तरीके से एक अजीब किस्म का शिक्षा का ढांचा बना हुआ है जिनको गिनने में पूरा दिन लग सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा और जोर के साथ कहना चाहूंगा।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के दौरान में शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं। आज तो उनको सदन में बैठना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष---शिक्षा मंत्री जी अभी बैठे थे, कहीं चले गये होंगे और मंत्रिगण बैठे हैं।

श्री केसरीप्रसाद---मैं कह रहा था कि शिक्षा के संचालन में हमको बड़ी दृढ़ता से काम करना पड़ेगा। इसमें पाइलेट प्रोजेक्ट इन एजूकेशन ऐसी स्कीम लागू करनी होगी जो ओवर-आल स्कीम होगी। जिसमें कमाई और पढ़ाई तथा प्रगतिशील जितने भी अनुसन्धानात्मक कार्य हों वह सब शुरू से शुरू किये जायं और उन्हें आखिर तक ले चल कर पूर्णता को पहुंचाया जा सके। जब मैं पाइलट प्रोजेक्ट इन एजूकेशन की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में यह बात बहुत साफ है कि हर गांव सभा में एक प्री पाइलट स्कूल होगा जिसमें बागवानी के लिए जमीन होगी, खेलकूद के लिए मैदान होगा, खेती के लिए जमीन होगी, और बच्चों को दोपहर का भोजन वहां दिया जायगा। वहां ऐसी व्यवस्था की जायगी कि जिसमें सभी बच्चों का रहन-सहन एक सा हो, उनके कपड़े लत्ते एक से हों। तब आल राउंड एजूकेशन की सृष्टि होगी। आल राउंड एजूकेशन की बात जब मैं करता हूं तो निश्चित रूप से मैं इस विचार का हूं कि एक साथ रहने सहने, एक साथ पढ़ने लिखने, एक साथ खेलने-कूदने से समसमाज की भावना छोटे बच्चों में जागृत होगी और यही भावना उनके अन्दर विकसित होकर फलेगी, फूलेगी जिससे वह जातपांत के भेदभाव से ऊपर उठ सकेंगे और राष्ट्र को समुन्नत बना सकेंगे। ऐसी अवस्था में प्रत्येक गांव सभा में जब एक प्री पाइलेट स्कूल होगा तो वह उसी के आधार पर हर पंचायती अदालत के क्षेत्र में एक फुल-फ्लेज्ड पाइलेट स्कूल होगा जिसमें थ्री आर-रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक के साथ साथ और जितने भी टेक्निकल और साइंस के विषय होंगे उनकी शिक्षा का प्रावधान होगा और उनकी विशेष रूप से शिक्षा भी होगी। यह फुल-फ्लेज्ड पाइलेट स्कूल्स पंचायत कौंसिल्स के अधीन कार्य करेंगे जब कि प्रि-पाइलेट स्कूल्स विलेज कौंसिल्स के अधीन कार्य करेंगे।

इसी तरीके से ब्लाक्स के स्तर पर एक फुल-फ्लेज्ड काम्प्रीहेंसिव स्कूल होगा जिसका बहुत व्यापक क्षेत्र होगा और उसमें वह सारे विषयों का जिनको कि १८ वर्ष की उम्र तक समझ और सीख वाले बच्चों को लेना चाहिए और जो उनके सारे जीवन के लिए उपयोगी होंगे, अध्ययन तथा अध्यापन होगा। यह काम्प्रीहेंसिव स्कूल अपने आप में सेल्फ सफिशियेंट होगा और उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी जिससे कि काम्प्रीहेंसिव स्कूलों से नीचे के जो पाइलट और प्रि पाइलट स्कूल्स हैं उनमें अध्यापक और अध्यापिकाओं का भी काम चल जाय। इसलिए वहां प्रशिक्षण भी होगा और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी जिससे कि काम्प्रीहेंसिव स्कूलों से निकलने के बाद विद्यार्थी अपनी रोजी में लग जायं, रोजी के लिए उन्हें भटकना न पड़े। ब्लाक कौंसिल्स इनका संचालन करेंगी। इस तरह से गांवों में प्रि पाइलट स्कूल, पंचायत के स्तर पर पाइलट स्कूल्स और ब्लाक के स्तर पर काम्प्रीहेंसिव स्कूल होंगे। यह काम्प्रीहेंसिव स्कूल सब से बड़ा और बहुत अच्छा कालेज होगा जिसके अन्दर हमारा तखमीना है, करीब १ हजार विद्यार्थी पढ़ेंगे। काम्प्रीहेंसिव स्कूल स्टेज के बाद मेधावी और विशेष रुचि रखने वाले विद्यार्थी सीधे एक विषय में आनर्स तथा एम० ए० की डिग्री प्राप्त कर सकेगा। यह अध्ययन काल विशेष अध्ययन एवं अनुसन्धान का होगा। ऐसी पद्धति से हम वैज्ञानिक बढ़ाव को अमली जामा पहना सकते हैं और उन्हें औद्योगिक समुन्नति का परिवहन भी बना सकते हैं। जनसाधारण का जीवनस्तर अपने आप उठ जायगा।

एक समस्या उठ सकती है कि उसके साथ के दूसरे स्कूल क्या करेंगे ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन स्कूलों के फेडरेटेड यूनिट बना दिये जायं और प्राथमिकता देकर, जो स्कूल जिस विषय को पढ़ाना चाहता है, उसकी पूरी व्यवस्था वहां कर दी जाय। जो स्कूल कृषि पढ़ाना चाहता है उसके यहां कृषि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये, जो साइन्स पढ़ाना चाहता है उसके यहां साइन्स की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था पत्रिका में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करती हुई चलती जायंगी और उससे एक सोशलिस्ट सिटीजन तैयार हो सकेगा। अतः आज की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है, जिसे दृढ़ता और निश्चय के साथ करना होगा।

इसी सिलसिले में मैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की दयनीय स्थिति के बारे में भी कुछ अर्ज कर दूं। उनका वेतन-क्रम कम से कम मेरा विचार है, १०० रुपये मासिक होना चाहिये। डाक्टर सैयदन ने कहा था कि अध्यापक जिसे हम केन्द्रीय सरकार के चपरासी के बराबर भी तनख्वाह नहीं देते, उससे यह आशा करना कि वह संत होगा और विद्यार्थियों को उचित एवं नैतिक शिक्षा दे सकेगा, उचित नहीं है। अगर बड़े-बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर इस बात को स्वीकार करते हैं तो वे इस बात पर जोर क्यों नहीं देते कि उसकी तनख्वाह कम से कम १०० रुपये तो हो ही जानी चाहिये ?

मैं सेकेंडरी एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरी स्कीम में उनका स्थान नहीं है किन्तु उपर्युक्त व्यवस्था करते समय आपको उनका ध्यान रखना होगा और उनकी उचित व्यवस्था करनी होगी ? अर्थात् काम्प्रेहेंसिव स्कूल के संघीय प्रतिबन्ध में उन्हें भी स्थान देना होगा। यूनिवर्सिटी एजूकेशन का जहां तक ताल्लुक है "यूनीवर्सिटीज हैव सीज्ड थिंकिंग"--उन्होंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। उनके सोचने का तरीका बदल गया है। आज वे पदों के लिये सोचते हैं और उनका पोलिटिकल रेजीमेंटेशन हो रहा है; जब कि उनका सोशल और एजूकेशनल रेजीमेंटेशन होना चाहिये था। इस समय जो हालत है, उसमें सुधार लाने के लिये आपको अपनी नीति बदलनी होगी उनको पूरी ताकत और शक्ति देनी होगी ताकि वे स्वतंत्र-रूप से सोच सकें और देश को रास्ता दिखा सकें। वे ही निरपेक्ष भाव से सोच समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा का अनुदान प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसके पूर्व कि मैं अपने सुझाव दूं, दो एक बातें जो विरोधी पक्ष की ओर से कही गयी हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और दूसरी सांस में कह गये कि उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मैं उनके राष्ट्रीयकरण का ठीक-ठीक अर्थ नहीं समझ सका। यदि राष्ट्रीयकरण से उनका तात्पर्य केवल सरकारीकरण से है तो मुझे उससे असहमति है, और अगर राष्ट्रीयकरण से उनका मतलब राष्ट्र के किसी एक अंग विशेष या संगठन विशेष के मातहत उसकी व्यवस्था हो इससे है, तो उसके लिये कुछ सोचा जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह विरोधाभास की बातें हैं।

एक बात यह कही गयी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके मैनेजरों से बड़ी परेशानी होती है, इसलिये स्कूलों को सरकारी मातहती में ले लेना चाहिये। तो एक तरफ यह मांग होती है, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि ब्योरेक्रेसी की ताकत बढ़ रही है। आप गौर करें, श्रीमन्, अगर सरकारी लोगों के हाथ में स्कूलों को सौंप दिया जायेगा तो उन अध्यापकों की क्या दशा होगी ? सरकारी बाबुओं के द्वारा उनको कितनी परेशानी होगी ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर पुनः विचार करें।

[श्री रामलखन शुक्ल]

दूसरी बात यह है कि मैनेजरों को या जनता को इसमें भाग लेने का अवसर दिया जाय या नहीं? कई स्कूलों के उदाहरण भी उधर से दिये गये। यह कहा गया कि मैनेजरों का कन्ट्रीब्यूशन निल है और इस कारण इस प्रथा को खत्म कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि जो उनका आर्थिक कन्ट्रीब्यूशन है वह तो है ही, वह कोई विशेष नहीं है, लेकिन जनता को शिक्षा के प्रसार में भाग लेने का अवसर अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इस प्रथा को मानना पड़ेगा। हां, जो मैनेजर ठीक काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में जो दो स्कूलों के उदाहरण दिये गये वे मेरे ही जिले के हैं। एक महात्मा गांधी स्कूल का और दूसरा बालमुकुन्द स्कूल का उदाहरण दिया गया और यह कहा गया कि वे सरप्लस में हैं। तो एक तरफ यह कहा गया कि मैनेजरों का कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि यह स्कूल सरप्लस में हैं। जहां तक इन दोनों स्कूलों का प्रश्न है मैं इनके बारे में बहुत नजदीक से जानता हूं। भूतपूर्व जमींदारों ने काफी कन्ट्रीब्यूशन इन दोनों स्कूलों के हक में किया है और इन दोनों स्कूलों के पास आज जो जायदाद है उसके कारण ही वे बहुत अच्छी हालत में हैं और उनके पास काफी पैसा है। जनता का इनीशिएटिव पाने के लिये यह जरूरी है कि स्कूलों को सरकारी संस्थाओं में न परिणत किया जाय और प्रचलित प्रथा को ही जारी रखा जाय।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी वित्तीय मर्यादाओं के अन्दर अपना जो बजट प्रस्तुत किया है और कदम-कदम पर शिक्षा को जिस तरह आगे बढ़ाने का प्रयास किया है वह ऐसा नहीं है कि उसको एक दो उदाहरण देकर खत्म कर दिया जाय। आज इसमें सन्देह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफी उन्नति की है। इसके लिये हम माननीय शिक्षा मंत्री को सराहना करते हैं। श्रीमन्, प्रस्तुत बजट में शिशु शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा में कुछ न कुछ प्रगति करने का प्रविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि शिशु सदनों को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाया जाय। जहां तक प्राइमरी स्कूलों का सम्बन्ध है, जो गांव-गांव में फैले हुये हैं, उनमें बेसिकटीपन को दूर करने तथा कुछ मौलिक सुधार करने की आवश्यकता है तथा अधिक पूंजी लगाने की भी आवश्यकता है।

श्रीमन्, यह एक मौलिक सवाल है कि शिक्षा स्वावलम्बी हो या उसे राष्ट्र निर्माण के लिये एक कार्य समझ कर सरकार पूंजी लगाये, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा को स्वावलम्बन की ओर ले जाना हमारे देश की हालात के मुताबिक है। उसके लिये हमें बेसिक तरीकों से काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रसार का भी प्रश्न है और उसमें जनता, सरकार और जिला परिषद् सभी लगे हुये हैं। मेरा सुझाव यह है कि जहां पर हायर सेकेंडरी और जूनियर हाई स्कूल दोनों हैं वहां जूनियर हाई स्कूल को हटा कर ऐसे क्षेत्रों में ले जाया जाय जो पिछड़े हुए क्षेत्र कहे जाते हैं और जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनको ऐसी सुविधा दी जाय कि उस आवश्यकता की पूर्ति वह स्वयं कर सकें।

इसी सम्बन्ध में अध्यापकों की समस्या पर विचार करना मैं समझता हूं अप्रासंगिक बात नहीं होगी। जहां तक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का सवाल है, यदि उनका मकाबला दूसरे प्रान्तों से किया जाय तो उनके साथ कोई समानता नहीं है। जो ५० रुपये मिनिमम आपने किया है उससे प्राइमरी शिक्षकों का १५ प्रतिशत ही लाभान्वित होता है। इस ओर माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान प्राथमिक अध्यापक मण्डल ने आकर्षित भी किया था। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में भी महंगाई भत्ते की मांग की गई है और तब तक किया जाना उचित है जब तक कि सरकार उसको स्पष्टरूप से मान नहीं लेती। मैं इसको नितान्त उचित और उपादेय समझता हूं।

एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों के वेतन-क्रम का तो सवाल उठाया गया है, लेकिन उनके लिये अध्यापन कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिये सामग्री भी उचित रूप से देनी चाहिये और शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाओं को बढ़ावा मिलना चाहिये, जैसे "शिक्षा" की पत्रिका है। दूसरे जो शिक्षकों को वेतन मिलता है वह ठीक वक्त से नहीं मिलता है तो जो संगठन इस कार्य का सम्पादन करता है उसको आपको विवश करना चाहिये जिससे वेतन मिलने में देर न हो।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा के विषय को लेकर काफी सदन में चर्चा हुई और शिक्षा मन्त्री द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ शिक्षा सम्बन्धी किताबें भी समय पर हो विचारार्थ भेजी गईं। उनको पूरा न पढ़ने से काफी हालात नहीं मालूम हो सके। जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन् ४७ में १९,००० बेसिक प्राइमरी स्कूल व दूसरी योजना में ३९,६८९ और तीसरी में २३,८७० बेसिक स्कूल बनाने की व्यवस्था थी और जिस प्रकार अब तक हजारों जूनियर बेसिक स्कूलों की स्थापना हो चुकी, यह किताबों में बातें बताई गई हैं। प्रदेश में ४२ लड़कों के और ६ लड़कियों के स्कूल खोले गये। इस प्रकार जो तफसील दी गई है उसमें लड़कों के स्कूल बहुत ज्यादा थे और लड़कियों के बहुत कम तादाद में खोलने की व्यवस्था की गई है। जहां तक शिक्षा संगठन का सवाल है, यह सही है कि बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं और यह बताया जा रहा है कि हम हजारों की तादाद में नये स्कूल खोलने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि नये स्कूलों के खोलने से इस प्रदेश का कोई लाभ नहीं हो सकता, सिवाय हानि के। जो स्कूल हैं, अगर उनकी दशा देखी जाय धोखे में, तो यह सही है कि उनकी हालत इतनी शोचनीय और खराब हो गई कि कई जगह बैठने की सुविधा नहीं है, लड़कों और लड़कियों के बैठने के लिये कोई ठिकाना नहीं। स्कूलों की इमारतें खतरनाक हैं, वह किसी समय गिर सकती हैं और होनहार बच्चों की जानें जा सकती हैं। आप नयी-नयी योजनायें बढ़ाते चले जांय, और कागज पर प्रचार करते जायं कि इतने हजार स्कूल खोल दिये, इससे कोई फायदा इस प्रदेश का नहीं हो सकता है जब तक कि मौजूदा स्कूलों का सुधार न किया जाय।

जहां तक शिक्षकों का सवाल है, उस देश की क्या बात कही जाय जहां राहुल जी जैसे आदमी और महाकवि निराला जी जैसे महाकवि जो इस देश के प्राण हैं वह एक-एक रोटी और एक-एक रुपये के लिये जीवन भर तरसते आये! जहां शिक्षक समाज, देश की जान न समझी जाय, व देश के गुरू भूखों मरें ऐसी दशा हो, स्वतन्त्रता के बाद भी उनको एक रोटी और एक-एक रुपये के लिये तरसना पड़े उस देश और समाज ने कितनी उन्नति की वह श्रीमन् आपके सामने है। गुप्त मन्त्रिमण्डल ने बहुत बड़ी तरक्की की है, इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं। गुप्त मन्त्रिमण्डल की अगर बड़ी भारी उन्नति समझी जाय तो वह इस रास्ते की तरफ हो सकती है कि "गुप्त मन्त्रिमण्डल के तीन काम––नक्शा, मीटिंग और सलाम"। एक तरफ स्कूलों में दीवालों पर लड़कों के सामने नक्शे टांग दिये गये हैं, दूसरी तरफ मास्टरों की मीटिंग्स होती हैं, और तीसरी उन्नति यह हुई कि जब चलने लगते हैं तो सलाम या नमस्कार कर दिया जाता है। इसलिये "गुप्त मन्त्रिमण्डल के तीन काम––नक्शा, मीटिंग और सलाम"। इस तरफ गुप्त मन्त्रिमण्डल ने अवश्य तरक्की की है।

दुनिया का कोई भी देश, समाज या प्रान्त तब तक उन्नति नहीं कर सकता जबतक कि महिलाओं की उन्नति न की जाय। अभी जो आंकड़े पेश किये गये हैं और आपने देखा होगा कि लड़कियों के स्कूलों की तादाद कितनी कम है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी को आज इस सदन में आने के पहले, कानपुर में जो कांड हुआ, उस पर हजार बार इस्तीफा दे देना चाहिये था। इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? मेडिकल कालेज

[श्री लखपतराम शर्मा]

भी एक शिक्षण संस्था है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। वहां पर जो कुछ कांड हुआ लड़कियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खेलने की जो कोशिश की गई उसके बावजूद शिक्षा मन्त्री जी इस सदन में आकर एक अजीब लहजे में लाखों रुपये के काम बताते हैं, स्कूल खोलने की बातें करते हैं और उन्नति की बातें करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी अपने को इस जिम्मेदारी से बरी कर सकते हैं? कानपुर के मेडिकल कालेज में इस तरह से हमारी मां-बहनों पर हमला किया जाय और माननीय शिक्षा मन्त्री जी चुप रहें? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री को इस काण्ड पर इस्तीफा देना चाहिये क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उनके विभाग पर है.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इस प्रकार बोलें जो रिपोर्टर्स लिख सकें।

श्री लखपतराम शर्मा—बात कुछ ऐसी जोशो खरोश की है, जुल्म, ज्यादती और अत्याचार की है कि लाजिमी है एक इंसान को गुस्सा आ जाय। हमारी मां-बहनों के साथ इस तरह का व्यवहार हो और शिक्षण संस्था के अधिकारी अपनी कुर्सी से चिपके रहें और माननीय मन्त्री जी भी अपनी कुर्सी से चिपके रहें तो फिर क्या किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों की मां, बहन या बेटी का सवाल होता या माननीय मन्त्री जी की मां, बहन, बेटी का प्रश्न होता तो क्या जमीन और आसमान नहीं मिला दिया जाता? लेकिन चूंकि गरीब की आवाज यहां पहुंच नहीं सकती, उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं आंकी जाती इसलिये उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

आज जहां तक इस देश और प्रदेश का सम्बन्ध है शिक्षा में सुधार का प्रश्न है, मैं आपके सामने इस बात को रखता हूं कि आज अध्यापकवर्ग भूखों मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है। इसी कारण से पढ़ाई नहीं होती है। अध्यापकवर्ग आज इतना भूखा, नंगा और गरीब है कि वह स्कूल में जाता तो है लेकिन उसकी पेट की ज्वाला भड़कती रहती है, उसके बच्चों की दशा उसके सामने नाचा करती है। ऐसी दशा में वह अध्यापक बच्चों को ठीक से तालीम नहीं दे सकता। उसके सामने उसके परिवार की भूख, बीमारी और दूसरी दिक्कतें रहती हैं। आज यह किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है कि इन्हीं कठिनाइयों के कारण मजबूर होकर वह ट्यूशन करता है। आज यह कितने शर्म की बात है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी से भी एक अध्यापक की हालत खराब है।

श्रीमन्, जैसा आपका आदर्श है सेंट्रल गवर्नमेंट का चपरासी खुशहाल है, आराम से रहता है, उसको ज्यादा सहूलियतें हैं, लेकिन एक अध्यापक जो हमारे प्रदेश की जान है, वह भूखों मर रहा है। विदेशों में अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से अनेक प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं। लेकिन हमारे यहां का अध्यापक खाने को भी तरस रहा है।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, मैं टेहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, पहले यह टेहरी-गढ़वाल राज्य था जिसके दो भाग हो गये। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर उत्तर काशी जिले में बहुत से बेसिक और जूनियर स्कूल खुले हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि विलीनीकरण से पहले हमने जो ३०० बेसिक स्कूल और ४० जूनियर स्कूल रियासत में खोले थे उनमें से काफी विलीनीकरण के पश्चात् बन्द हो गये।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक बात की तरफ अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि आज वहां अध्यापकों में बड़ा भारी असन्तोष है। इस कारण से न तो अध्यापक ठीक रूप से पढ़ा ही पाते हैं और न विद्यार्थी पढ़ ही पाते हैं। अतः मैं नम्र निवेदन शिक्षा मन्त्री से करूंगा कि वे इस असन्तोष और उसके कारणों को दूर करें। आज बेसिक

स्कूलों और जूनियर स्कूलों में चार प्रकार के अध्यापक हो रहे हैं । एक तो वह हैं जो कि विलीनीकरण से पहले जो स्कूल थे उनमें काम करते थे उनको वही पुरानी पे और डी० ए० मिलता है जो बहुत थोड़ी है। विलीनीकरण १ अगस्त, १९४९ को हुआ और शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को १ दिसम्बर, १९४९ में लिया। उसके बाद जो टीचर्स एप्वाइन्ट हुये उनको जिला परिषद का स्केल और डी० ए० दिया गया। इसके अलावा ऐसे स्कूल सरकार द्वारा खोले गये हैं जिनके अध्यापकों को प्राविन्शियल स्केल और डीयरनेस एलाउंस मिलता है । इन सब के पे स्केल्स में और डियरनेस एलाउन्स में बहुत अन्तर है। पहले रियासत में जो पे उनको मिलती थी वह बहुत कम थी। लेकिन चूंकि स्तर एक ही था इसलिये उनमें असन्तोष नहीं था लेकिन अब अलग-अलग तरीके से पे स्केल और डी० ए० है, इसलिये उनमें भारी असन्तोष है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस असमानता को दूर करे। मैं मानता हूं कि विलीनीकरण एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें रही हों जिसमें कहा गया है कि वहां जो पे स्केल या डी० ए० है उससे कम न मिलने पावे। सरकार कहती है कि हम तो उनको उसी पे स्केल, और डी० ए० पर रखे हैं इसलिये उनको क्या नुकसान है। इस सम्बन्ध में एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि यह कोई बनिये की दूकान नहीं है जो आपने एक दिन १५ रुपये पर एक को नौकर रख लिया और दूसरे दिन ५० रुपये पर रख लिया और फिर कहे कि पहले ही हमने तय कर लिया था कि तुमको १५ रुपये ही देंगे और उसके कुछ आगे नहीं बढ़ायेंगे ? यह सरकार जब वेलफेयर स्टेट की है और शिक्षा की उन्नति करना चाहती है तो वह तभी सफल हो सकती है जब सरकार इस असमानता को दूर करे।

आज मैं एक अजीब बात देख रहा हूं कि आजकल गांवों के लोग शहरों की ओर चले आ रहे ह, पढ़े लिखे लड़के शहरों में ही आते हैं । आज देश में हम नैतिकता का पतन भी देख रहे हैं, आज हम प्रांविशियलिज्म देख रहे हैं, और हमारा सेक्युलरिज्म भी आज हिल रहा है। इसके निशान आज हम चारों तरफ देख रहे हैं। इसकी क्या वजह है ? इस की वजह यही है कि शिक्षा की तरफ हमने सही कदम नहीं उठाया है। हम अभी तक शिक्षा प्रणाली को बदल नहीं सके हैं। यह मैं जरूर कहूंगा कि आज लड़के गांव से जो शहरों में आ रहे हैं और सारे देश में अनैतिकता फैल रही है, इसको रोकने के लिये हमको शिक्षा में प्रगति और क्रांति लानी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आज स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, वह मैट्रिकुलेशन तक ऐसी शिक्षा दी जावे जिससे लड़के गांवों में आकर अपने घरेलू उद्योग-धन्धे या लघु उद्योग कायम कर सकें। जो लड़के मैट्रिकुलेशन तक ब्रीलियेंट साबित हों उन्हीं को यूनिवर्सिटीज में भेजा जाय। एक आर्गनाइजेशन के जरिये गांव में बसाने के लिये लड़कों को सरकार की तरफ से अनुदान मिले ताकि वे लघु उद्योग व गृह उद्योग के द्वारा अपने गांवों की उन्नति कर सकें। जब तक आप गांवों व शहरों की असमानता को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। गांवों से शहरों में लोगों के जाने की वजह से ही रूरल साइड की पर कैपिटा इनकम घट गई है। इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे यह बहाव रुक जाय और सारे गांव समाज की उन्नति हो सके।

श्रीमन्, एक विषय और है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां जो कानवेंट स्कूल्स हैं उनमें और तरह की ही शिक्षा दी जाती है। वहां की शिक्षा विदेशी तरीके की होती है। वहां विदेश के ही महान व्यक्तियों के आदर्श दिखलाये जाते हैं और भारतवर्ष के महान व्यक्तियों के आदर्श उनके सामने नहीं रखे जाते। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना में फर्क आता है। हम जो चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांधा जाय उसमें इससे संकट पैदा होता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है और इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सब प्राइवेट स्कूलों का राष्ट्रीयकरण जरूरी होना चाहिये। बगैर उसके आप शिक्षा में मोड़ नहीं दे सकते हैं, बगैर उसके आप समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं।

[श्री कृष्णसिंह]

यदि आपको वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना बहुत आवश्यक है। आपको शिक्षा में एक पार्टिक्यूलर मोड़ देने की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थियों को आप उचित तौर से सिखला सकें और उनके दिमाग में राष्ट्रीय विचार ला सकें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव की ताईद में खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी की पूरी बातें सुनीं और पारसाल जो वादविवाद इस सम्बन्ध में सदन में हुआ था उसको भी देखने का मुझे मौका मिला। मैं समझता था कि नई रोशनी में, नई मान्यताओं के मुताबिक, जब हमारी सरकार ने देश में समाजवादी समाज के निर्माण का नारा दिया है तो वह उसी माने में, उसी के मुताबिक अपनी शिक्षा पद्धति में भी एक आमूल तब्दीली लाने की घोषणा करेगी लेकिन बाद के हालात को देखते हुये उन को जो बातें हैं उनको सोचते हुये, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार की जो शिक्षा नीति है वह बिलकुल बोगस है, और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एक क्लास की है, वह एक वर्ग विशेष की है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली एंटी सोशलिस्ट है, वर्तमान शिक्षा क्रम के द्वारा केवल अंग्रेजों की छोड़ी हुई विरासत को अभी तक ढोया जा रहा है। यह बात केवल मैं ही नहीं कहता हूं वरन् यही बात पिछले वर्ष शिक्षा सम्बन्धी बजट भाषण में सरकारी पक्ष के मन्त्री माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी कही थी जिनका कि शिक्षा के विषय में गहरा तजुर्बा है। उन्होंने कुछ ठोस बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाया था उन्होंने कहा था कि वर्तमान शिक्षा की पद्धति एन्टीसोशलिस्ट है। शिक्षा विभाग का एजूकेशन की पालिसी से मालूम होता है कोई वास्ता ही नहीं है और वह तो केवल एक ग्रान्ट इन ऐड देने का महकमा सा बन कर रह गया है। उनकी राय थी कि शिक्षा का महकमा सोशलिस्ट बायस्ड होना चाहिये। इसके बाद माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो अपनी मजबूरियां जाहिर की थीं और उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये थे उनसे मैं समझता था कि कोई नई विचारधारा और कोई नई सक्रिय चीज निकलेगी क्योंकि हमारा देश एक नये समाजवाद के नारे को लेकर चल रहा है, योजनाओं द्वारा आप अपने यहां निर्माण-कार्य कर रहे हैं तो हमारे सामने अपने यहां के लोगों को अन्य देशों की तरह शिक्षित करने का प्रश्न है।

हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने पारसाल कहा था कि शिक्षा मन्त्री की हैसियत से मैं मानता हूं कि हमारा शिक्षा-क्रम, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं। हम आशा करते थे कि वह इस पर संजीदगी के साथ विचार करेंगे लेकिन वह कर नहीं सकते क्योंकि उनके जो वर्गीय स्वार्थ हैं वह उनको कुछ नहीं करने देते। नारा समाजवाद का देते हैं, लेकिन वह समाजवाद को आग की तरह समझते हैं, जिस तरह से कि बच्चा आग को देखकर डरता है उसी तरह से वह उस तरफ जाने से डरते हैं। वह समाजवाद की तरफ शिक्षा पद्धति को ले ही नहीं जा सकते। यहां तो सोशलिस्ट विचार के लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती है दलगत स्वार्थों के हित में।

मैं कह सकता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इन विश्वविद्यालयों को और अपवित्र किया है, पी० ए० सी० की बैटालियन्स को इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी के विश्वविद्यालयों में भेजकर कहा जाता है कि वह विद्यार्थी अनुशासन तोड़ने वाले थे। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अनुशासन को विद्यार्थी तोड़ते हैं या वह स्वयं तोड़ते हैं, वहां समाजवादी विचारधारा के विद्यार्थी पीटे जाते हैं और जो प्रतिक्रियावादी संगठन हैं वे पाले जाते हैं मैं शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे विद्यार्थी जिन्हें अनुशासन के नाम पर आपने निकाला आज वे कहां हैं, दायें बाजू की ताकतों के साथ या बायें बाजू की ताकतों के साथ। वे तमाम लेफ्ट फोर्सेज में हैं जो सामन्त साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध लोहा ले रहे हैं। उनके दमन से आस्था उठती जाती है। विद्यासागर नोटियाल की बात है जो कोआपरेटिव सोसाइटी

की आपकी पालिसी और प्रगति शक्ति विदेशी नीति को मानता है, जो साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ कन्धे से कन्धा मिलाकर लोहा लेता है, उनको आप ने पिटवाया है, आपने मास्टरों की जबान पर ताले लगाये हैं। प्रगतिशील मास्टरों के पीछे भी सी० आई० डी० लगी है। आप कहां जा रहे हैं ? जब आप चाहते हैं कि देश में समाजवाद कायम हो तो जो नई मान्यतायें हैं, जो नई दिशा में प्रगति है वह आप को करना होगी।

मैंने कहा कि आप की शिक्षा एक क्लास की शिक्षा है। आप देखें कि हमारे प्रदेश में एक स्कूल दून का है जो देहरादून में है वहां कौन जाता है, वहां की शिक्षा किस के लिये है ! वहां गरीब घर के लड़के झांक भी नहीं सकते। हमारे यहां के कानवेंट स्कूल हैं, उन स्कूलों की शिक्षा पद्धति हमारी शिक्षा पद्धति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। वहां का कैरीकुलम बिल्कुल हमारी शिक्षा पद्धति से अलग है। वहां भीम, युधिष्ठिर, राम और कृष्ण की जगह क्राइस्ट और सेमसन पढ़ाये जाते हैं। हनुमान की जगह अपोलो के बारे में पढ़ाया जाता है। इन शिक्षा संस्थाओं का नियन्त्रण और कैरीकुलम विदेश से आता है। इन स्कूलों में कौन पढ़ने जाते हैं ? वहां की शिक्षा पद्धति में आप हाथ नहीं डालते। विद्यालयों में विज्ञान की तालीम की तरफ कदम नहीं उठाया जाता। सन् १९६१-६२ में जो विज्ञान के बारे में ग्रान्ट दी गई थी वही आज भी है, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। स्कूलों में देशभक्ति की तालीम नहीं देते, सोशलिज्म की तालीम नहीं देते। वहां के निकले हुये विद्यार्थी गांवों और शहरों में भेद को कैसे दूर कर सकते हैं, वे काम को प्यार नहीं करते, देहातों में जाने से घबड़ाते हैं। समय कम होने की वजह से मैं आकड़े तो अधिक नहीं दे सकता, केवल अब अपने सुझाव ही रखना चाहता हूं, जो आंकड़े मेरे पास हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं बल्कि अमरीका से जो कमेटी आई थी उसके हैं, लेकिन समय कम है।

मेरे सुझाव हैं टीचरों की तनख्वाह और डी० ए० बढ़ाया जाय। टीचरों को साल में १ मास सोशलिज्म की शिक्षा दी जाय। रोजाना २ घंटे सोशलिज्म पर पुस्तकें पढ़ना उनके लिये अनिवार्य हो। हर स्तर पर सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को गांवों की तरफ जाने का नारा देना चाहिये। टेक्नीकल शिक्षा पर जोर देना चाहिये। फर्स्ट क्लास के विद्यार्थियों को साइंस की तरफ ले जाना चाहिये। दून स्कूल और जितने कानवेंट स्कूल हैं उनमें हर स्तर पर एक-एक घंटा सोशलिज्म, देश प्रेम, देशभक्ति और हमारा जो उज्ज्वलमय राष्ट्रीय परम्परा वाला इतिहास है उसको पढ़ाया जाना चाहिये।

विद्यार्थियों की हालत को दुरुस्त करना चाहिये। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर में स्कूल में भोजन देना चाहिये। इण्टर तक फ्रीशिप होनी चाहिये। सोशलिस्ट विचार-धारा के चाहे विद्यार्थी हों या टीचर हों उनके पीछे से सी० आई० डी० को हटाया जाय। आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समाजवाद न पढ़ने दीजिये लेकिन जो आपकी विचारधारा है सोशलिज्म की, जो तरीके और मान्यतायें आप उचित समझते हैं उनकी तो शिक्षा अनिवार्य कीजिये। नई रोशनी में नये तरीके से पूरे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर विचार होना चाहिये था। लेकिन मैं जानता हूं मेरी बातें नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह रह जायेंगी क्योंकि जो आपका क्लास इण्टरेस्ट है, जो जनता की भावनाओं की कद्र नहीं करते, वह नहीं चाहते कि यहां की शिक्षा में परिवर्तन हो। नहीं तो पहले जिन बातों को माननीय गोविन्द सहाय जी ने पिछले साल पेश किया था, शिक्षा मंत्री जी उन पर विचार करते। आपने अंग्रेजों की हुकूमत को यहां से निकाला फिर आप शिक्षा में परिवर्तन करने में क्यों घबड़ाते हैं। जो प्रतिक्रियावादी और सामान्तवादी तत्व अंग्रेजों ने वरासत में यहां छोड़े हैं हमारे समाज से उनको आप क्यों नहीं हटाते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आप इस तरफ कदम बढ़ायेंगे, एक समाजवादी दृष्टिकोण ले कर सही माने में शिक्षा पद्धति को ढालने का प्रयास करेंगे, वाम पंथी विरोधी पार्टियां सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और आपका साथ देंगी प्रति-क्रियावादी और सामन्तवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन के लिये मैं उपस्थित हुआ हूं । प्रगति के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने आपके सामने जो बयान दिया उसके व्योरे में, मैं नहीं जाना चाहता । यह तो मानना पड़ेगा कि प्रगति हुई है चाहे शिशु शिक्षा को ले लीजिये, चाहे प्रारम्भिक शिक्षा को, या उच्च माध्यमिक शिक्षा हो, सभी दिशाओं में हमने प्रगति की है । किन्तु कुछ आवश्यक सुझाव हैं जिन्हें देना मैं आवश्यक समझता हूं । यह बात सही है कि हमने प्रगति की है लेकिन केवल संख्या में ही प्रगति हुई है । हमारा नैतिक स्तर जितना ऊंचा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । कालजों में, विश्वविद्यालयों में, छोटे-छोटे स्कूलों में जब हम देखते हैं तो ज्ञात होता है कि विशेषकर बालिकाओं का विद्यालयों में जाना एक प्रकार से असम्भव-सा हो गया है । आज ही के पत्र में मैंने पढ़ा है कि एक बालिका ने एक बालक को विशेष परिस्थितियों के कारण छुरा भोंक दिया । मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन यह सत्य है कि हमारा नैतिक स्तर गिर रहा है । फिर हम क्या करें ? क्या हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है, यद्यपि हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की पद्धति को स्वीकार किया है, कि हम अपने स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने का निर्णय करें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--आपने समाजवाद का नारा दिया है ।

श्री बृजबिहारी--समाजवाद के अर्थ यह तो नहीं हैं कि हमारा नैतिक स्तर गिरता जाय और हम समाजवाद, समाजवाद कहते जायं । समाजवाद का अर्थ कभी यह नहीं है । उसका अर्थ केवल इतना है कि हम एक दूसरे की बातों का और समाजवादी विषमता दूर करने का ध्यान रखेंगे । आज जो हमारा नैतिक आचार बिगड़ा हुआ है, उसके लिये आवश्यक है कि हमारी शिक्षा नैतिक और धार्मिक स्तर की हो । सभी धर्मों में ऐसी बातें हैं जिनमें कोई विवाद नहीं है । उन बातों को एकत्र करके उन्हें विद्यालयों में पढ़ाया जाय । प्रारम्भिक अवस्था से लेकर विश्वविद्यालय तक, जिससे बच्चों के चरित्रबल में सुधार हो सके । जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें बड़ा आघात पहुंचता है । हम लोग भी विद्यार्थी थे । यह सही है कि उस अवस्था में थोड़ा-सा जोश आता है, थोड़ी सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम प्रधानता नहीं देना चाहते, किन्तु हमारे सम्मानित सदस्य जो सदन में उपस्थित हैं इस बात से सहमत होंगे कि उस जमाने में विद्यार्थियों का नैतिक स्तर ऊंचा रहता था । हमारे विद्यार्थियों का यह प्रयास होता था कि वे कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठावें, अपने जीवन को ऐसा बनावें, जिससे हम देश की प्रगति में सहायक हो सकें । किन्तु आज हम देखते हैं कि दिन पर दिन हमारे बालकों का नैतिक स्तर गिरता जाता है ।

मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं । पहला तो यह है कि हमारे प्रारम्भिक शिक्षा के जितने अध्यापक होते थे उनको हम रिफ्रेशर कार्स में बुलाते थे, कम से कम साल भर में एक बार तो अवश्य, उनको बतलाते थे कि कैसे उनको शिक्षा देनी चाहिये । उस क्रम को फिर से कार्यान्वित करना चाहिये ।

दूसरे यह कि जो बालिकाओं के विद्यालय हम खोल रहे हैं इनकी संख्या में वृद्धि अवश्य हुई, यह भी सच है । अध्यापिकाओं की संख्या बढ़े यह भी अच्छी बात है । लेकिन मेरा अनुभव है कि जिन अध्यापिकाओं को नियुक्त करते हैं उनमें शिक्षण की योग्यता बहुत कम होती है । आवश्यकता इस बात की है कि उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हम तत्काल करें । अगर उनके शिक्षण में कमी है तो यह आवश्यक है उनको दो वर्ष के लिये नार्मल स्कूल में भेजें । यदि यह सम्भव न हो तो तीन-तीन महीने का रिफ्रेशर कोर्स हम उनको दें । यदि उनको शिक्षा देने का तरीका नहीं मालूम होगा तो यह उचित नहीं प्रतीत होता कि इन्हें अध्यापिका बनाया जाय ।

दूसरा सुझाव यह है कि संस्कृत की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिये, क्योंकि हमारी सारी संस्कृति संस्कृत में निहित है । जो पुस्तिका हम को वितरित की गयी है उससे स्पष्ट है कि संस्कृत की पाठशालायें प्रदेश में, ५५-५६ में १०५० थीं वही आज भी हैं । मेरा

अनुरोध है कि संस्कृत की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, ध्यान अवश्य दिया जा रहा है, किन्तु इसमें और अधिक व्यय करने की आवश्यकता है, और अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, और अधिक सहायता देने की आवश्यकता है।

एक सुझाव मेरा यह भी है कि प्रत्येक विद्यालय में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है। चाहे कोई भी कैरीकुलम बना लीजिये लेकिन यह आवश्यक है कि नीचे से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक कुछ अवश्य ही नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो सारी प्रगति कर लेने पर भी प्रगति करने के बजाय अवनति ही होगी और हमारा चरित्र गिरता चला जायगा। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र के जीवन की स्रोत होती है। उसकी एकता, उस राष्ट्र के अन्दर रहने वाले नागरिकों की क्षमता और स्वाभिमान वहां की शिक्षा प्रणाली पर मुनहसिर करता है। आज हम इस दृष्टि से अपनी शिक्षा प्रणाली को देखें तो पता चलता है जैसा कि अंग्रेजी राज्य में मेकाले की चलाई हुई शिक्षा नीति का उद्देश्य गुलामों को पैदा करना था, ठीक वैसी ही शिक्षा नीति आज चल रही है। आज भी देश में गुलाम तबियत के लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अगर शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान दें तो शिक्षा संचालकों की आंख पर आज भी पश्चिमी ऐनक है और पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होकर आज जो किताबें वह लिखते हैं, उसी से उनकी प्रवृति का परिचय मिलता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डाक्टर ताराचन्द जो इतिहास के बड़े विद्वान हैं, जिनकी लिखी पुस्तकें विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं, आज उनको स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने को दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी भाषा के ही फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय एकता पैदा हुई। अगर इस बात को हम तथ्य मान लें तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा क्या इस शिक्षा नीति से देश तथा प्रदेश के नवयुवकों का सुधार हो सकता है? इसी तरह से डाक्टर सेन की एक किताब है जिसकी प्रस्तावना स्वर्गीय मौलाना आजाद ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अगर १८५७ का गदर कामयाब हो गया होता तो हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ ही रह जाता, वह आज की सी तरक्की नहीं कर पाता। यह भावना इसीलिये व्यक्त की गयी है कि इन कर्णधारों पर पश्चिमी शिक्षा का असर था और उसी शिक्षा का असर आज भी कायम है।

आज बहस छिड़ती है इस आदरणीय सदन में कि इतने स्कूल खुले लेकिन जब तक शिक्षा प्रणाली सही नहीं होगी तब तक केवल स्कूल खोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। रस्किन ने शिक्षा की परिभाषा करते हुये कहा था कि शिक्षा का काम केवल लिखना पढ़ना और हिसाब लगाना ही नहीं है बल्कि शिक्षा का उद्देश्य सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक को पैदा करना है, स्वावलंबी नागरिक को पैदा करना है, ऐसे युवकों को पैदा करना है जिनमें राष्ट्रीय भावना के लिये झूझने की क्षमता हो। क्या आज की शिक्षा प्रणाली इन उद्देश्यों को पूरा कर रही है? शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिये कि जल्द से जल्द हम सब को शिक्षित बना सकें। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में हम आमूल परिवर्तन करें और उसमें मेरा पहला सुझाव यह होगा कि अंग्रेजी भाषा का पूर्ण बहिष्कार हो, क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा का ही असर है कि आज हमारे बड़े-बडे शिक्षार्थियों के दिमाग में गलत भावना काम कर रही है।

इतिहास में हमको पढ़ाया गया कि पिछले सात, आठ सौ वर्षों का इतिहास हिन्दू और मुसलमान संघर्ष का इतिहास है। यह बिल्कुल गलत बात है। आज हिन्दुस्तान के मुसलमान भूतपूर्व हिन्दू हैं, इस तरह की भावना व्यक्त करायी जाय। अंग्रेजों ने भावना व्यक्त की थी हिन्दू और मुसलमान का फर्क बढ़ाने के लिये। आज भावनात्मक एकता लाने के लिये सही इतिहास लिखने की जरूरत है जिससे यह भावना शुरू से हमारे दिमाग में पैदा हो कि हिन्दू और मुसलमान दो नहीं एक हैं। राष्ट्रीयता की भावना हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा की वजह से नहीं आयी बल्कि यह आदि काल से हमारे देश में चली आ रही है और इसका प्रमाण हमारे देश के चारों

[श्री काशीनाथ]

कोनों पर जो चार तीर्थ स्थान बने हुये हैं यह हैं। आज भी बदरीनारायण के मंदिर की यह परम्परा चली आ रही है कि उस मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण होगा। आज भी रामेश्वरम के मन्दिर में जबतक उत्तर भारत की गंगा नदी का जल नहीं जायगा तबतक वहां शंकर जी का भोग नहीं लग सकता। यह सब हमारी राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। लेकिन आज हमारी पौराणिक बातें विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती हैं।

आज जहां तक सभ्यता और संस्कृति का सवाल है उसमें एक खोखलापन आ गया है। मंत्रीगणों को याद होगा कि जब बचपन में वे पढ़ते होंगे तो सूर और तुलसी के दोहे और चौपाये गाते होंगे लेकिन आज हमारे बच्चे सिनेमा के गाने गाते फिरते हैं। आज हम अपने पुराने गौरव को भूल गये हैं। आज हमें अपने प्राचीन गौरव को याद रखने की आवश्यकता है। जबतक अंग्रेजी भाषा की गुलामी से हम मुक्त नहीं होंगे तबतक यह भावना हमारे अन्दर नहीं आ सकती। आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे यहां अंग्रेजी काल से चली आ रही है उसी का परिणाम है कि भाई भतीजावाद, अनियोजित ढंग पर स्कूलों का खुलना, पक्षपात आदि चल रहा है। आज प्राइवेट स्कूल भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं, और प्राइवेट संगठनों के धन कमाने का साधन भी। उनकी कोई योजना नहीं है दो, चार टाट-पट्टी बिछा कर और दो-चार छप्पर पलानी खड़ा करके एड के लिये दौड़ने लगते हैं। इस प्रदेश के अन्दर जितने अध्यापक हैं उनके अन्दर गुलामी की भावना कूट-कूट कर भरी है इस देश में बेकारी इतनी बढ़ी है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले हैं १२० रुपये माह पर नौकर रखकर ८० रुपये लेते हैं। वह बी० ए०, एम० ए० पास लोगों को अपने स्कूलों में नौकर रखते हैं और उनसे अपनी चापलूसी करवाते हैं। सिवाय चापलूसी करने के उनका और कोई काम नहीं होता है।

इसके अलावा एक बात और है कि आजकल हमारी शिक्षा संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वाइस-चांसलरों का एक ही काम रह गया कि वे मंत्रियों की चाटुकारिता करते रहते हैं और अपने कर्त्तव्य की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से है कि जब तक शिक्षा संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप चलता रहेगा तब तक हमारे प्रदेश में शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती है। शिक्षा में समानता लाने के लिये यह जरूरी है कि आजकल जो अंग्रेजी ढंग के स्कूल हमारे यहां चल रहे हैं उनको समाप्त किया जाय। आज हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने नहीं जा सकते हैं। वहां पर बड़े आदमियों के बच्चे ही जा सकते हैं क्योंकि एक बच्चे के ऊपर कम से कम ३०० रुपये माहवार का खर्च होता है। ये ऐसे स्कूल हैं जैसे सेंट जोजफ स्कूल, लामार्टिनियर वगैरह और उसी प्रकार के अन्य स्कूल आपके देहरादून आदि जगहों पर चल रहे हैं, ये स्कूल अपने यहां किस लिये चल रहे हैं? इनकी क्या जरूरत है? अगर आप अपने यहां समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो अविलम्ब इन स्कूलों को तोड़ा जाय। आप दुनियां के परदे पर कहीं भी ऐसे स्कूल नहीं पायेंगे जहां पर अमीरों के लड़के से गरीबों के लड़के अलग पढ़ते हों। सब जगह सब लड़के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहां पर इन स्कूलों में मंत्रियों के लड़के पढ़ते हैं, करोड़पतियों के लड़के पढ़ते हैं और गरीबों के लड़के छप्पर और अठन्नी वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। जिन स्कूलों के छप्पर चूते हैं और बैठने का टाट भी नहीं है। अगर इसी प्रकार से शिक्षा में असमानता चलती रहेगी तो हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था कदापि नहीं आ सकती है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी हमारे यहां स्वायत्त शासन की संस्थायें हैं उसके मातहत एक स्तर के छोटे-छोटे स्कूलों को चलायें। आज सरकारी पक्ष के लोग शिक्षा में सुधार के सुझाव देते हैं, उनको देखकर मुझे हंसी आती है और शर्म भी श्रीमन्, आती है और उनकी दशा को देखकर मुझे तरस भी आता है। आज आप सरकार में बने हुये हैं आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ अख्तियार हैं, आपके हाथ शासन है और आपके मिश्र जो सुझाव देने के लिये खड़े होते हैं, उनके हाथ में तो सरकार है जिस तरह से चाहें काम

कर सकते हैं लेकिन जो पहले की पद्धति शिक्षा की चली आ रही है उसी में उनका फायदा है और उनके सगे संबंधियों को नौकरी मिलती है और निजी स्वार्थ उठाये जाते हैं। आज शिक्षा जगत में सरकारी मंत्रियों का पक्षपात चलता है और हर महकमे में यही होता है। आज परिवहन मंत्री को पता नहीं चलता है कि हरदोई–बेलनगंज वाली बस क्यों बंद हुई ? लेकिन अगर उनका कोई आदमी जाने वाला है तो उनको पता चल जायगा कि उसको बस स्टेशन पर टिकट मिला या नहीं। इसी प्रकार से किसी विभाग को ले लो। आज लोग निजी मामलों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आज शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाने के लिये अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिये और सारे प्रदेश में जो अंग्रेजी भाषा द्वारा मनोविज्ञान फैला हुआ है उसको समाप्त करने के लिये आज की शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें।

श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर शिक्षा के १५ साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाय तो यह विदित होता है कि इस दर्मियान में शिक्षा में सराहनीय उन्नति हुई है। चाहे विश्वविद्यालय की संख्या लें, चाहे शिक्षा संस्थाओं की संख्या लें, चाहे प्राइमरी और सेकन्डरी शिक्षा को लें सब में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा इस दर्मियान में शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा और टैक्नीकल शिक्षा के लिये काफी ध्यान दिया गया है, यह बड़े हर्ष की बात है। लड़कियों की भी शिक्षा के लिये इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और आठवीं क्लास तक की फीस माफ कर दी है, यह स्वस्थ निशान है कि शिक्षा में काफी उन्नति हुई है।

जहां तक स्कूलों की संख्या बढ़ने का सवाल है उससे मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं। प्राइमरी स्कूलों की संख्या तो बढ़ती जाती है लेकिन अगर पिछले स्कूलों को देखा जाय तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। ऐसी हालत में स्कूलों की बढ़ती को रोक कर के जो आजकल स्कूल चल रहे हैं उन्हीं की दशा को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। यह बहुत ही आवश्यक है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे सूबे के डाइरेक्टर महोदय वहां जाकर देखें क्योंकि वह सबसे अच्छे टीचर हैं और सबसे अच्छे इंसपेक्टर हैं। उनको भी चाहिए कि वह प्राइमरी शिक्षा को सूबे के अन्दरूनी हिस्से में जाकर देखें कि उसकी आज क्या हालत है और उसको सुधारने की कोशिश करें। जब मैं शिक्षा मंत्री के मुख से सुनता हूं कि हमारे सूबे की प्राइमरी शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है तो बहुत ही निराशा होती है और मैं तो यह कहूंगा कि प्राइमरी एजूकेशन ही नहीं सेकेंडरी एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन में भी हमारा सूबा बहुत पिछड़ा हुआ है। यह सत्य है कि हमारे सूबे में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन जहां तक उनमें लड़कों के जाने का सम्बन्ध है उस के हिसाब से हमारे सूबे की शिक्षा पिछड़ी हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि इस पिछड़ेपन का कारण तो यही है कि बजट में एजूकेशन के अनुदान पर जितना खर्च होना चाहिये उतना नहीं होता। सन् ४६–४७ में कुल बजट २२ करोड़ का था और उसमें से शिक्षा पर ३ करोड़ १८ लाख खर्च होता था जो करीब करीब पूरे बजट का १४ प्रतिशत से कुछ अधिक है। लेकिन आजकल के बजट को देखा जाय तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि शिक्षा पर बजट के कुल रुपये का १३.६ प्रतिशत खर्च होता है। यानी शिक्षा पर जो आजकल रुपया खर्च किया जाता है वह सन् ४७ के हिसाब से परसेंटेज में कुछ कम ही है। उड़ीसा को छोड़कर और सभी प्रदेशों में शिक्षा पर परसेंटेज इससे ज्यादा है। इसीलिए उड़ीसा के अतिरिक्त बाकी सब सूबों से हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है।

दूसरी चीज जो पिछड़ेपन की है वह यह है कि हमारे यहां प्रयोग बहुत हुआ करते हैं और वह सब मिड स्ट्रीम में, मंझधार में छोड़ दिये जाते हैं। बेसिक एजूकेशन का प्रयोग हुआ, जनता कालेज खोले गये वह भी बन्द कर दिये गये। सचल शिक्षक दल की शुरुआत हुई उसकी भी क्या हालत है सभी लोग जानते हैं और जूनियर हाई स्कूलों में कृषि और क्राफ्ट के द्वारा शिक्षा

[श्री डूंगरसिंह]

झेने का भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यह तमाम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जिन पर काफी रुपया खर्च होता है और उसके बाद वह मंझधार में छोड़ दिये जाते हैं। बेसिक एजूकेशन के बाबत आप सब लोग जानते हैं कि क्या हालत है। असेसमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री रामचन्द्र जो हैं उनका कहना है कि ४७ हजार बेसिक स्कूल उत्तर प्रदेश में जरूर हैं लेकिन सचे मानी में यहां पर एक भी बेसिक स्कूल नहीं है क्योंकि जो बेसिक का काम होना चाहिए वह नहीं होता है। बहुत सा सामान जाता है सूत जाता है सब न मालूम कहां चला जाता है। तो बेसिक एजूकेशन का जो असली ध्येय है वह पूरा नहीं होता है। उसके टीचर्स जो ट्रेन्ड किये जाते हैं उनके लिए नार्मल स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन उनके जो हेडमास्टर्स हैं वह नान-बेसिक ट्रेन्ड हैं। जो नान-बेसिक ट्रेन्ड एल० टी० हैं वह उनको ठीक तरह से गाइड नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि बेसिक शिक्षा को न तो अधिकारियों ने और न और किसी ने दिल व दिमाग से माना है, माना है केवल गवर्नमेन्ट के डर से। इस तरह से यह शिक्षा चलायी जा रही है।

इसी तरह से जूनियर हाई स्कूलों में जो क्रेफ्ट और कृषि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उसमें भी यही हालत है। उसमें भी असेसमेन्ट कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि ऐसी शिक्षा जो दी जाती है उसमें विद्यार्थियों को बहुत ही लाइट वर्क दिया जाना चाहिये क्योंकि क्रेफ्ट और कृषि को तो केवल शिक्षा देने का एक माध्यम माना जाना चाहिये, लेकिन यह चीज नहीं होती है। लड़कों को इतना काम दे दिया जाता है कि शिक्षा का जो असली आब्जेक्ट है वही खत्म हो जाता है। यह बहुत दुख की बात है कि यह शिक्षा की स्कीमें जो हैं उनको बीच में ही छोड़ दिया जाता है। इसलिये बहुत सी कमेटी बनी, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बनी, रघुकुल तिलक कमेटी बनी, मुदालियर कमेटी बनी और जितने भी उन्होंने सुझाव दिये उनको पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने उन सुझावों को माना भी लेकिन उसके बाद उनको ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। इसी वजह से यह होता है कि स्कीम तो चलाई जाती हैं क्योंकि वे अच्छी हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश की जनता यह कहने लगी है कि यू० पी० के जो शिक्षा विशारद हैं उनके दिमाग में ब्रेन वेव आती है। जब ब्रेन वेव आई तो स्कीम को चालू कर दिया और जब वेव चली गई तो उसको ठप्प कर दिया। इस कारण शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण आज भी वही शिक्षा जो मैकाले ने क्लर्क मेकिंग मशीन के नाम से बनाई थी, चल रही है। वही क्रम आज भी चला आ रहा है और आज भी उसको क्लर्क मेकिंग मशीन का नाम दिया जाता है। आज लड़के कालेजों से निकलकर नौकरी की तलाश करते हैं। आज भी वही प्रश्न उनके सामने रहता है कि शिक्षित होने के बाद वह क्या करें। इसलिये मेरा अपना ऐसा विचार है कि जितने प्रयोग हो रहे हैं इनको बिलकुल बन्द कर दिया जाय। यह ठीक है कि प्रयोग होते रहने चाहियें। हर एक अच्छा सिद्धान्त और हर एक अच्छा आदर्श उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा और संस्कृति का भंडार रहा है और ज्ञान का भंडार रहा है, लेकिन जब स्कीम मिड स्ट्रीम में छोड़ दी जाती हैं तो फिर क्या फायदा हो सकता है। दूसरे प्रदेशों में जो प्रयोग हो रहे हैं उनसे फायदा उठाया जाय। मेरी राय है कि इस रुपये को बचाकर प्राइमरी एजूकेशन और सेकेन्डरी एजूकेशन में सुधार करना चाहिये, तभी हमारा सुधार हो सकता है। दूसरे सूबों ने जो प्रयोग किये हैं उनसे हमको फायदा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। जो प्रयोग शुरू किये जा रहे हैं उनसे लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न होना चाहिये। यदि प्रयोग अच्छा हो और सफल हो तो उसको सारे सूबे में लागू किया जाय तभी उसका फायदा हो सकता है वरना इसका कुछ फायदा नहीं हो सकता है।

सेकेन्डरी एजूकेशन के बारे में कहा गया। हमारे सूबे में सेकेन्डरी एजूकेशन के विषय में काफी उन्नति हुई है। लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक है, उन पर

जो रुपया खर्च किया जाता है वह १ करोड़ ३२ लाख और असरकारी स्कूलों पर ३ करोड़ ३४ लाख रुपया खर्च किया जाता है जब कि ९३ फीसदी एजूकेशन प्राइवेट स्कूल देते हैं। सरकार अपने स्कूलों पर, जिनकी संख्या केवल ६०, ७० होगी, १ करोड़ ३२ लाख रुपया खर्च करती है और प्राइवेट स्कूलों पर, जिनकी संख्या १,९०० के लगभग है, उन पर ३ करोड़ ३४ लाख रुपया खर्च किया जाता है जो कि मेरे विचार से बहुत कम है। इस स्कूलों में पैरिटी भी बहुत आवश्यक चीज है जो कि होनी चाहिये और यह सब लोग चाहते हैं। इनमें टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं। जहां तक रिजल्ट का ताल्लुक है प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहता है। उनके लिये डी० ए० का प्रश्न बहुत जरूरी हो गया है। जब तक उनका पेट ही नहीं भरेगा तो वे कैसे काम करेंगे ?

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर ७ मिनट का समय अपर्याप्त होगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे विषय पर मुझे कम से कम १२ मिनट का समय प्रदान किया जाय तो अच्छा रहेगा।

शिक्षा का क्रम जैसा हमारे देश में चल रहा है बहुत से लोगों ने उसको सन्तोषजनक बतलाया है और बहुत लोगों ने असंतोषजनक बतलाया है लेकिन मैं समझता हूं कि बीच का माध्यम मान लेने से कोई हर्ज नहीं होगा। पहले पहल प्राथमिक शिक्षा की ओर संविधान में जो निर्देशन की तादाद दी है उनमें ४५ वां डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल है कि १९६० तक यानी १० वर्ष के अन्दर ७ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो जानी चाहिये थी और अनिवार्य हो जानी चाहिये थी। हमारा प्रदेश इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहा है। यह दिया हुआ है कि ४८ लाख बच्चों की तालीम के लिये १९६२–६३ में १२ करोड़ ३० लाख रुपया खर्च किया जायगा, ठीक भी है। प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिये इसलिये कि वही बच्चों के चरित्र निर्माण का समय होता है। अच्छा स्वभाव और आदतें उनमें आनी चाहिये और इसलिये आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पायें, लेकिन उनको शिक्षा देने वाले अध्यापकों के साथ सरकार ने कोई न्याय नहीं किया। उनको कोई सुविधा नहीं दी। उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको मेडिकल ऐड की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके अतिरिक्त ट्रांसफर का भय उनको हर समय रहता है। जिला परिषदों में तो ट्रांसफर दलगत राजनीति का प्रश्न बन गये हैं। हमारे यहां बरेली में तो अप्रैल में भी ट्रान्सफर्स हुए हैं और एक व्यक्ति को ४० मील दूर फेंक दिया गया है इसलिये कि उनके खिलाफ जबानी शिकायत थी कि उन्होंने एलेक्शन में सरकार के खिलाफ काम किया था। इसके अतिरिक्त उनका वेतन भी कम है। आजकल इस कारण शिक्षक भी उचित रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाते। यदि आवास की उनको सुविधा हो तो वे कम से कम वहां रहेंगे तो। दूसरे प्रौढ़ पाठशालाओं में उनको अवसर दिया जाना चाहिये और इसके लिये उनको कुछ अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिये। ऐसा होने पर वे अधिक काम कर सकेंगे और जनता का संपर्क उनका बढ़ेगा और वे उन बच्चों का जीवन सुखी बना सकेंगे।

मुझे "१९६० की शिक्षा की प्रगति" नाम की पुस्तिका मिली है। मैं नहीं समझता कि उसमें शुद्ध आंकड़े दिये गये हैं। इसमें लिखा है कि ३७,००० स्कूलों में ३५ लाख बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। गांव की पाठशालाओं का यदि हम पता लगायें तो उनका औसत २०, २५, से ज्यादा का नहीं बैठेगा। इस हिसाब से ९४ विद्यार्थियों का औसत एक स्कूल में बैठता है। मेरे साथियों ने, जिन्होंने देहात के स्कूलों को देखा होगा, समझ सकते हैं कि यह कहां तक सही है। १०० विद्यार्थियों से ऊपर वाले बहुत कम स्कूल प्रदेश में निकलेंगे, फिर यह ९४ का औसत कहां से आ गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

दूसरे पूर्व माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मेरा सुझाव यह है कि सारे ही जूनियर हाई स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये । उनको अधिकतर जिला बोर्डों ने ले रखा है, कुछ म्युनिसिपल बोर्डों के पास है । थोड़े से प्राइवेट स्कूल बचते हैं । अगर हम उनका राष्ट्रीयकरण कर दें तो कुछ अनुचित न होगा और हमारे एक्सचेकर पर बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा । इसके अतिरिक्त संविधान में भी १४ साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात लिखी है । यदि हम अविलम्ब उनका राष्ट्रीयकरण कर दें तो संविधान की बात भी पूरी की जा सकती है ।

एक बात और है रिओरियेन्टेशन की जो शिक्षा कई साल पहले लागू की गयी थी वह हास्यास्पद स्थिति में है । वैसे तो यह स्कीम किसी प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से नहीं लागू की गयी थी, उसका एजूकेटिव एस्पेक्ट ही है, लेकिन यदि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें तो निश्चित रूप से वह प्रोडक्टिव भी बन सकती है । कुछ हमको उससे आमदनी भी हो सकती है । मैं इसके कुछ आंकड़े पेश करता हूं । सन् १९५८-५९ में प्रसार अध्यापक २,५५८ थे और जो भूमि स्कूलों के लिये भी दी गयी थी वह १,३०० एकड़ थी और जो उससे अनुमानित आमदनी हुई थी वह करीब ९ लाख के थी । इस प्रकार से प्रत्येक एकड़ भूमि में हमारे प्रसार अध्यापक ने ७० रुपये का अन्न पैदा करके दिया और एक, एक प्रसार अध्यापक के नाते अगर देखा जाय तो उसमें करीब ३२५ रुपये साल की आमदनी करके दी । इस तरह से देखा जाय तो पता चलेगा कि इस रोओरियेनटेशन स्कीम में जो भूमि दी गयी थी उसमें कोई सुधार नहीं हो सका और न ही कोई प्राप्ति उससे हुई ।

मैं यह सुझाव दे रहा था कि वहां पर अधिक से अधिक अन्न उपजाने की रीतियों को उनको सिखाया जाना चाहिये था । देहातों में जहां काश्तकार १२५ रुपये प्रति एकड़ आसानी से पैदा कर लेता है वहां ७० रुपये प्रति एकड़ की आय यहां हुई । इसका कारण क्या है ? आखिर प्रसार अध्यापक भी क्या करे । ८ वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं मगर अभी तक उनको स्थायी नहीं किया गया है । फिर जो भूमि उनको दी जाती है वह भी ऊसर दी जाती है । इसलिये आप उनको अच्छी भूमि दें और अगर ऊसर भूमि देते हैं तो उनके लिये उचित खाद आदि की भी व्यवस्था करें । फिर जो एड दी जाती है वह भी मैनेजर लोग किसी और काम में लगा देते हैं ।

माध्यमिक शिक्षा के बारे में मेरा सुझाव है कि छठीं, सातवीं, आठवीं और नवीं कक्षा का जो इम्तिहान हो वह जिलास्तर पर हो और अलग-अलग स्कूलों के आधार पर न हो .....

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जो अनुदान हमारे सामने पेश है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है और दलगत नीति को छोड़ कर निष्पक्ष भावना से उसके ऊपर विचार करना चाहिये क्योंकि शिक्षा पर ही हमारे राष्ट्र की उन्नति निर्भर है और इसी के द्वारा देश समाजवादी समाज की प्रगति की ओर जा सकता है । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की ८० प्रतिशत आबादी किसानों, गरीबों और मजदूरों की हैं, और उनके लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । लेकिन अगर आप देहातों में जायं तो यह महसस होगा कि वहां शिक्षा की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिये । मैंने देहातों में जाकर कई स्कूलों को देखा है कि जहां पर स्कूल तो जरूर हैं लेकिन वहां भवन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने के लिये कोई साधन नहीं है । तो खाली स्कूल खोल कर ही हम संतोष कर लें, यह अनुचित है, और उनका कोई उपयोग होने वाला नहीं है । जहां आज आप स्कूल खोल रहे हैं वहां उनके चलाने की भी आप समुचित व्यवस्था करें ।

बच्चों के बैठने आदि का भी प्रबन्ध करें। साथ ही आप यह भी देखें कि उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना जरूरी है।

इसमें शक नहीं है कि जो देहात के बच्चे १० बजे स्कूल जायंगे उनको दोपहर में कुछ खाने और नाश्ते की जरूरत देखते हुए व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये, तभी ६ घंटे पढ़ कर वह पूरा काम कर सकते हैं। साथ ही जो अध्यापक ४०-५० रुपये माहवार के हैं उनसे हम उम्मीद करें कि वह लगन के साथ, सिंसियर तरीके से पढ़ाने में अपना समय खर्च करेंगे, यह केवल भ्रम मात्र है। मेरी प्रार्थना है कि उन प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन वही होना चाहिये जो हमने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का निर्धारित किया है। मैं समझता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है और कठिन है। इसलिये उनकी तनख्वाह सौ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। अगर हम उनसे उम्मीद करें कि वह मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो उसके अनुकूल उनको सुविधा भी होनी चाहिये।

दूसरे जनता का सहयोग भी हमारा हो, इसके लिये हमें जनता में जागृति पैदा करनी चाहिये और जो प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट है उधर भी सहानुभूति पूर्ण ध्यान होना चाहिये। मेरा अनुभव है कि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट और व्यवस्था सरकारी स्कूलों के रिजल्ट और व्यवस्था से अच्छी रहती है। क्योंकि उनको ध्यान रहता है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो मैनेजमेंट कमेटी का नियंत्रण सख्त होगा। यदि रिजल्ट अच्छा होता है तो मैनेजमेंट कमेटी से उनको प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों के साथ जो भेद-भावना रखी गयी है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। मेरी शिकायत है कि उनको समान अधिकार मिलना चाहिये, जैसा कि श्री डूंगर सिंह ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को ज्यादा और असरकारी स्कूलों को कम सहायता मिलती है, यह नहीं होना चाहिये।

जो विज्ञान और दस्तकारी के स्कूलों की व्यवस्था है वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो वैज्ञानिक और टेक्निकल स्कूल खोले जाते हैं वह इतने महंगे हैं कि किसान, मजदूरों के लिये वहां की शिक्षा दुर्लभ है। इसलिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि उन्हें सस्ती शिक्षा दी जा सके, ताकि साधारण श्रेणी के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

हमारे अध्यापकों का नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिये और विद्यार्थियों को नैतिकता की शिक्षा देने की जरूरत है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यहां अंग्रेजी की जगह हिन्दी का ही प्रचार होना चाहिये। आज अधिकतर विज्ञान और टेक्निकल विषयों की पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं। अगर हमें दूसरे देशों के मुकाबले में अपनी प्रगति को रखना है तो एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को रखना चाहिये। साथ ही बांदा, बुंदेलखंड में कोई डिग्री, टेक्निकल या वैज्ञानिक स्कूल नहीं है, वह क्षेत्र क्यों इतना उपेक्षित रखा गया है, वहां भी दूसरे क्षेत्रों की तरह सुविधा होना चाहिये, तभी हमारे सूबे की पूर्ण प्रगति हो सकती है, अन्यथा नहीं।

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा से शुरू होती है। आज हमारे प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा और उसके अध्यापक, दोनों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। यूं तो प्रस्तुत अनुदान में प्रारंभिक शिक्षा के लिये अधिक धन की मांग की गई है किन्तु यदि आप गौर से देखें तो विद्यार्थियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसके अनुपात में अध्यापकों की संख्या नहीं के बराबर है। तीन-चार सौ विद्यार्थियों के बीच में दो-तीन अध्यापक हैं जो केवल बच्चों की रखवाली ही कर सकते हैं, शिक्षा का कार्य करना तो बड़ा असम्भव सा है। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें स्वीकार किया गया है कि बढ़ते हुये बच्चों की संख्या के अनुसार अधिक अध्यापकों की

[श्री दौलतलाल]

आवश्यकता है किन्तु अनुदान में जो अध्यापकों की संख्या रखी गई है आवश्यकता के अनुसार नगण्य है । प्राइमरी शिक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसपर सारी आगे की शिक्षा निर्भर करती है उसकी यह स्थिति है तब आप यह आशा करें कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अच्छी हो जायगी, यह आपकी और हमारी आशा बिलकुल निर्मूल है । इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्राइमरी शिक्षा के लिये अध्यापकों की ओर और उनकी संख्या की ओर विशेष ध्यान दें ताकि बच्चों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था हो सके । साथ ही साथ लड़कों के बैठने के लिये इमारत इत्यादि की व्यवस्था का भी होना आवश्यक है ।

जहां तक जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा का प्रश्न है, बहुत पहले इसी सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था कि कक्षा ८ तक शिक्षा निःशुल्क होगी, लेकिन अभी तक वह कक्षा ६ तक ही हो पाया है जब कि केरल राज्य में हाई स्कूल तक और काश्मीर में बी० ए० तक की शिक्षा निःशुल्क हो गई है । हमारे यहां जूनियर हाई स्कूल तक की भी शिक्षा निःशुल्क नहीं हो सकी है । हमको बजट में बड़ी आशायें थीं कि कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की जायगी, किन्तु वह आशा निर्मूल निकली ।

इसके साथ ही साथ यदि हम चाहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल शिक्षा अच्छी हो तो आवश्यक है कि अध्यापकों के वेतन और मंहगाई भत्ते की ओर ध्यान दिया जाय । क्योंकि जब तक उनकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक उनसे उचित शिक्षा की आशा करना बिलकुल व्यर्थ सा है । यही कारण है कि हमारे यहां के लड़के जो डिग्री तक की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वह कम्पेटीशन्स में इस प्रकार के उत्तर देते हैं जिनको सुनकर आश्चर्य होता है । आज बी० ए० का विद्यार्थी यहां तक नहीं बता सकता कि हमारे सूबे के गवर्नर और मुख्य मंत्री कौन हैं । इसका कारण यह है कि उनकी प्रारम्भिक शिक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाती और उसका कारण यह है कि हम अध्यापकों को उचित पुरस्कार नहीं दे पाते । यदि हम आज उनके पुरस्कार की ओर उचित ध्यान दें और अध्यापक अपना पूरा समय शिक्षण में लगायें तो हमारे विद्यार्थियों की दशा सुधर सकती है। आज जनरल नालेज की शिक्षा की ओर हमारा ध्यान नहीं के बराबर है । इसी कारण से जब एक बी० ए० पास विद्यार्थी से इस तरह की बातें पूछी जाती हैं तो उसका उत्तर सुनकर आश्चर्य होता है ।

इसके साथ मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यताओं का आधार पुराने ढंग पर रखा गया है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहीं पर खोले जाते हैं जहां पर कि साधन मौजूद हैं, जहां पर जनता बिल्डिंग बनाना चाहती है और कुछ रुपया देती है, ऐसी जगहों पर ही मान्यता दी जाती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, जहां कोई साधन नहीं हैं वहां पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । मेरठ, कानपुर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहुत दिनों से चल रही है लेकिन प्रस्तुत बजट में उसकी कोई रूप-रेखा नहीं प्रस्तुत की गई है । हरिजन और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी धनाभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं । उनको सरकार जो वजीफा देती है वह भी तब मिलता है जब कि वर्ष समाप्त हो जाता है । जो गरीब विद्यार्थी है वह आपसे सहायता पाने की आशा करता है । लेकिन जब उसको सहायता नहीं मिलती तो वह पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है । अतः उसको पढ़ाने के लिये आपको समय पर उसको सहायता करनी चाहिये । लेकिन होता यह है कि वर्ष के समाप्त होने पर उसको सरकार से प्राप्त सहायता मिलती है । पूरे साल कभी उसके पास किताब नहीं होती, कभी कोई और सामान नहीं होता । हरिजन स्कूलों का भी यही हाल है । उनको भी सरकारी सहायता वर्ष के अन्त में मिलती है और अगर हिसाब-किताब भेजने में आफिस को देर हो जाती है तो अगले वर्ष का अनुदान भी नहीं मिल पाता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार समय से सहायता का रुपया दे ।

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपने कम कर दी है । उसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत से तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी पढ़ने से रह जाते हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षा में जो संख्या की शर्त रखी गयी है वह हटा दी जाय जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो सके । इन बातों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, शिक्षा ऐसी हो जो बालकों को स्वावलम्बी बना सके और हमें आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति दिला सके । इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिये । आज के विद्यार्थी विद्यालय से निकल कर नौकरी की तलाश में दरवाजे खटखटाते फिरते हैं । इस प्रकार की शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये ।

मान्यवर, प्रारंभिक शिक्षा के लिये तृतीय योजना में २३,८७० स्कूल खोले जा रहे हैं, पर जूनियर हाई स्कूल १०२ राज्य की ओर से और १६५ अनुदान से खोले जा रहे हैं । इस तरह से २३,८७० प्रारंभिक स्कूल और २६७ जूनियर हाई स्कूल जिनमें भी २२५ बालिकाओं के स्कूल हैं । अब इस बात पर विचार कीजिये कि प्रत्येक प्रारंभिक स्कूल से चार विद्यार्थी भी निकले तो ९५,४८० विद्यार्थी ६ वीं कक्षा के लिये निकलेंगे । लेकिन इन २६७ स्कूलों में केवल १०,६८० विद्यार्थियों के पढ़ने की ही व्यवस्था की जा रही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह योजना साक्षर बनाने की योजना है अथवा शिक्षित बनाने की है ? जिला परिषद् के स्कूलों को अनुदान देने का कोई नियम नहीं है, आप केवल प्राइवेट स्कूलों को ही अनुदान देते हैं । लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों की दशा क्या है । रोजाना हम इस प्रकार के संशोधन लाते हैं जिनसे मालूम होता है कि उन स्कूलों की प्रबंध समितियां गलत काम करती हैं, तरह तरह की गड़बड़ियां वहां होती हैं । जो नियम बनाये जाते हैं उनसे यही भास होता है कि आप और आपके अधिकारी यही मान कर उनको बनाते हैं कि मैनेजर और प्रबंध समितियां ज्यादतियां करती हैं । मैं यह नहीं कहता कि सब पर यह बात लागू होती है, अच्छे लोग भी हैं । दूसरी तरफ आप आशा करें कि प्राइवेट कमेटियां बना कर जूनियर हाई स्कूल चलाये जायें यह कैसे संभव है ।

इसके अलावा अध्यापक आजकल राजनीति में बहुत प्रवेश कर रहे हैं । एक ओर जब आप यह कहते हैं कि मैनेजमेन्ट गड़बड़ी करते हैं ज्यादती करते हैं और कानून से जकड़ते जा रहे हैं फिर क्या जरूरत है कि आप प्राइवेट स्कूलों को खोलने की इजाजत दें । आप इस पर विचार करें कि ढाई हजार हायर सेकेन्डरी स्कूल्स प्राइवेट संस्थायें चला रही हैं । सरकार अपनी तरफ से दो, ढाई सौ स्कूलों को चलाती होगी । आप देखें कि कितने बड़े बोझ को सार्वजनिक संस्थायें उठा रही हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सम्भव है कुछ मैनेजमेन्ट में गड़बड़ी हो, उनमें कुछ खराबी हो लेकिन एक तो यह कि आप उनको थोड़ा रुपया देकर उन संस्थाओं को चलाने में सहायता देते हैं और दूसरी तरफ आप लाखों करोड़ों रुपये अपने स्कूलों पर खर्च करते हैं । एक ही तरह के अध्यापक हैं और एक ही प्रकार का काम है, एक ही प्रकार की योग्यता है, लेकिन आप अपने स्कूलों के अध्यापकों को तो २०० रु० से प्रारम्भ करते हैं और प्राइवट संस्थाओं के अध्यापकों को १७५ रु० महीना देते हैं । मेरा निवेदन है कि इस भेद को अविलम्ब समाप्त होना चाहिये । प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापक जो प्रारम्भिक विद्यालयों में इन्सान का निर्माण करते हैं, उन अध्यापकों को आप केवल ५० रु० देकर सन्तोष करते हैं । आपको चाहिये कि प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के आर्थिक संकट को दूर करें जिससे वे निश्चिन्त होकर विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें । प्रारम्भिक शिक्षा हमारी शिक्षा की नींव है उसके अध्यापकों की दशा सुधारना चाहिये ।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों में मैनेजमेन्ट में जो गड़बड़ी की बात कही जाती है, यह एक बड़ी भारी सगस्या है । एक एक जिले में २५-३० और चालीस चालीस, स्कूल चलाये जाते हैं ।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

मेरा निवेदन है कि अगर सरकार इन स्कूलों का संचालन नहीं कर सकती है तो आपको चाहिये कि जिला स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाय, जिस तरह से आपने प्लानिंग को मर्ज कर दिया जिला परिषद् में । आज प्लानिंग आफिसर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर बना हुआ है । इसी तरह से हर जिले में एक कमेटी बना दी जाय, जिसमें मैनेजमेन्ट के प्रतिनिधि भी रहें, व अध्यापकों के प्रतिनिधि भी रहें और उनके चुनाव की कोई व्यवस्था करके जिला स्तर पर शिक्षा का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय और जिले के सभी स्कूलों की ग्रान्ट इस जिला कमेटी को दे दी जाय और जिला विद्यालय निरीक्षक को उस कमेटी का सेक्रेटरी बना दिया जाय ।

अब बुन्देलखंड के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । प्रारम्भिक शिक्षा के लिये आवश्यक है कि आप इस पर कंट्रोल रखें । आज यह होता है कि प्रारम्भिक, माध्यमिक और हायर सेकेन्डरी शिक्षा का संचालन जिला परिषद्, राजकीय और प्राइवेट कमेटियों द्वारा होता है । आपको चाहिये कि ऊपर से नीचे तक की सारी शिक्षा पर अपना कंट्रोल रखें और एक नीति निर्धारित करें ।

एक तरफ तो आपकी नीति है कि सरकार के डिग्री कालेज न हों, दूसरी तरफ नैनीताल व रामपुर में आपके डिग्री कालेज हैं जहां विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । हमारा बुन्देलखंड जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां एक भी सरकारी डिग्री कालेज नहीं है । विज्ञान का एक कालेज अभी अभी प्रारम्भ हो रहा है । उसकी उदारता से सहायता की जानी चाहिये । पिछड़े क्षेत्र का ध्यान रख कर आपको बुन्देलखंड की समस्या पर सोचना पड़ेगा और यहां तो डिप्टी डाइरेक्टर का एक हेड क्वार्टर बनना चाहिये । आप सारे प्रान्त में कई डिप्टी डाइरेक्टर बनाये हुये हैं, लेकिन एक डिप्टी डाइरेक्टर का हेडक्वार्टर आपको बुन्देलखंड में बनाना चाहिये । बुन्देलखंड वह क्षेत्र है जहां की महारानी लक्ष्मी बाई की ख्याति सारे विश्व में है और सन् १८५७ की चिनगारी का ही परिणाम है कि आज मुल्क आजाद है । मेरा निवेदन है कि आप बुन्देलखंड पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें और वहां के लिये एक विश्वविद्यालय की योजना भी बनायें ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे आज हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले सेवकों को पैदा करने वाले महकमें के अधिष्ठाता हैं । दूसरे मैं उनको इसलिये बधाई देता हूं कि शिक्षा के लिये जो ग्रान्ट उन्होंने रखा है वह उस समय की हमारी सरकार की आमदनी का दुगना है । जब सन् २४ में मैं पहले पहल इस सदन में आया था उस वक्त से अब तक बहुत परिवर्तन हुये हैं । उस वक्त शिक्षा पर कितना खर्चा होता था और आज हम सारे राज्य में शिक्षा के लिये कितना अधिक खर्च करने के लिये तैयार हैं । मैं आप को इसलिये भी बधाई दे सकता हूं कि आपके समय में इसमें शक नहीं कि स्कूलों की संख्या बढ़ी है और तालीम का बड़ा विस्तार हुआ है नये कालेज और स्कूल खुले हैं और मैं तो आप का खास तौर से आभारी हूं कि हमारे पिछड़े हुये जिले गढ़वाल में आपने एक राजकीय हाई स्कूल की बुनियाद डाली है । हमारे जिले गढ़वाल को सदैव से करीब करीब सभी राज्यकर्त्ता भूले रहे हैं । मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने कम से कम श्रीनगर में एक हाई स्कूल स्थापित कर दिया है । मैं अब उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब गढ़वाल के हर एक क्षेत्र में कम से कम एक एक सरकारी हाई स्कूल होगा ।

मैं आपसे यह प्रार्थना करने जा रहा हूं कि लैंसडाउन क्षेत्र में कम से कम एक हाई स्कूल अपने हाथ में लेकर चलाने की कृपा करें जिस को कि घुमावड़े के लोगों ने रुपया चन्दा कर के श्रम दान से सन् ४८ में बनाया था और जिस को सन् ५८ में मान्यता दी गई है । उस को मैं चाहता हूं कि सरकार अब अपने हाथ में ले ले । मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां जो जो जनता के बनाये हुये ४–५ स्कूल हैं उनको वह मान्यता दें । आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जो कि

गढ़वाल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लेकिन शिक्षा का प्रसार करने के लिये आज लोगों में बड़ा उत्साह है, अभी चुनाव के जमाने में मैं वहां गया तो मैंने वहां देखा कि जगह जगह पर ८-८ और १०-१० गांव वालों ने इकट्ठा हो कर एक हाई स्कूल का निर्माण अभी किया, स्त्री पुरुष स्वयं जंगल से पेड़ काटकर लाये, स्वयं उन्होंने तराशे और अपने श्रमदान से चुनाई की और विद्यालय तैयार कर दिया। इस तरह से वहां के लोग स्कूल बना रहे हैं । एक समय आयेगा जब हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वह इन विद्यालयों को अपने हाथ में ले और उन्हें मान्यता दें । आज हर एक माननीय सदस्य ने अपने अपने दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग की नुक्ताचीनी की है और वह ठीक है, क्योंकि शिक्षा विभाग ही राष्ट्र के निर्माण बुनियादी तौर से करता है इसलिये हर व्यक्ति जो आलोचना की है और सुझाव दिये हैं वह उचित ही हैं ।

जिन जिन शिक्षकों से आप राष्ट्र के निर्माण का कार्य लेते हैं उन का वेतन बहुत कम है । वह बढ़ना चाहिये । इस पर हम सब सहमत हैं । और मुझे पूरी आशा है कि मंत्री जी महोदय उनका वेतन बढ़ाकर उन को रिलीफ देंगे । लेकिन मैं उन से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार कि मंत्री जी का कहना है कि विद्यार्थियों का हम नैतिक स्तर और चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं वह बहुत आवश्यक अंग है, और इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । लेकिन इसके लिये मंत्री जी को घोर कष्ट और भारी प्रयत्न करना होगा । आज जो शिक्षा दी जा रही है उस का स्टैन्डर्ड गिर गया है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे यहां नैतिक पतन होता चला जा रहा है । इसलिये हमें शिक्षा की नीति में परिवर्तन करना होगा । हमें देखना होगा कि कैसे मास्टर रखे जायें ताकि हमारा नैतिक पतन रुके । और जो हमारी शिक्षा की उन्नति है वह क्यों कम होती जा रही है, इस तरफ भी देखना होगा । जैसा कि शिक्षा की प्रगति नामक इस किताब में लिखा हुआ है, ऐंग्लो इंडियन स्कूल्स, जिनके लिये हम समझते थे कि १९५७ के बाद में सब बेन्द हो जायेंगे और अंग्रेज शिक्षक भारत छोड़कर भाग जायेंगे, उनमें आज तिगुने, चौगुने विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं । क्यों जा रहे हैं, यह सोचना होगा । उसका एक कारण यह है कि उन शिक्षालयों में अंग्रेजी अनिवार्य है । हमारे शिक्षा मंत्री को देखना होगा । जब हम देखते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं बनता तो जो तीन अनिवार्य भाषायें हैं, हिन्दी, एक प्रान्तीय भाषा और अंग्रेजी, उसमें अंग्रेजी भाषा पर जरूर जोर देना चाहिये । मैं छात्रों के संसर्ग में आता हूं । वे कहते हैं कि हम लोग आई० ए० एस०, पी० सी० एस० में पास नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास हिन्दी की टैक्स्ट बुक्स पर्याप्त नहीं हैं, जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं वे सब अंग्रेजी में लिखी हुई हैं । अभी वह समय नहीं आया है जब कि हम उच्च कोटि की शिक्षा के लिये हिन्दी पर पूर्णतः निर्भर हो सकें ।

इसके अलावा नैतिक दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं गोकि हमारी सेक्यूलर स्टेट है फिर भी समय आ गया है कि हमारे शिक्षा विभाग को कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स रखनी चाहिये जिनसे नैतिक चरित्र ऊंचा हो । मैं एक किताब का नाम बताता हूं "आर्ट आफ लाइफ" जिसमें महात्मा गांधी के छोटे-छोटे उद्देश्य लिखे हुये हैं, वह सैक्यूलर बुक है, छोटी-छोटी नीति की बातें दी हुई हैं । उसको टेक्स्ट बुक के रूप में रखना चाहिये, न केवल स्कूलों में बल्कि आई०ए०एस० और पी० सी० एस० की परीक्षाओं में धर्म पद भी पढ़ाये जायं । बिना धार्मिक व नीति की किताबों को पढ़ाये हमारा नैतिक पतन नहीं रुक सकता ।

हमारे जिले में पुलों का अभाव है, सड़कों का अभाव, विद्यालयों का अभाव है । इसलिये गढ़वाल में ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है, क्योंकि आने जाने के साधन ठीक न होने के कारण एक एक गांव से स्कूल बहुत दूर पड़ते हैं । वहां बच्चों का जाना असम्भव है । इसलिये पास पास सरकारी स्कूल खोले जायं क्योंकि जनता वहां की इतनी गरीब है कि वह अपने पैसे से स्कूल नहीं खोल सकती ।

स्कूल के अध्यापकों के बारे में जैसा कहा गया है कि उनको वेतन काफी नहीं मिलता है । और न उनको मेडिकल फैसिलिटीज हैं । मेरे यहां नैणी डांडा में एक हाई स्कूल है । वहां ↓

[श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर]

१९४३ से अब तक अस्पताल होते हुये भी कोई डाक्टर नहीं गया। अब बताइये उस स्कूल के अध्यापकों को कैसे चिकित्सा की सुविधा मिल सकती है ? इसलिये हमारे यहां की स्थिति अन्य जगहों से भिन्न है । जब तक उधर खास तवज्जह नहीं दी जायगी, खास इंतजाम नहीं किया जायगा तब तक वहां की समस्यायें हल नहीं हो सकतीं । गढ़वाल वही जिला है जहां से लड़ाई के लिये सबसे ज्यादा सिपाही मिलते हैं, जिसने सबसे पहले वार आफ इंडिपेंडेंस का झंडा उठाया था सन् १९२० में पेशावर में उन लोगों को छुड़ाने के लिये मैं खुद गया था और मैंने बड़ा प्रयास किया । नेताजी आजाद हिन्द फौज की जो सेना सिंगापुर में थी उसमें भी ३ हजार गढ़वाली सिपाही थे । गढ़वाल वह भूमि है जिसमें वीर, कर्मवीर, स्वदेश सेवक पैदा होते हैं; इसलिये शिक्षा के बारे में आप उनकी सहायता कीजिये । यही मेरा निवेदन है ।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जब यहां फ्लोर पर यह कहा जाता है कि जन जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त है तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि शिक्षा पद्धति में उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कौन से साधन अपनाये हैं? कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाने के बाद उस भ्रष्टाचार को अपनी शिक्षा के द्वारा खत्म करना चाहेंगे ।

आज हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ी हुई है । इस नाम पर कमेटियां बुलाई जाती हैं और मार्च में चुनाव वगैरह के कारण नहीं हो पाईं अब शायद बुलाई जाने वाली है । तो इन दोनों चीजों को दृष्टि में रखते हुये यदि हम अपनी शिक्षा की प्रगति को आंकेंगे तो पता चलेगा कि न तो शिक्षा का प्रगति नामक पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है उसमें कुछ है । हां, जो सारे देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा दी गयी है उसमें कुछ शब्द अवश्य लिखे हुये हैं जिससे कुछ अपने प्रदेश के बारे में पता लगता है । माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर गया होता तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता। इन दोनों चीजों की उपेक्षा करके शिक्षा हमारी आगे नहीं चल पायेगी । इसका कारण एक है। वह यह है कि हमारा भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और अगर वह बढ़ता चला गया तो प्रजातंत्र का अन्त कब हो जायगा कौन कह सकता है । देश की एकता तो खतरे में है ही, देखना यह पड़ेगा कि क्या कारण है ? जितनी भी शिक्षा संस्थायें हैं वह बिरादरी के नाम पर चलती हैं और बिरादरी ही नहीं उसमें भी एकविशेष वर्ग विशेष वर्ग की बिरादरी के नाम पर चलती हैं। अगर अग्रवाल स्कूल है तो उसमें केवल अग्रवाल बिरादरी के लोग ही सदस्य होंगे, दूसरी किसी बिरादरी का और यहां तक कि और कोई वैश्य भी उसका सदस्य नहीं हो सकता है । यह मनोभावना आज हमारे अन्दर घर कर गयी है । इसलिये सबसे पहले तो इसका प्रबन्ध होना चाहिये कि वह नाम बदले जांयें चाहे जो भी नाम हों, इससे देश की एकता और भावनात्मक एकता जो खत्म हो रही है प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर से। वह फिर आयेगी आज हमने देखा कि चुनाव के अन्दर जिन लोगों ने भाग लिया तो लोगों से कहा गया कि फलां व्यक्ति बिरादरी का है उसको सपोर्ट करना चाहिये। अगर हमने इस भावना से काम किया तो फिर बहुत काम नहीं चलने वाला है। लोगों ने स्कूलों की कार्यकारिणी खोल करके इस तरह से कार्य किया और अगर इस तरह से हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब असेम्बली, पार्लियामेंट, गांव सभा हो या दूसरे चुनाव के अड्डे ये स्कूल और कालेज बन जावेंगे। इसको अगर रोकना है तो हमें इन स्कूलों और कालिजों के नाम बदलने पड़ेंगे। आज इस प्रदेश में कितने ही ऐसे स्कूल हैं जो बिरादरी और विशेष बिरादरी और किसी वर्ग के हैं जिसमें उसी वर्ग के सदस्य बन सकते हैं।

इसी के साथ भावनात्मक एकता को लाने के लिये हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों को बदलना पड़ेगा। जब मैं पढ़ा करता था तो देखता था कि उस समय युधिष्ठिर की कहानी आती थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब उसमें आया कि सच बोलना धर्म है तो उसने पढ़ना छोड़ दिया था और कहा कि सच बोलने की आदत अपने जीवन में लाना जरूरी है और उसने तब तक पाठ्यपुस्तक पढ़ना बंद कर दिया जब तक उसने अपने जीवन में उसको धारण न कर लिया। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जो गुरू आज पढ़ाता है वही अपने शिष्य को अनाचार सिखाता है। हमारा बहुत अधिक नैतिक पतन हो गया है। पहले तो हमें अपने गुरू ही ठीक करना होगा और उन विचारों को भी ठीक करना होगा। आज प्राइमरी शिक्षा के मास्टरों का नैतिक पतन हो गया है। कितने ऐसे मास्टर हैं जिनको निकाला जा रहा है। कितनों का नैतिक पतन हो चुका है और दूसरे स्कूलों में भेज कर समझा जाता है कि काम पूर्ण हो गया है मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नैतिक स्तर को उठाने की जिम्मेदारी आप पर है, जो इतना भ्रष्टाचार विभागों में है उसकी भी जिम्मेदारी आप पर है आप उसे दूर करें। इससे आप मुक्त नहीं हो सकते और यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जनजीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कौन से तरीके हैं जिससे वह खत्म हो उसके लिये मैं एकाध सुझाव देता हूं।

बेसिक एजूकेशन, जो अपने प्रदेश में चल रही है उसके बारे में मैं कह रहा हूं, बाकी की तो मैं नहीं कहना चाहता। मैंने गांवों में देखा है कि एक एक स्कूल में डेढ़ डेढ़ सौ और सवा सवासौ लड़के पढ़ते हैं। मास्टर पढ़ा नहीं पाते, अनट्रेन्ड हैं क्योंकि बिना उनका इम्तिहान लिये हुये उन्हें आपने वहां रख लिया है। कहा यह जाता है कि आज गांव का आदमी शिक्षा की ओर नहीं जा रहा है। जब गांव का आदमी देखता है कि लगातार तीन साल हो गये, हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे वह फिर अपने काम में लगा लेता है। उन स्कूलों में पढ़ाई कुछ नहीं होती इसलिये वहां के वालदेन सोचते हैं कि इसे बिठाल लो। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत प्रगति हुई है वास्तव में वह प्रगति नहीं हुई है।

जो बेसिक नारमल ट्रेनिंग स्कूल हैं उनमें जब बेसिक ट्रेन्ड मास्टर नहीं हैं तो वहां से बेसिक ट्रेन्ड मास्टर निकल ही कैसे सकते हैं? रिआर्गनाइजेशन स्कीम लागू कर दी, ठीक है। लेकिन वह ऐसी ही है जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जो टेक्निकल शिक्षा दी जाती है वह बेकार हो जाती है और उधर डिग्री क्लासेज में उनको एडमिशन भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में यह जो टेक्निकल एजूकेशन आप दे रहे हैं इसे डिग्री क्लासेज तक ले जाइये ताकि लोग सीख कर अपना धंधा कर सकें। रिआर्गनाइजेशन स्कीम का मतलब था कि बाबू पैदा नहीं करना है, देश के लिये कुछ क्राफ्ट्समैन पैदा करने हैं। ऐसी हालत में उनको आगे बढ़ाना होगा और डिग्री क्लासेज तक ले जाना होगा ताकि पूर्ण शिक्षा हो सके।

डायरेक्टर महोदय, जो आपने रख छोड़े हैं १० साल से अधिक हो चुके हैं वही लगातार मौजूद हैं। आपकी बेसिक स्कीम को लगातार वह फेल कर रहे हैं। दूसरा डायरेक्टर रखने की बात हुई थी लेकिन वह ठप्प हो गयी। जैसा और माननीय सदस्यों ने बतलाया उत्तर प्रदेश एजूकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में १५६ पेज पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और ६ प्रदेशों में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़ कर सबसे अधिक पिछड़ा यह उत्तर प्रदेश है। इन बातों को देखकर माननीय मंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि बेसिक एजूकेशन में उनके टीचर्स ट्रेंड हों। उनकी इमारत हो। इसके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी जाय ताकि सारे हालात मालूम हो जायं कि उनको कैसी शिक्षा दी जाय, कैसी ट्रेनिंग दी जाय और बच्चों को शिक्षा देने के लिये या तो संख्या कम की जाय या फिर टीचर्स बढ़ाये जांय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री छत्रपति अम्वेश . . .

एक सदस्य—कांग्रेस पार्टी से अगर आपके पास कोई सूची हो तो हम लोगों को मालूम हो जाय ताकि उठने बठने से हम बच जायं।

श्री मैनेजर—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता। इस माननीय सदन में कई बार मान्यवर महोदय के द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि जब सदन में विवाद चल रहा हो तो कोई भी मंत्री फाइलें न उलटें और अपना कार्य यहां न करें और विवाद में अपना ध्यान लगायें। मैं आपका ध्यान माननीय उप-मंत्री, श्री नवलकिशोर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो बहुत अर्से से फाइल उलट रहे हैं। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—मान्यवर, यह जो डिबेट चल रही है मैं इसके कुछ प्वाइंट्स नोट कर रहा हूं। (हंसी)

श्री मैनेजर—यह गांधी जी का सत्य है।

श्री क्षत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री के भाषण के उन अंशों से सहमत हूं कि प्रदेश के अन्दर जहां तक स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या का सवाल है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। परन्तु साथ ही साथ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो उनकी ओर से पुस्तिकायें प्रकाशित होती हैं या जो विश्वविद्यालयों की डिग्रियों में लिखा रहता है तमसो मा ज्योतिगमय और जो पुस्तिका उनके विभाग की ओर से वितरित की गई है जिसमें लिखा है शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को मानसिक, नैतिक, शारीरिक शक्तियों का विकास करना और अपने देश की मर्यादाओं के अनुकूल और वैयक्तिक जातीय जीवन को समृद्ध बनाना है। यद्यपि मैं जातीय जीवन को नहीं समझ सका कि क्या अर्थ है और शिक्षा विभाग के लोगों ने किस अर्थ में लिखा है, मैं समझता हूं जातीय के स्थान पर अगर राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जाता तो ज्यादा उचित होता। खैर, यह शिक्षा विभाग की चीज है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि उनकी त्रुटि निकाल सकूं। मगर ये दो चीजें हैं जिनकी ओर मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक तरफ तो आप चाहते हैं कि देश का विकास करें और देश की मर्यादाओं के अनुकूल वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बनायें। लेकिन क्या वास्तव में हम वर्तमान शिक्षा के माध्यम से इस ओर चल रहे हैं? शिक्षा देश और काल के अनुरूप हुआ करती है। आज की जो शिक्षा है, जिस समय इस शिक्षा का जन्म हुआ था उस समय एक विशेष आवश्यकता थी, ऐसे क्लर्कों की आवश्यकता थी जोकि इस गुलाम देश पर नियन्त्रण रख सकें। आज उसी ढांचे के ऊपर हमारी यह शिक्षा चली जा रही है। उसका परिणाम यह है कि लक्ष्य हमारा कुछ है और हमारी कार्य-प्रणाली कुछ है और उसका परिणाम कुछ निकल रहा है। मैं कुछ मौलिक बातों का ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। क्या यह सच नहीं कि हमारी अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है? रोज शिकायत आती है, कभी इस स्कूल से, कभी उस कालेज से, कभी उस यूनिवर्सिटीज से। हालांकि मैं उस पक्ष के मानने वाला नहीं हूं जैसा कि हमारे एक कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा कि बनारस यूनिवर्सिटी में पी० ए० सी० भेजनी पड़ी। वहां जो परिस्थिति थी उसमें पी० ए० सी० भेजना आवश्यक था। लेकिन यह कहां तक उपयुक्त है कि जब हम समाजवादी शासन का दावा करते हैं तो स्थिति यहां तक बिगड़ती चली जाय कि आज यूनिवर्सिटी के अन्दर पी० ए० सी० भेजने की आवश्यकता पड़े?

दूसरी बात यह कि ऐसी शिक्षा से हमको क्या फायदा जिससे देश के अन्दर बेकारी बढ़ती चली जा रही हो। दूसरी दृष्टि से बेकारी इसलिये बढ़ रही है कि लोग चाहते हैं टेक्नीकी शिक्षा और आप टेक्निकल शिक्षा दे नहीं सकते। लोग तो बी० ए०, एम० ए०, करने के बाद एल०डी०सी०, यू० डी०सी, पी० सी०एस० और आई० ए० एस० के कम्पिटीशन में बैठने की फिक्र में रहते हैं और चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी कम्पिटीशन में आकर जीविकोपार्जन कर सकें। दूसरी तरफ बेकारी इस दृष्टि से भी है कि यहां के लोगों में यह

भावना फैलती जा रही है कि चाहे कोई गांव का रहने वाला ही क्यों न हो जब वह शहर में शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह नहीं चाहता कि कभी भी ग्राम में जाकर अपने उन ग्रामीण रिश्तेदारों का या अपने उस समाज को किसी तरह का फायदा पहुंचा सके। उदाहरण के लिये जब गांवों के अस्पतालों में डाक्टरों की आवश्यकता होती है तो बिरले ही वहां जाना पसन्द करते हैं।

इसी प्रकार से शिक्षा के अन्दर जो अध्यापक शहर में रह चुका होता है वह नहीं चाहता है कि गांवों में जाकर अपना जीवनयापन करे। इसका कारण यह है कि गांव में रहने के बाद वह शहर में इस तरह के वातावरण में पाला गया है कि उसके लिये यह बिलकुल असम्भव है कि वह गांव में जाकर अपना जीवनयापन करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह शिक्षा होनी चाहिये कि जिससे हमारे ग्रामीण भाई जिनकी हमारे देश में ८० प्रतिशत से अधिक आबादी है, वे फायदा उठा सकें। इसका उल्टा यह होता है कि वह ग्रामीण जो पहले गांव में रहता था, कुछ दिन शहर में रह कर उसका प्रेम गांव में नहीं रहता है।

इसके साथ ही साथ जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं भी कहना चाहता हूं कि जहां शिक्षा में यह बात आ रही है वहां कम्यूनलिज्म की बात भी आ रही है। आजकल हमारे यहां के लोगों में, और विशेषकर विद्यार्थियों में कम्यूनलिज्म की भावना बढ़ती चली जा रही है। पिछले एलेक्शन के समय, जीवन के अन्य कार्यकलापों में और नौकरी देने में अधिकारियों में यह भावना नजर आती है।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे यहां प्रौढ़ शिक्षा में बहुत कम उन्नति हुई है। इसके सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है कि जो हमारे बच्चों से बड़े हैं उनकी शिक्षा के लिये भी कुछ हो। वास्तव में बागडोर उनके ही हाथों में है और ये हमारे जीवन में इस तरह से छाये हुये हैं कि बच्चों को ये कोई स्थान नहीं देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि होनहार बच्चों के लिये एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान पिछड़े वर्ग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसको कभी हरिजन कहा जाता है, कभी अछूत कहा जाता है, उसके लिये इनकी पुस्तिका में एक वाक्य भी नहीं कहा गया है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है वहां पर हरिजनों के लिये अध्यापक वर्ग में रिजर्वेशन निल है और यह कहा जाता है कि कहीं हरिजन अध्यापक न हो जाय, गुरू न हो जाय। यही नहीं, अन्य विभागों में भी नौकरियों में इनके लिये एक प्रतिशत भी स्थान नहीं मिलते हैं। जो रिपोर्ट है उससे पता चलेगा कि इनका रिजर्वेशन बिलकुल नहीं हुआ है। ऐडमीशन्स में जहां आपने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन की बात रखी है वहां पर मेडिकल कालेज में उनके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। सैनिक स्कूल वगैरा की बात तो अलग है टेक्नीकल संस्थाओं में भी नहीं है। यदि है तो केवल पेपर में है और उसे कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इन विचारों को वे गम्भीरता से सोचें क्योंकि शिक्षा के ऊपर ही किसी देश के उत्थान और पतन की बात निर्भर होती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बान्दा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि बहुत देर उठने बैठने के बाद आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आपके सामने हमारे भाइयों ने बहुत से सुझाव रखे हैं और यह निर्विवाद है कि मनुष्य के विकास के लिये शिक्षा का होना अनिवार्य है। जहां शिक्षा नहीं है वहां जीवन में अन्धकार है और इस अन्धकार को दूर करने के लिये शिक्षा रूपी दीपशिखा की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मन्त्री जी ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया।

[श्रीमती सियादुलारी]

चूंकि मानव को शिक्षित बनाने वाली पहली गुरू कोई है तो वह मां हो सकती है। माता जब तक शिक्षित नहीं उस समय तक आप शिक्षा में कितना ही परिवर्तन कर दीजिये, बच्चे कभी भी योग्य शिक्षित नहीं हो सकते। यह हमारे देश की ही परम्परा नहीं बल्कि विदेशों में भी यह बात सर्वमान्य है और इसलिये हमारी सरकार ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया है और इस अनुदान में उनके लिये ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है।

हमारे कुछ भाइयों ने सरकार के ऊपर दोषारोपण किया कि शिक्षा पद्धति की खराबी के कारण महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज का ढांचा इस प्रकार का बन गया है कि जब तक उसमें आमूल परिवर्तन न हों केवल शिक्षा में परिवर्तन करने से कोई लाभ न होगा, क्योंकि अगर बुराइयां कहीं हैं तो वह समाज से ही पैदा हुई हैं, समाज के बाहर कहीं हैं, तो वह समाज से ही पैदा हुई हैं, समाज के बाहर से नहीं। कहा जाता है कि कालेजेज में आज अनुशासनहीनता है। यह अनुशासनहीनता कहां से आई? हमारे भाई जरा स्कूल के बच्चों पर अनुशासनहीनता का दोषारोपण करते हुये अपनेआप को देखें कि हम में कितनी अनुशासनहीनता है? जब हम लोग अनुशासनहीनता बरतते हैं तो यह कैसे उम्मीद करते हैं कि स्कूल के बच्चे या बच्चियां अनुशासन में रहेंगे। आगे चलने वालों को रास्ता साफ करना पड़ता है। कांटों के रास्तों से जब हम नहीं चलेंगे तो हमारे पीछे चलने वाली पीढ़ी कैसे चल सकती है? इसलिये यह आवश्यक है कि पहले हम सभी लोग अनुशासन को मानें और वह रास्ता बनायें जिससे कि हमारे पीछे चलने वाली पीढ़ी हमारा अनुगमन कर सके।

माननीय मन्त्री जी से मेरा यह नम्र निवेदन है कि जहां पर प्राइमरी स्कूलों की संख्या वह बढ़ा रहे हैं वहां पर यह भी आवश्यक है कि उनकी जीर्णशीर्ण दशा के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। आपके स्कूलों की संख्या बढ़ी है और स्कूलों के साथ-साथ आपके शिक्षक भी बढ़ रहे हैं। लेकिन महिलाओं के स्कूलों के लिये आज भी महिला अध्यापिकाओं की कमी है। इसके लिये आपने ट्रेंड अध्यापिकाओं को १५ रुपये और अनट्रेंड को १० रुपये एलाउन्स की व्यवस्थाकी है। उनके लिये आपने आवास की भी सुविधा दी है। लेकिन यह सुविधायें भी अभी बहुत कम हैं और ज्यादा से ज्यादा सुविधायें उनको देने की कृपा की जाय। क्योंकि जो महिला देहात में जायगी उसके साथ उसका छोटा-सा परिवार भी होगा और सामाजिक बन्धनों के साथ-साथ आज गांवों की जैसी स्थिति है उसका सामना भी उसे स्वयं करना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी उसके लिये यह जरूरी है कि उसको कुछ ज्यादा वेतन मिले या उसके रहने के लिये कुछ ज्यादा सुविधायें दी जायं जिससे कि महिलायें बच्चों की शिक्षा में भाग ले सकें। मेरा यह नम्र निवेदन है कि अब जो प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं उनमें लड़के और लड़कियों का डिवीजन न करके मिक्स्ड स्कूल खोले जांय और उनमें महिला टीचर्स ही अधिक संख्या में रखी जांय। हालांकि इस स्थिति में महिला अध्यापिकाओं के सामने बहुत कठिनाई है और उनकी पूर्ति करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि जल्दी से जल्दी इस कमी को दूर किया जाय।

हायर सेकेंडरी स्कूलों के सम्बन्ध में मेरा माननीय मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन है कि कुछ स्कूल सरकार की ओर से चलाये जाते हैं और कुछ प्राइवेट मैनेजमेंट की ओर से चलते हैं। यह देखा जा सकता है, इसके भी दो पहलू हैं, जहां मैनेजमेंट की अच्छाइयां कही जाती हैं वहां मैनेजमेंट की बुराइयां भी हैं और माननीय मन्त्री जी के सामने मैं इतना ही कहूंगी कि मैनेजमेंट से इतना तक होता है कि लेडी टीचर्स को पे कुछ दी जाती है और उनसे लिखाया कुछ जाता है। इतना ही नहीं होता, जिस दिन वेतन उन्हें दिया जाता है उनसे कहा जाता है कि मैनेजर को या उनकी वाइफ को मिठाई खिलाइये या सिनेमा दिखाइये। तो यह आवश्यक है कि लेडी अध्यापिका हों या अध्यापक हों उनके साथ मैनेजमेंट जो यह ज्यादती करता है, उसे रोका जाय।

माननीय मन्त्री जी से मेरा यह नम्र निवेदन है कि जहां तक टेक्निकल एजूकेशन या डिग्री कालेज हैं वह तो अपनी जगह पर चल ही रहे हैं और वह चलते रहेंगे क्योंकि जिस तरह से हमने प्रगति की और हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे देश की प्रगति हो रही है उसमें यह स्वाभाविक है कि हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और खुशी की बात है कि अधिक से अधिक लड़के और लड़कियां आज डिग्री कालेजों में ऐडमिशन के लिये पहुंचती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिये पहुंचती हैं। इस कमी को दूर करने के लिये हमारे माननीय मन्त्री जी ने तीन विश्वविद्यालय खोले हैं। एक रुद्रपुर में एग्रीकल्चर के लिये खोला गया है यह एक नया विश्वविद्यालय है । एक बनारस में अपनी संस्कृत शिक्षा और प्राचीन गौरव को पुनः कायम रखने के लिये खोला गया है। तीसरा रामपुर में विज्ञान की ओर कदम बढ़ाने के लिये खोला गया है। आज के युग में यह कहना कि हम केवल अपनी प्राचीन शिक्षा को लेकर ही चल सकते हैं और पाश्चात्य शिक्षा को लेकर न चलें तो यह असम्भव है। यह आवश्यक है कि हम प्राचीन और नवीन दोनों का सामंजस्य करके और उसके बीच को लेकर चलें तो ज्यादा प्रगति कर सकते हैं।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालय की ओर दिलाना चाहती हूं कि नये डिग्री कालेजों को उनके शिशुकाल में अधिक सहायता देने की अधिक आवश्यकता होती है। सरकार उनको तीन साल तक कोई सहायता नहीं देती है। जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो यह सरकार उनको सहायता देती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह अच्छा होता कि जिस वक्त वह बाल्यकाल में है और उनके चलने का कोई साधन नहीं है, वे धनहीन हैं उनको सहायता देने की परम आवश्यकता है और यह सरकार समझती है कि पिछड़े इलाके में मुश्किल से एक ही कालेज खुल सकता है। और ऐसे स्थानों के डिग्री कालेज के लिये सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पिछड़े इलाके में डिग्री कालेज का खुलना बहुत ही कठिन होता है। बांदा जिले में अतर्रा हिन्दू डिग्री कालेज की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो रही है । धनाभाव के कारण कालेज नहीं चल रहा है। इस इलाके के लिये उस कालेज की बहुत आवश्यकता है क्योंकि उस इलाके में कोई भी डिग्री कालेज नहीं है और न आगे ही कोई कालेज खुलने की आशा है और न विशेष सम्भावना है । यह इलाका बहुत गरीब है और बहुत पिछड़ा हुआ है। उनके पास धन नहीं है । उनकी कठिनाइयों को दूर करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिये उनके लिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि माननीय मन्त्री जी कुछ सहायता दें।

एक बात और कहना चाहती हूं। पर्वतीय इलाके में जहां पर हमारी महिला निरीक्षिका रहती हैं उनके आने जाने में बहुत असुविधा होती है । मैंने अपने जिले में यह चीज देखी है कि यह जो हमारी असिस्टेंट इंसपेक्टर हैं वह बेचारी पहाड़ी इलाके में, जहां पर ८, ८ मील तक गांव नहीं मिलते हैं, वहां पर पैदल चलने में असमर्थ हैं। वहां पर कोई आने-जाने का साधन नहीं है । इसलिये यह उचित है कि ऐसे पहाड़ी प्रदेश में जहां पर दुर्गम रास्ते हैं, उनमें जाने के लिये ऐसी निरीक्षिकाओं के लिये एजूकेशन विभाग की तरफ से जीप दी जाय क्योंकि प्लानिंग विभाग के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। शिक्षा का स्थान भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है तो इसके लिये व्यवस्था होना जरूरी है। वहां पर आने जाने की सुविधा होना जरूरी है। कहा जाता है कि इतने स्कूल खुल गये हैं लेकिन जब तक उनके निरीक्षण का प्रबन्ध ठीक रूप से नहीं होता तब तक ठीक से काम नहीं कर सकते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस शिक्षा प्रणाली की प्रमुख प्रगति की ओर दिलाना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि वे माननीय मुख्य मन्त्री के शिक्षालय के विद्यार्थी माननीय बृजबिहारी मिश्र के सुझाव की ओर न जायं क्योंकि वह पीछे की ओर ले जाने वाला है। अब देश धार्मिक अन्धविश्वास

[श्री दीपनारायणसिंह]

के ऊपर उठ चुका है। धर्म की शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा के नाम पर अधर्म और अ-संस्कृति की शिक्षा ही हुआ करती है। मैं आपके सामने इस सदन के ध्यान को प्रगति के युग में निम्न बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले बहुत से ही यही बात कही जाती आ रही है कि "उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत", उठो, जागो और श्रेष्ठत्व प्राप्त करो। यह हमेशा से कहा गया है। आज गांव से लेकर शहरों तक शिक्षा के द्वारा जो प्रगति हो रही है वह नकारात्मक है। आप तो एक विद्यार्थी के ऊपर इतना बोझा डाल रहे हैं कि वह जैक आफ आल और मास्टर आफ नन हो रहा है। मैंने देखा कि नये-नये विषय जोड़ दिये गये हैं, २०, २५ विषय छोटे बच्चों के लिये हैं। जरा सोचिये कि ६, ७, ८ साल के बच्चे के लिये आपको कितने विषय रखने चाहिये। आप उस पर कितना भार डाल सकते हैं। आप उनके लिये कम विषय रखें और उनकी मानसिक प्रवृति का अध्ययन कर के उनको आगे बढ़ायें। अगर अध्यापकगण बच्चों की मानसिक प्रवृति को पहचान न सकेंगे तो आप के विभाग की तरक्की कभी नहीं हो सकती। जैसे यहां आपने भारी भरकम मन्त्रिमण्डल बना दिया है वैसे ही आप कम शिक्षित अथवा अशिक्षित बहुत से व्यक्तियों को टीचर के पदों पर बैठा कर अपना काम चलाना चाहते हैं।

इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि गांव के स्कूलों में बड़ा घपला है। बहुत से प्राइवेट लोगों ने उनको अपनी कमाई के लिये खोल रखा है। मेरे जिले फतेहपुर में ही एक भूतपूर्व एम० एल० सी० साहब हैं, उनके स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं है लेकिन वह हर साल यहां से रुपया ले जाते हैं और उस पर कोई व्यय नहीं होता। ऐसे लोगों की जांच करके उस रकम को बचाया जाय और उसे सही तौर पर शिक्षा पर लगाया जाना चाहिये। मैं आप का बजट कम नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि समाजवादी बजट वही होता है जिसमें शिक्षा के लिये सब से ज्यादा रुपया दिया जाय, लेकिन आप उसका सही उपयोग करें।

मेरे एक लायक दोस्त ने कहा कि जो स्कूल जातियों के नाम पर हैं उनको बन्द कर दिया जाना चाहिये। अगर आप ऐसा करने जायेंगे तो आपके ३/४ स्कूल बन्द हो जायंगे क्योंकि आपने अपने स्कूल चलाये नहीं। केरल में सारा झगड़ा इसी बात का था। हां, यदि उन स्कूलों में हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि के नाम पर पक्षपात किया जाता हो तो आप उनको अवश्य बन्द कर दें। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ही संविधान की धाराओं का पालन किया है? आज आपके बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो गांव के स्कूलों में चमार और भंगी के लड़कों को दूसरे लड़कों के साथ नहीं बैठने देते, उनको एक साथ पानी नहीं पीने देते। लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आप ऊंच-नीच, छुआ–छूत को कायम रख रहे हैं। आपकी शिक्षा अधूरी है, दिखाने की चीज है, जैसे आपका नाम। यह कहना कि धर्म की शिक्षा दी जाय, वहां वेद पढ़ाये जायं, उससे हम स्वर्ग पहुंच जायंगे, आज कल लोग पसन्द नहीं करेंगे और मैं इस बात का कतई विरोधी हूं। जैसे आपने कहा कि उच्छृंखलता बढ़ रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि उच्छृंखला शब्द संसदीय है, वैसा ही हम अनुकरण करेंगे और उसी ओर बढ़ेंगे। प्रदेश के ५४ जिलों के लिये यह शब्द आदर्श रूप में आज काम कर रहा है और हमारे सब से बड़े शिक्षक, अध्यक्ष महोदय के रूप में यहां बैठते हैं। वे जब अपने मुख से कहें कि उच्छृंखल शब्द संसदीय है तो गांव के अध्यापक किसे अपना आदर्श बनावेंगे? अपनी चीजों को हमें ही कन्ट्रोल करना चाहिये। मैं जानता हूं कि बहिन के नाम पर आज क्या-क्या किया जाता है। भाई बहन का रिश्ता दिखाने का होता है और उसकी आड़ में क्या नहीं किया जाता? इसलिये इस धर्म और संस्कृति की आड़ में जो व्यभिचार और कुकर्म होता है उसे बन्द करने की जरूरत है। हमें समाज में अपनी सही शक्ल में आना चाहिये। हमारा भीतर और बाहर एक होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपने स्पीकर साहब की रूलिंग के प्रति आक्षेप किया है।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं सही कह रहा हूं। जब से 'उच्छृंखल' शब्द संसदीय हो गया है तब से बराबर शिक्षा की प्रवृत्तियां उच्छृंखलता की ओर बढ़ रही हैं। इसलिये मैं इस बात को उदाहरण स्वरूप, जो इस चेयर की ओर से प्रस्तुत किया गया है, सामने रखता हूं और ऐसा कहने के लिये विवश हुआ हूं। जैसी आप हमें शिक्षा देंगे हम वैसा ही करेंगे और जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे।

जहां तक माननीय शिक्षा मंत्री की विद्वता का प्रश्न है, उनकी ईमानदारी का प्रश्न है, हम उसके पूर्णतया कायल हैं। आप हमारे जिले में भी गये थे और वहां पर आप एक डिग्री कालेज भी खोल आये हैं। लेकिन हमारे यहां विज्ञान की शिक्षा केवल इन्टर कालेज, फतेहपुर, में ही दी जाती है। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप और इंटर कालेजों व स्कूलों में भी विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध कराने की कृपा करें। मेरे जिले में उनका जो स्ट्रक्चर है वह भी बहुत नीचे गिरा हुआ है और उसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी दलबन्दी से जो नये कलाकार आपके यहां पैदा हो गये हैं उससे भी बड़ा असन्तोष पैदा हो गया है। जो आपके मैनेजर हैं उनके स्कूलों का तो अच्छा काम दिखाया जाता है, वे स्कूल चलते हैं, मगर जहां आपके कलाकार नेता नहीं होते, वे स्कूल ठप्प हो जाते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि आप निष्पक्ष भाव से उनको देखा करें और कार्य किया करें।

बैकवर्ड क्लास के लिये कुछ ग्रान्ट आदि देने की व्यवस्था रखी गयी है। यहां कई बार यह कहा गया कि आप उसे जाति के रूप में नहीं, आर्थिक दशा देख कर दिया करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या एक गरीब ब्राह्मण एक अमीर भंगी को नीच नहीं समझता? आखिर क्यों उसमें यह अहम् पैदा हो गया है? आपको इस प्रश्न पर विचार करना होगा। संविधान के अनुच्छेद ३४० के अन्दर भी यह आता है। आपको इसे देखना होगा। जब तक हमारे इस सामाजिक स्तर में एकता व समता नहीं आती तब तक सही मानी में समाज की स्थिति ऊंची नहीं हो सकती। आप टैक्नीकल एजूकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस विवाद में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस अनुदान पर अब तक जो भाषण हुये उनको सुनने का मुझे अवसर मिला। जहां बहुत से माननीय सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया, कुछ ने किसी तरह का सुझाव दिया, वहां इस बात का भी जिक्र होना चाहिये था कि हमने शिक्षा की दिशा में अब तक क्या क्या प्रगति की है। मैं समझता था कि हमारे माननीय विरोधी भाई उसका भी कुछ जिक्र करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे देश में शिक्षा की जो स्थिति थी वह मान्यवर, किसी से छिपी नहीं है। हमारे गांव में पहले ६–६, ७–७ मील तक कोई प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी। उच्च स्तरीय शिक्षा तो केवल बहुत ही सम्पन्न व्यक्ति प्राप्त कर पाते थे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि आज कोई ऐसा स्थान प्रारम्भिक शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं जहां दो मील से अधिक बालकों को जाना पड़ता हो। ६–७–८ मील की दूरी पर मैं समझता हूं जूनियर हाई स्कूल जरूर हो गये हैं और जहां तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सम्बन्ध है, इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे स्थान हैं जहां माध्यमिक शिक्षा का और उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हो पाया है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस शिक्षा की दिशा में प्रगति की है वह बधाई के पात्र हैं। पिछले सालों में, जहां तक अध्यापकों के वेतन का सवाल है, सरकार ने ध्यान दिया। लेक्चरर के ग्रेड का सुधार किया गया। प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन में भी सुधार हुआ, लेकिन जहां तक उनको वेतन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुरसिंह]

मिलता है वह बहुत कम है, उसमें वह गुजर नहीं कर पाते और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, वह दूसरे कामों में अपने समय को लगाने पर मजबूर हो जाता है और बालकों की तरफ से उसका दिमाग हट जाता है।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा ३ प्रकार की है—प्रारम्भिक, मध्य और उच्च शिक्षा। प्रारम्भिक शिक्षा का आज हमारे यहां प्रसार हो गया और हर प्रारम्भिक पाठशाला के लिए ढाई हजार का अनुदान दिया जाता है। लेकिन मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि जो पाठशालाओं की हालत गांव में है उसे देख कर डर होता है। जब एक बूंद पानी पड़ता है या धूप होती है तो जहां पेड़ नहीं है वहां छात्रों के लिए कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह किसी के मकान में चले जाते हैं और वहीं वक्त काटते हैं और सारा समय बीत जाता है। इस तरह से जब लगातार वर्षा होती है तो महीनों तक प्रारम्भिक पाठशालाएं बन्द हो जाती हैं और कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। प्रदेश की हालत तो मैं निवेदन नहीं कर सकता, लेकिन अपने जिले की प्रारम्भिक पाठशालाएं या जूनियर हाई स्कूल जिनका सम्बन्ध सीधा परिषद् से है उनके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर कोई शिक्षित देश होता तो आज समाज के अगुआ कहे जाने वाले लोगों को बोलने का अधिकार भी समाज में नहीं मिलता। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब कभी गांव में जाने का अवसर मिलता है तो अध्यापक कहते हैं, "आइये बैठिये!" लेकिन बैठने के लिए न उनके पास मेज है, न कुर्सी है, एक टूटी-फूटी चारपाई जो गांव वालों से मांग कर ले आते हैं उसी पर दिन भर बैठे रहते हैं और जो हो सकता है वह पाठशाला की सेवा करते हैं। जहां तक छात्रों के पढ़ाने का सम्बन्ध है उनके पास तख्तास्याह तक नहीं है, खड़िया मिट्टी नहीं है, कोई साधन—नक्शा तक नहीं है। तो मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है। वहां पर जाइये, लिख कर भेज दीजिये कि जिला परिषद् प्रबन्ध करे, तो वहां कोई देखने वाला नहीं है। जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, यहां से बार बार शिक्षा अधिकारी प्रयत्न करते हैं, लेकिन जहां तक परिषद् का सम्बन्ध है ग्राम स्तर पर हमारे गांव की इकाई बिलकुल उपेक्षित रह जाती है और कोई सेवा नहीं कर पाती।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं जहां तक उन्होंने माताओं को मुकर्रर किया है प्रारम्भिक पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए, यह बहुत अच्छा काम है और छोटे-छोटे विद्यार्थियों की उनके द्वारा अच्छी देखरेख हो सकेगी।

अब मैं जूनियर हाई स्कूल की तरफ आता हूं। पिछले बजट में २ लाख रुपया कक्षा ६ की फीस माफ करने में लगा था। उस समय की सरकार कांग्रेसी सरकार थी और आज भी है। उस समय की सरकार ने कहा था कि हम आने वाले वर्षों में कक्षा ७ और ८ की फीस की माफी देंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि वह चीज अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी जो कि पिछली सरकार ने कही थी और कक्षा ७—८ की फीस आज तक नहीं माफ हो सकी जिससे गरीब विद्यार्थी आगे को नहीं पढ़ पाते हैं। जो शिक्षा की प्रगति की पुस्तिका है उसके पेज ३ पर दिया हुआ है कि जूनियर हाई स्कूल बनाने के लिये एक हजार रुपया सरकार देगी और १,५०० रुपया ब्लाक के द्वारा दिया जायगा और ५०० रुपया स्थानीय लगाया जायगा। मैं समझता हूं कि ढाई-तीन हजार रुपया देकर मखौल करना होगा। इसके लिये सरकार को बधाई दी जाती है लेकिन मैं समझता हूं इस रुपये में किसी भी जूनियर हाई स्कूल का निर्माण नहीं हो सकता। इस ओर सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। जूनियर हाई स्कूल में दो-तीन सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक कमरा और एक बरामदा, जैसा कि आपका नक्शा है उसमें इतने विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते हैं।

अब मैं अपने जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने सन् ३९ में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उस समय हमारे यहां केवल दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे और आज ३३ हैं। उनमें से ११ को सरकार की ओर से अनुदान मिलता है। बहुत से उच्चतर

माध्यमिक विद्यालय हैं जहां सरकार द्वारा प्रारम्भिक अनुदान नहीं मिल सका है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दुर्गौलिया और हरैया नेशनल इन्टर कालेज, वाल्मीकि महिला विद्यालय, बस्ती का महाजन स्कूल, इनकी ओर दिलाना चाहता हूं। शिक्षा प्रगति, जो पुस्तिका बटी है उसमें मैं समझ नहीं सका, मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उसमें खेलों के मैदान खरीदने के लिये कुछ पया इस बजट में रखने की चर्चा है। मैं जानता चाहूंगा कि क्या वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये ही है या सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान देने का प्रयास किया जायगा।

भवन निर्माण के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह बहुत अच्छा है लेकिन प्रदेश के कुल १०३ स्कूलों को यह अनुदान दिया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाय। प्रदेश में खास तौर से हमारा बस्ती जिला बहुत ही पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। वहां की तहसील हरैया ऐसी तहसील है जहां कि बहुत प्रयास करने के बाद पिछले दिनों में केवल दो स्कूलों को ही हम अनुदान दिला पाये। भवन निर्माण के हेतु कितनी ही बार कहा गया, लेकिन हरैया नेशनल इन्टर कालेज को सन् ५० से तहसील की सेवा कर रहा है उसको अनुदान नहीं मिल सका। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले के हरैया इन्टर कालेज को अनुदान देने की कृपा करें।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे सब सहमत हैं लेकिन शिक्षा हमें किस दिशा की ओर ले जा रही है। अगर हम इस पर विचार करें तो हमें अन्धकार ही दिखाई देगा। हम देश का औद्योगीकरण चाहते हैं, अपने राज्य का औद्योगीकरण चाहते हैं लेकिन हम शिक्षा में उसके अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं जिससे औद्योगीकरण की बात भी बेकार हो जायगी। शिक्षा में हमें अपनी औद्योगीकरण नीति के अनुरूप परिवर्तन लाना चाहिये। अब मैं आपका ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ले जाना चाहूंगा। आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की दशा यह है कि स्कूल खुल जाते हैं लेकिन बच्चों का अभाव रहता है। इमारत नहीं होती है, बैठने का स्थान नहीं होता है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद् के अन्तर्गत होती है। अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। दो-दो, तीन-तीन महीने का वेतन बाकी रहता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वह बच्चों को पढ़ाया करें। ऐसी दशा में बच्चों की शिक्षा उचित रूप से नहीं हो पाती है।

श्रीमन्, जो जूनियर स्कूल हैं वे भी अन्तरिम जिला परिषदों के अन्तर्गत खोले जाते हैं। उनकी औद्योगिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्कूल जो आपने बुनियादी शिक्षा के चालू किये हैं उनमें सूत कातने की शिक्षा दी जाती है लेकिन जूनियर स्कूल में वह नहीं बताया जाता। यह शिक्षा बन्द कर दी जाती है। इस प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं में दी गयी शिक्षा बेकार हो जाती है। अगर उसको जूनियर हाई स्कूल में चालू नहीं रखते तो हमारे बच्चों का उसमें लगा हुआ समय नष्ट हो जाता है और वे राज्य के उपयोगी अंग साबित नहीं हो पायेंगे।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा की ओर आता हूं। इसमें प्रसार और शिल्प अध्यापकों की ओर खास तौर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रसार और शिल्प अध्यापक ३ हजार हैं। ये लोग १९५४ से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक वे एक्स केडर ही चल रहे हैं। उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि वे किसी सार्वजनिक परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते हैं। उनकी वार्षिक वृद्धि की हालत यह है कि जब तक निरीक्षण अधिकारी न लिखे तब तक उनको वार्षिक वृद्धि नहीं मिलती है। ८ वर्षों से उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। यदि आप उनकी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो उनको इस एक्स-केडर से हटा कर शिक्षा विभाग के और कर्मचारियों की भांति ही सुविधा दें। इसके साथ ही साथ उनका विकास का मार्ग प्रशस्त करें जिससे वे दत्तचित्त होकर पढ़ाई कर सकें।

अब मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय दीक्षा विद्यालय की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर बड़ी भारी अव्यवस्था है, कुनबापरस्ती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

[श्री मिरजाप्रसाद]

बख्शी के तालाब के पास सीतापुर रोड पर जो लखनऊ के नजदीक है ६० हजार का एक फार्म खरीदा गया है। वहां पर ३ लाख रुपया खर्च करके एक मामूली स्कूल की बिल्डिंग तैयार की गयी है। वहां पर आज तक २ चौकीदार रहते हैं और कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने वहां नहीं गया। उसका कारण क्या है? सिसेंडी में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं, जिनका एक मकान है, वह ६०० रुपया माहवार पर लिया हुआ है। वह इमारत चूती है लेकिन फिर भी नार्मल स्कूल वहां से नहीं हटाया गया है और बख्शी के तालाब नहीं ले जाया जा रहा है। एक ओर तो विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अनुशासन में रहें लेकिन हमारे पदाधिकारी और जिम्मेदार लोग जब ऐसा काम करते हैं तो उनसे किस प्रकार ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

श्रीमन्, हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि न हम अध्यापकों की ओर ध्यान देते हैं, न गरीब किसान के बच्चों की ओर ध्यान देते हैं। बाढ़ आती है, फीस माफ होती है, फिर आठ आठ महीने बाद उनसे फीस वसूल की जाती है। ऐसी हालत में उनके गार्जियन परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। उनकी पढ़ाई तो अलग रखी रह जाती है, फीस की चिन्ता में लोग इधर उधर घूमते हैं।

एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं गोंडा जिले के करनैलगंज व बर्फपुर के ५३ विद्यार्थियों की जो बाढ़ ग्रस्त इलाके के थे और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनकी फीस आठ महीने तक रुकी रही और अब उनसे फीस मांगी गयी है जिससे वे बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं।

इसी तरह से महिलाओं की उन्नति की बात हम करते हैं, स्कूल्स भी खोलते जाते हैं लेकिन आज व्यवस्था यह है कि उनके वेतन देने में भी जिला परिषदें लापरवाही करती हैं। ऐसी अवस्था में जहां सही व्यवस्था न हो, जहां पक्षपात व भ्रष्टाचार हो, वहां यह उम्मीद की जाय कि शिक्षा सही तरीके से चल सके, यह कैसे सम्भव हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त।

(श्री रघुवीर सहाय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—श्रीमन्, विरोधी दल के दो दो आदमी बोल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के सदस्य उससे महरूम रह जाते हैं तो, आप हम लोगों पर भी कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—४३० सदस्य एक दिन में नहीं बोल सकते हैं, इसलिये जिन माननीय सदस्य का नाम मैंने लिया है, वे बोलें।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि हम लोगों की तरफ से एक सदस्य बोलते हैं और उधर के दो-दो सदस्य बोल जाते हैं, इसलिये इसकी व्यवस्था आप करें कि हम लोगों को भी बोलने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

श्री रघुवीरसहाय (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, सिफारिश कराने और अनेक बार उठक बैठक लगाने एवं लिखित अनुमति मांगने के बाद आपने मुझे यह सर्वप्रथम अवसर इस माननीय सदन के समक्ष अपने विचार रखने का दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। श्रीमन्, शिक्षा देश की प्रगति के लिये एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस देश की शिक्षा सामान्य व उच्चतम होती है, वह देश संसार में सब से अधिक प्रगतिशील देश माना जाता है। आज विदेश, वहां की उच्चतम शिक्षा के कारण ही इतने उच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। हमारे देश की शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति संसार में उच्चतम व बड़ी महत्वपूर्ण रही है। परन्तु आजादी के बाद इन पन्द्रह सालों की कांग्रेसी हुकूमत में इस शिक्षा का स्तर,

बावजूद इसके कि सरकार ने बड़ी बड़ी विशाल योजनायें बनायीं, असंख्य धन उस पर खर्च किया किन्तु वह पतन की ओर ही गया और दिन ब दिन पतन की ओर जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश का पवित्र शिक्षा विभाग जातिवाद, कुनवा परवरी और सामन्तवाद का अखाड़ा बना हुआ है। और ऐसे अवसर पर जब कि शिक्षा का स्तर इतना धन खर्च करने के बाद और इतनी विशाल योजना चलाने के बाद भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है उसकी अब इस समय क्या प्रगति हो सकती है जब कि इस समय जातिवाद व पक्षपात के उपासक हमारे डायरेक्टर महोदय [×××] और वर्तमान शिक्षा सेक्रेटरी जो कि सामान्य विभाग में जातिवादी वृक्ष खड़ा करने के बाद शिक्षा विभाग का संचालन कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री अजीज इमाम)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी वक्ता महोदय ने सदन में एक ऐसे अफसर का नाम लिया कि जो असेम्बली में आकर अपनी सफाई नहीं दे सकते। हमारे भूतपूर्व अध्यक्षों की ऐसी व्यवस्था रही है कि किसी भी ऐसे आदमी के विषय में जो यहां आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता उसका नाम लेकर चर्चा नहीं की जा सकती। आज सुबह से इस तरह का यह दूसरा मौका है, उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव को पेश किया था उन्होंने शिक्षा विभाग के एक अफसर श्री चक का नाम लिया था और अब वह दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोई व्यवस्था दें कि क्या कोई अफसर जो यहां नहीं आ सकते उनका नाम लिया जा सकता है और उनके बारे में ऐसी वार्ता की जा सकती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को यह ध्यान देना चाहिये कि जो साहब असेम्बली हाल में नहीं आ सकते और यहां आकर अपनी सफाई नहीं दे सकते, उनकी व्यक्तिगत बातों को कहने के लिये नाम नहीं लेना चाहिये और आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री अजीज इमाम—श्रीमन्, अब सवाल यह है कि सुबह जो सोशलिस्ट पार्टी के वक्ता ने एक चक साहब का नाम लिया था क्या उसको प्रोसीडिंग से काट दिया जायगा या उनका नाम निकाल दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न आपने उस समय नहीं उठाया था, अभी जिनके बारे में उठाया था वह तो काट ही दिया जायगा।

श्री अजीज इमाम—तो श्रीमन्, मेरा प्रिविलेज मोशन लाने का नोटिस मंजूर किया जाय, मैं कल इस प्रश्न को उठाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने तो व्यवस्था दे दी कि यहां जो अफसर आकर अपनी सफाई नहीं दे सकते उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिये और जिन महानुभाव का अभी नाम लिया गया वह तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा बाकी कल जब आप प्रश्न उठायेंगे....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मिस्टर चक के पब्लिक कन्डक्ट के बारे में तो [×××] उन्होंने कुछ कहा नहीं है, उन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी है जब वह प्रश्न सदन के सामने आयेगा तो सदन निर्णय देगा ही।

श्री रघुवीरसहाय—मैं किसी अफसर का नाम लेने के लिये लालायित नहीं था, मेरा आशय यह था कि शिक्षा विभाग जिन उच्च अफसरों की छत्रछाया में चल रहा है वे ऊपर के लोग स्वयं इतने विकसित भ्रष्टाचार और जातिवाद आदि को जानते हुए भी उस पर पर्दा डालते हैं इस कारण उनके द्वारा निरंकुश बनाये गये उनके नीचे काम करने वाले मातहत अधिकारी व कर्मचारी इस वातावरण में किस प्रकार शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। मैं आपके

[×××] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री रघुवीरसहाय]

द्वारा माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को निरंकुश बनाने के कारण ही आज शिक्षा विभाग इतनी लम्बी रकम खर्च करने के बावजूद भी अवनति की ओर जा रहा है और अगर यह निरंकुशता, घोर जातिवादिता, भ्रष्टाचार और पक्षपात शिक्षा जैसे पवित्र विभाग से खत्म नहीं किया गया तो न केवल सारी योजना निष्फल हो जायगी वरन् उत्पन्न वर्ग संघर्ष को प्रज्ज्वलित कर देगी।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मेरा समय तो व्यवस्था के प्रश्न में ही निकल गया, मुझे ५ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष— वह समय तो आप का काट दिया है।

श्री रघुवीरसहाय— मेरा तो सारा समय व्यवस्था के प्रश्नों में ही निकल गया है।

श्री उपाध्यक्ष—वह टाइम आपको दे दिया गया है, आप बोलिये।

श्री रघुवीरसहाय—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि शिक्षा विभाग में जो खराबी है वह केवल उच्च मशीनरी की ढिलाई और नीचे वाले कर्मचारियों को आजादी देने के कारण है। यही कारण है कि आज शिक्षा विभाग की किसी भी पाठशाला में न तो ठीक से पढाई होती है, न हर वर्ग के बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। वहां गुटबन्दी बनी हुई है जिसके कारण असहाय हरिजन-बैकवर्ड बच्चों की शिक्षा में असुविधायें पैदा हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हरिजन बच्चों के लिये अलग पाठशालायें न होने और उनकी शिक्षा सम्मिलित चलने के कारण उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उन्हें कभी भी इस योग्य नहीं बनने दिया जाता कि वह अपने सुरक्षित अधिकारों को प्राप्त कर सकें और यही कारण है कि किसी भी विभाग में कोई सर्वोच्च अधिकारी हरिजन नहीं है। यही नहीं, किसी शिक्षा कमेटी में कोई हरिजन नहीं रखा गया है। इस उच्चवर्गीय जातिवाद व पक्षपात के कारण ही पिछड़ी और हरिजन कौमें आज अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा को पक्षपात रहित होना अनिवार्य है और हर एक वर्ग को उठाने के लिये उच्च स्तर द्वारा नीचे स्तर को नियंत्रित करने के लिये सख्त कार्यवाही की जानी लाजमी है और जो सहायता तथा अनुदान हरिजन छात्रों को दिया जाता है वह साल के बाद में न देकर प्रारम्भ में ही दिया जाय। जब ऐसा होगा तभी हरिजन तथा बैकवर्ड जाति के लोगों को शिक्षा सुलभ होगी और उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। गुटबन्दी और पक्षपात के खिलाफ जहां कहीं से भी शिकायत आवे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ताकि शिक्षा स्तर सुधरे और ऊंचा उठ सके।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री बैजनाथसिंह वैद्य** (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो शिक्षा अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अगस्त, १९४७ से पहले शिक्षा की पद्धति जो थी और शिक्षा का जो दृष्टिकोण था तथा भारत के विद्यार्थी जिस दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करते थे उसमें और आज में महान अन्तर हो गया है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। महिलाओं की हकतलफी होती है इसलिये उनको पहले समय दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । दो महिलाओं को समय दिया जा चुका है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—मैं कह रहा था जो अनुदान शिक्षा का मंत्री जी ने पेश किया है उसकी बड़ी महत्ता है । उसको पढ़ने से, देखने से और भाषणों के सुनने से ऐसा लगता है कि आज की शिक्षा पद्धति में महान् परिवर्तन हो चुका है । हम थोड़े दिनों में इसी प्रकार अगर चलते रहे और कोई बाधा न पड़ी तो साक्षर हो जायेंगे, हमारा प्रदेश साक्षर हो जायगा । जैसे यह बात कही जाती है और सही भी है कि अंग्रेजों के जमाने में हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था । लेकिन इस वक्त हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके साथ हमारे विद्यालय भी बढ़ रहे हैं । कुछ खराबियां हमारी शिक्षा में हैं जिनकी वजह से हमें बीच में अड़चनें आती हैं और हमारी प्रगति में बाधा पड़ती हैं । उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह सही है कि पहले से अब में बहुत अन्तर हो गया है । पहले जो हमारी प्राइमरी पाठशालाएं चार चार पांच पांच मील की दूरी पर थीं और बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी असुविधा थी, वह आसानी से वहां नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब मील डेढ़ मील के फासले पर प्राइमरी पाठशालायें हैं । ज्यादा से ज्यादा पाठशालायें खोली भी जा रही हैं, लेकिन पुरानी पाठशालाओं की संख्या बड़ी दयनीय है और वह ध्वस्त पड़े हुये हैं जिनको देखने से दरअसल बड़ी तकलीफ होती है । वह पाठशालायें जिनमें आजाद भारत के नागरिक शिक्षा पाते हों वहां अध्यापकों के बैठने के लिये स्थान न हो, पानी पीने के लिये कुंयें न हों, बच्चों के बैठने के लिये टाट न हों और जाड़ा, गरमी और बरसात में वह परेशानी की हालत में शिक्षा प्राप्त करते हों तो यह सब सोचनीय हालत है । बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें हमें इन स्कूलों की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त, हमारी बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है । लड़कियों के पढ़ने के लिये स्कूल अभी देहातों में नहीं पहुंच पाये हैं हालांकि लोग अब जागृत हो गये हैं और वह अब लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इधर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

साथ ही ट्रेंड अध्यापिकाओं की बहुत कमी है । जो अनट्रेंड अध्यापिकायें स्कूलों में पढ़ा रही हैं और जिनको चार या पांच साल का अनुभव है उनको मौका देकर ट्रेंड करा दें तो यह असुविधा भी दूर हो सकती है ।

हमारी शिक्षा पद्धति बहुत सुन्दर है, लेकिन अब हमें बाबुओं की आवश्यकता नहीं । पढ़े-लिखे लोग बेरोजगारी महसूस करते हैं और हमें डाक्टरों की, इंजीनियरों की और ओवर-सियरों की आवश्यकता है जो विकास कार्य में हमारा हाथ बटा सकें और देश को आगे बढ़ा सकें ।

गांवों में अधिक टेक्निकल और औद्योगिक स्कूलों को खोलने की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जिससे प्रदेश की अधिक से अधिक उन्नति हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का राष्ट्रीय लक्ष्य इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना है । प्रत्येक योजना जो हमारे यहां बन रही है उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिये कि वह लक्ष्य कैसे जल्द से जल्द प्राप्त हो । श्रीमन्, हमारे देश और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के संबंध में कम से कम जब से देश स्वतंत्र हुआ लगातार यह कहा जा रहा है कि वह दूषित है, त्रुटिपूर्ण है और उससे हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते । जो लेखाजोखा शिक्षा विभाग ने दिया है उसमें हम यह स्वीकार करते हैं कि गति है, प्रगति है और एक-एक कार्यक्रम है । हम यह भी स्वीकार करते हैं कि सरकार ने विद्यालय

[श्री कृष्णचन्द]

खोले हैं, शिक्षालय खोले हैं किन्तु मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि गति तथा प्रगति के होते हुए भी आज इस योजना में प्राण नहीं है, यह निष्प्राण है । आज यह योजना उद्देश्य रहित और लक्ष्य रहित है । मेरा निवेदन है कि जब तक हमारी पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन न किये जायेंगे, जब तक इस हमारी पद्धति में तबदीलियां न की जायेंगी, ऊपर से नीचे तक, उस वक्त तक हमारे लक्ष्य तथा उद्देश्य के साथ यह शिक्षा प्रणाली नहीं चल सकती ।

यूनिवर्सिटी एजूकेशन के संबंध में बताया गया है कि प्रदेश में १६० डिग्री कालेजेज हैं । उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि १६० डिग्री कालेजेज में लाखों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं । यदि हम एक हजार विद्यार्थी एक डिग्री कालेज में मान लें तो कम से कम डेढ़ लाख विद्यार्थी हमारे इन डिग्री कालेजेज में शिक्षा पा रहे हैं । यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इससे अलग है । २४ हजार विद्यार्थी विज्ञान की शिक्षा पा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं यदि डेढ़ लाख विद्यार्थियों में से एक लाख ने ग्रेजुएशन हासिल किया है तो इन एक लाख विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी हैं जिनकी खपत हो गयी है इस प्रदेश की नौकरियों में या दूसरे रोजगारों में । २४ हजार विद्यार्थियों ने विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की है उनमें कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजनर हैं अथवा सेकिंड डिवीजनर हैं क्योंकि थर्ड डिवीजनर कहीं नहीं लिये जाते--न रुड़की यूनिवर्सिटी में लिये जाते हैं, न मेडिकल कालेजेज में लिये जाते हैं और न किसी टेक्निकल कालेज में ही लिये जाते हैं । हम यहां पर हर साल लाखों विद्यार्थियों को इन विद्यालयों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज के द्वारा डिग्रीज देते चले जा रहे हैं । उसका एक ही परिणाम होता है--या तो वे बेकारों की लम्बी सेना में दाखिल हो जाते हैं या वे समाज विरोधी तत्वों में शामिल हो जाते हैं । इन दोनों स्पीशीज की हमें जरूरत नहीं है । इसलिये अब समय आ गया है जबकि यह स्पष्ट नीति निर्धारित होनी चाहिये कि इस प्रदेश में हम यूनिवर्सिटीज तथा कालेजेज का तथा इसके छात्रों का क्या करें ? कुछ वर्ष पहले मैंने इसी सदन में कहा था कि अगर आपके पास स्पष्ट नीति नहीं है जिसके आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली चले तो स्थायी तौर से इन डिग्री कालेजों व विश्वविद्यालयों को बन्द कर दें । क्या अर्थ है इन डिग्री कालेजों का अगर आप उनको निर्देशन नहीं दे सकते, दिशा नहीं दे सकते, जिन विद्यार्थियों का इनमें निर्माण हो रहा है उनका हम सदुपयोग नहीं कर सकते और लाखों की तादाद में यह बेकार नवयुवक एक ऐसी धारा में प्रवाहित कर रहे हैं जिसका न कोई उद्देश्य है, न लक्ष्य है ?

मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह की नीति नहीं चल सकती । इस पर आपको सोचना पड़ेगा । हमको साइंस कालेजेज खोलने चाहिये, टेक्निकल कालेजेज खोलने चाहिये और दूसरी अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद चीजों की तरफ इन नौजवानों को आकर्षित करना चाहिये ।

इस सदन में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अभी कहा गया है । गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रबन्धकों को आरोपों द्वारा इस सदन में एक कठघरे में खड़ा कर दिया गया है । मैं इनका पक्ष लेने का दावा नहीं करता, न मैं इसकी वकालत करता हूं । मैं तो केवल उस महान् संत के शब्दों को जो कि सूली पर चढ़ा दिया गया था, उद्धृत करना चाहता हूं । "यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिये इनको क्षमा कर दिया जाय ।" उसने सूली चढ़ाने वालों के लिये कहा था । मेरा मत यह है कि भावी पीढ़ी याद करेगी उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपने सीमित साधन तथा सीमित राशि से इस देश में विद्या की गंगा को प्रवाहित कर दिया । जो विदेशी सरकार के अकर्मण्यता के बावजूद और वर्तमान सरकार के सीमित साधनों के बावजूद भी विद्या की मशाल हाथ में ले कर के उठ कर खड़े हो गये, इसलिये आज यह कहना कि वे निकम्मे हैं, सारे के सारे बेईमान हैं, मैं समझता हूं उनके साथ न्याय नहीं है । श्रीमन्, जब मैं प्रदेश में उन सौ, डेढ़ सौ सरकार द्वारा चालित विद्यालयों की तुलना गैर-सरकारी विद्यालयों से करता हूं जिनको कि केवल चन्द हजार रुपये सरकार द्वारा दे दिये

जाते हैं तो सरकारी विद्यालय उनकी तुलना में कहीं नहीं ठहरते । अब समय आ गया है कि जब उन सौ, डेढ़ सौ विद्यालयों को गैर-सरकारी संस्थाओं को दे दिया जाय क्योंकि जहां तक परिणामों का सवाल है हम देखते हैं कि अधिकांश गैर-सरकारी संस्थाओं के परिणाम अधिकांश सरकारी संस्थाओं से कहीं अच्छे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव शिक्षा पर प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि श्री राधाकृष्णन् जैसे मनीषी से ले कर एक साधारण शिक्षा अधिकारी तक जिस शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हैं, १५ वर्ष की आजादी के बाद भी वही शिक्षा प्रणाली आज हमारे देश और प्रदेश में चल रही है । पता नहीं कब हमारे देश के शिक्षाविद्, हमारे देश के मनीषी और हमारे देश के अधिकारी इस पर विचार करेंगे और एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करेंगे जिसके बारे में उनकी स्वयं राय हो कि वह प्रणाली ठीक चल रही है । हमारे प्रदेश की सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहने का दावा करती है और उसका कथन है कि वह समाज वादी ढांचा अपने प्रदेश में ला रही है, श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि शिक्षा में ही अगर उस दावे को देखा जाय तो जितनी विषमता इसमें मिलती है उतनी किसी और विभाग में नहीं होगी ।

नर्सरी स्कूल खोले गये हैं । नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है कि जो मजदूर मातायें काम करती हैं, जिन बच्चों के मां बाप कारखानों में काम करते हैं उनको शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये । लेकिन अगर आज आप देखें तो जितने भी नर्सरी स्कूल हैं उनमें बड़े आदमियों के ही लड़के शिक्षा पाते हैं और जो मजदूरों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिये वहां कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा तो इस सरकार से यह अनुरोध है कि नर्सरी स्कूल उन्हीं जगहों में खोले जायं जहां मजदूरों की बस्तियां अधिक हैं । हमारे जिले में शंकरगढ़ का इलाका है, वहां हजारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिये एक भी नर्सरी स्कूल की व्यवस्था वहां नहीं है ।

इसी तरह से हमारे एक साथी ने कहा भी और मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि ये जो आज अंग्रेजी स्कूल खुले हैं उनमें मंत्रियों और बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे ही पढ़ते हैं, गरीबों के नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो विषमता शिक्षा में है इसको दूर किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन का समय चार मिनट और बढ़ा दिया जाता है ताकि यह स्पीच खत्म हो जाय ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—दूसरे में प्राइमरी शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि नये प्राइमरी स्कूलों का खुलना अगर पांच वर्ष के लिये बन्द कर दिया जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी । आपने क्वांटिटी तैयार कर दी है । आपने जो सर्वे कराई है, यदि उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही आप स्कूल खोलने की व्यवस्था करेंगे तो आपको अब बहुत थोड़े स्कूल खोलने पड़ेंगे । क्वांटिटी के साथ-साथ आपका ध्यान क्वालिटी की ओर नहीं गया है । मेरा अनुरोध है कि ५ वर्ष तक आप नये प्राइमरी स्कूलों का खोलना बंद कर दें और अपनी रफ्तार को धीमी कर दें और जो स्कूल खुले हैं उनको ही उन्नतिशील बनाने के लिये सोचिये और उनको सुसज्जित करके उनमें सुयोग्य अध्यापक दीजिये । फिलहाल यदि ज्यादा प्राइमरी स्कूल न खोले जायं तो अच्छा होगा ।

इसके साथ ही साथ मेरा एक सुझाव और है कि लड़कियों के प्राइमरी स्कूल खोलने बंद कर दीजिये । मिक्स्ड स्कूलों में ही लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ने दीजिये । एक गांव में ५०० की आबादी है वहां पर लड़कों के लिये एक प्राइमरी स्कूल चलता है वहां पर

[श्री सत्यनारायण पाण्डेय]

बालिकाओं के लिये अलग से न खोलें और यदि खोलेंगे तो नतीजा होगा कि १० लड़कियां होंगी। प्राइमरी शिक्षा में सह शिक्षा हो इसमें क्या एतराज है ? प्राइमरी स्कूलों में सह शिक्षा चलनी चाहिये। इस तरह लड़कियों के स्कूल न खोलने से जो पैसा बचे उसको कन्या जूनियर हाई स्कूलों में खर्च कीजिये। आज उनकी कमी है उनके खोलने की व्यवस्था कीजिये।

आपने एच० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिये दो साल का कोर्स रखा है। यदि इनको एक साल का कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि अध्यापक ट्रेनिंग में जो शिक्षा पाते हैं उसके अनुसार नहीं पढ़ाते हैं। जब एल० टी० की ट्रेनिंग एक साल में हो जाती है तो इसकी ट्रेनिंग के लिये भी एक साल का ही कोर्स रखा जाय।

आपने जो रिओरियेन्टेशन की स्कीम चालू की है उसका क्या हाल है ? उसके बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। आपने इस स्कीम के ऊपर एक कैलाश प्रकाश कमेटी कायम की थी। उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई है। वहां के कर्मचारी और अध्यापक ७, ८ साल से अस्थायी काम कर रहे हैं और उनका क्या करेंगे, यह भी पता नहीं है।

अन्त में मैं आपका ध्यान प्रयाग विश्व विद्यालय की लाइब्रेरी की ओर दिलाना चाहता हूं। इसकी इमारत के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने लाखों रुपया दिया है और उसकी नींव पड़ चुकी है। लेकिन किन्हीं कारणों से वह रुक गई है, उसको बनाने का मंत्री जी प्रयत्न करें। वहां के कर्मचारियों को यूनिवार्सिटी ग्रांट कमेटी के अनुसार वेतन नहीं मिलता है इसलिये उनमें क्षमता नहीं आ पाती है, इसलिये मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त।

*(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
९ मई, १९६२।

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२/१३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर)

प्रश्न संख्या १२ के सम्बन्ध में सूचना

मदें	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु०	रु०	०
१—अधिकारियों का वेतन	२११७.७४	३९९१.४७	२९०५.००
२—कर्मचारियों का वेतन	२२८८९.३१	६३०५४.१२	१२१६४८.२१
३—मंहगाई व भत्ता	१९५१३.०१	५१६८२.४६	८२३८६.९६
४—प्रासंगिक व्यय	२५४१०.९८	२२१६१.५८	१०९३६.६८
योग ..	६९९३१.०४	१४०८८९.६३	२१७८७६.८५

प्रश्न संख्या १३ के सम्बन्ध में सूचना

मदें	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२ (केवल जून १९६१ तक)
	रु०	रु०	रु०
१—अधिकारियों का वेतन ..	२६८९.००	२५९८.२०	..
२—कर्मचारियों का वेतन	३९६०.८०	३९९८.१४	९२८.२५
३—मंहगाई व भत्ता	५०१३.७८	४९८९.९५	८५६.२७
४—प्रासंगिक व्यय	४६४२.९२	४३६७.२३	२३१.७७
योग ..	१६३०६.५०	१५९५३.५२	२०१६.२९

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७७ एल० ए०—१९६२—८४५।